भारतीय ग्रन्थ माला—संख्या १

भारतीय शासन

लेखक

भारतीय जागृति, भारतीय राष्ट्र निर्माण, भारतीय अर्थ शास्त्र,
भारतीय विद्यार्थी विनोद, और
भारतीय राजस्व, आदि के

रचियता, तथा

प्रेम महा विद्यालय में अर्थ शास्त्र और नागरिक धर्म के

शिक्षक

भगवानदास केला

प्रकाशक

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन

पांचवां संस्करण
१२०० प्रति

सन् १९२७ ई०

मूल्य
सर्व साधारण से, चौदह आने
स्थायी ग्राहकोंसे, साढ़े दस आने

प्रकाशकः—
भगवान दास केला,
व्यवस्थापक
भारतीय ग्रन्थमाला वृन्दावन ।

मुद्रकः—
त्रैलोक्यनाथ शर्मा,
"जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स" मथुरा ।

भारतीय ग्रन्थ समिति

भारतीय ग्रन्थ समिति का कार्य 'भारतीय ग्रन्थमाला' और 'भारतीय निबन्धमाला' का संचालन है। इन मालाओं का उद्देश्य हिन्दी भाषा में विशेष प्रकार का राजनैतिक, आर्थिक आदि उपयोगी साहित्य की वृद्धि करना है। ऐसे कार्य के लिये सर्व साधारण की ओर से समुचित क्या, प्रायः कुछभी प्रोत्साहन नहीं मिलता। उपर्युक्त मालाओंकी अधिकतर रचनाओं के पढ़ने वाले, हमें आरम्भ में, प्रायः वही सज्जन मिलते हैं जो किसी पत्र के सम्पादक, शिक्षा संस्था के संचालक, या हमारे मित्र होते हैं, और जिन्हें पुस्तकें बिना मंगाये ही मिल जाती हैं। वास्तव में ऐसे साहित्य के लिये अनकूल क्षेत्र नहीं है। फिर इस के झमेले में क्यों पड़ा जाय? ऐसा परामर्श देने वालों की कमी नहीं। परन्तु प्रश्न यह है कि अनकूल क्षेत्र होगा कब। क्या जनता की रुचि में यथेष्ठ सुधार करने का उपाय भी यही नहीं है कि उस के सामने अच्छे प्रकार का साहित्य रखा जाय। उसे देख कर, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे उसकी मांग होने लगेगी। निस्संदेह आगे बढने वालों का मार्ग कंटकार्ण होता है। परन्तु भारत संतान के होनहार भविष्य के आह्वान के लिये, यह मंज़िल तय करनी ही पड़ेगी।

भारतीय ग्रन्थ समिति के कार्य संचालक साधारण स्थिति के हैं, तथापि समिति अपने निश्चय के अनुसार कार्य कर रही है। सन् १९१५ ई० से अब तक ११ पुस्तकें तथा ४ निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। पुस्तकों में से एक के पांच और दो के दो दो संस्करण हो चुके हैं। कुल मिला कर पुस्तकों और निबन्धों की क्रमशः १२००० और २००० प्रतियों की खपत होगई है। कई पुस्तकें मध्यप्रान्त, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, गवालियर और बड़ौदा की सरकारी तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में पाठ्य पुस्तक परितोषिक या पुस्तकालय के लिये स्वीकृत हैं। कुछ सज्जन इसे हमारी भारी सफलता कहते हैं। परन्तु हमारा हृदय ही जानता है कि हमारी अभिलाषा की पूर्ति कितनी कम हुई है।

आर्थिक तथा अन्य असुविधाओं के कारण, माला के प्रचार कार्य में हम अभी तक मानों हाथ ही नहीं लगा सके हैं। जहां तहां प्रचारक भेजना तथा विज्ञापन छपाना तो दूर रहा, हमारे पास पत्र व्यवहार करने को भी यथेष्ठ साधन नहीं। वास्तव में माला का जो प्रचार हुआ है, वह पुस्तकों ने स्वयं किया है, या किया है उन साहित्य प्रेमी सज्जनों ने, जिन्होंने अपने व्यय से, हमारी पुस्तकों की कुछ प्रतियां इकट्ठी मंगाकर पुस्तकालयों, विद्यार्थियों या किसी समाचार पत्र के ग्राहकों में वितरण कराई हैं। समिति के नियमानुसार जो सज्जन चाहें उन्हें प्रचारार्थ पुस्तकें (तथा निबन्ध) लागत मात्र में दी जाती हैं, और जो प्रचारक महाशय सौ रुपये या अधिक की सहायता देते हैं वे समिति के सदस्य तथा माला के संरक्षक हो जाते है। ऐसे महानुभावों की संख्या अभी आठ है। समिति के अन्य सदस्य, जिन्होंने माला की किसी पुस्तक की रचना की है, अथवा इसके कार्य में विशेष सहयोग किया है, बारह हैं।

देश की वर्तमान अवनत अवस्था में, अभी कुछ समय ऐसे साहित्य के लिये सर्व साधारण से अधिक आशा नहीं की जासकती। परन्तु जो विवेकमय सज्जन इस कार्य की उपयोगिता और आवश्यकता समझते हैं वे यह अवश्य विचार करें कि उनका इस के प्रति क्या कर्तव्य है और वे किस प्रकार इस महान कार्य में, समिति के सदस्य अथवा माला के संरक्षक बनकर, हमारे सहायक हो सकते हैं।

—मंत्रीः

'भारतीय शासन' के पांचवें संस्करण की

प्रस्तावना

जिन पाठकों तथा अन्य महानुभावों की कृपा से, दो वर्ष के भीतर ही, हमें 'भारतीय शासन' का नया (पांचवां) संस्करण तैयार करने का अवसर मिला है, उन सबके हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि जब उत्तर और मध्य भारत के विविध शिक्षा विभागों ने यह पुस्तक पसन्द करली है तो प्रति वर्ष ही इसका नवीन संस्करण क्यों न हो। भारत-वर्ष के उज्वल भविष्य में विश्वास रखते हुए, हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब स्वराज्य प्राप्ति के लिये एवं प्राप्त स्वराज्य की सुरक्षा के लिये, प्रत्येक भारत सन्तान स्वदेश के शासन यंत्र से भली भांति परिचित रहना अपना धर्म सम-झेगी, और शासन पद्धति का विषय देश की माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होगा। तब निस्संदेह हिन्दी भाषा भाषी विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों की भिन्न भिन्न रुचि और योग्यता के अनुसार, ऐसी पुस्तक के कई प्रकार के और कई कई हज़ार प्रतियों के, नये नये संस्करणों की मांग होगी। वह समय कब आयेगा? यह राजनैतिक शिक्षा प्रेमियों के उद्योग और सहयोग पर निर्भर है।

इस पुस्तक के इस संस्करण की विशेषतायें ये हैं :—

(१) समस्त पुस्तक को सरल और अधिक उपयोगी बनाने का यत्न किया गया है। "भारतीय शासन नीति विकास",

'भारतीय व्यवस्थापक मंडल' तथा 'प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदें' और 'स्थानीय स्वराज्य' शीर्षक परिच्छेदों में विशेष संशोधन किया गया है।

(२) व्यवस्थापक संस्थाओं आदि के चुनाव, तथा सरकारी आय व्यय, सम्बन्धी बहुत आवश्यक बातों का भी प्रसंगानुसार समावेश कर दिया गया है। [इन विषयों का सविस्तर विवेचन हमारी 'निर्वाचन नियम' तथा 'भारतीय राजस्व' पुस्तकों में किया गया है।]

(३) पुस्तक के अन्त में 'राजनीति शब्दावली' दी गई है, जिससे अंगरेज़ी जानने वाले पाठकों को यह समझने में सुविधा हो कि हिन्दी के किस शब्द का प्रयोग अंगरेज़ी के किस शब्द के लिये किया गया है। [विद्वान लेखक, अध्यापक और सम्पादक महाशय इस विषय में हमें समुचित और सविस्तर परामर्श देकर कृतार्थ करें।]

इस पुस्तक के पूर्व संस्करण की भांति, इस संस्करण में भी हमें अन्यान्य सज्जनों में सुहृद्वर पं० दयाशंकर जी दुबे एम. ए., एलएल. बी., की यथेष्ठ सहायता मिली है। श्री० दुबेजी ने इसकी भूमिका लिखने की भी कृपा की है। प्रेस सम्बन्धी कार्य में श्री० पं० त्रैलोक्यनाथ जी शर्मा की बड़ी सहानुभूति रही है। इसके लिये हम इन महाशयों के बहुत कृतज्ञ हैं। आशा है, ये तथा अन्य महानुभाव भारतीय ग्रन्थ माला के प्रति अपनी सद्भावना बनायी रखेंगे।

विनीत,

भगवानदास केला

* भूमिका *

स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को तन मन धन से प्रयत्न करना चाहिये। किसी देश के शासन यंत्र को भली भांति समझे विना, कोई व्यक्ति उसके राजनैतिक उत्थान में पूरी तरह भाग नहीं ले सकता। अतः भारतवर्ष में राजनैतिक विषयों के ज्ञान का प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है। जब भारतीय जनता देश की वर्तमान शासन पद्धति की त्रुटियों को अच्छी तरह समझने लगेगी और संगठित होकर दिलोजान से, उनको हटाने तथा स्वराज्य प्राप्त करने की, कोशिश करेगी तो सफलता अवश्य मिलेगी।

बड़े हर्ष की बात है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी में भारतीय शासन पद्धति पर तीन चार अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होगयी हैं। मेरे मित्र श्री० भगवान दास जी केला की इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसके केवल दो सौ पृष्ठों में ही भारतवर्ष के शासन से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सब बातों का स्थूल ज्ञान, सरल भाषा में दे दिया गया है। मैं इस पुस्तक के किसी समालोचक के इस कथन से सहमत हूं कि वास्तव में यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनैतिक नेता, विद्यार्थियों के लिये शिक्षक, राजनीतिज्ञों के लिये ज्ञान वर्द्धक, और सम्पादकों के लिये सुवर्ण अंकों का सन्दूक है।

इस पुस्तक की लोक-प्रियता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि बड़ौदा और गवालियर राज्य, तथा संयुक्त प्रान्त और पंजाब के शिक्षा विभागों द्वारा यह पुस्तक स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत होगयी है। मध्य प्रान्त में तो

इसका खूब ही प्रचार हुआ है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रभृति कितनी ही राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की पाठ विधि में भी इसे स्थान मिला हुआ है, और बिना विशेष प्रयत्न किये बारह वर्ष के अन्दर ही इसके चार संस्करण समाप्त हो चुके और यह पांचवां संस्करण पाठकों के सामने है। इस संस्करण के लिये सम्पूर्ण पुस्तक का सम्पादन बड़ी सावधानी तथा परिश्रम से किया गया है। इसमें शासन सम्बन्धी समस्त नवीन बातों का समावेश करने का पूरा प्रयत्न हुआ है और जगह जगह अभीष्ट सुधारों का उल्लेख किया गया है। पुस्तकान्त में पारिभाषिक शब्द भी दे दिये गये हैं। इससे पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गयी है।

राजनैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रधान अंग है; और भारतीय शासन पद्धति के ज्ञान के बिना भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा अपूर्ण है। इस लिये देशी राज्यों, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के संचालकों तथा म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों को चाहिये कि अपने अपने विद्यालयों की पाठ विधि में इस पुस्तक को अवश्य स्थान दें। प्रत्येक स्वराज्य प्रेमी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस पुस्तक का स्वयम् अध्ययन करे और सर्व साधारण में इसका प्रचार करने में यथा शक्ति सहयोग करे।

दयाशंकर दुबे,
एम. ए., एलएल. बी.
अध्यापक, अर्थ शास्त्र विभाग
प्रयाग विश्वविद्यालय

दारागंज
प्रयाग
१-९-२६.

प्रथम संस्करण की प्रस्तावना

शासन का कार्य यदि कठिन है तो इस विषय को समझाने के अभिप्राय से कोई पुस्तक लिखना भी सहज नहीं। यह विचार हमें पहिले भी था, और कार्य आरम्भ करने पर तो इसकी गुरुता और भी अच्छी तरह ध्यान में आगयी। परन्तु जिस भाषा का प्रचार आज दिन भारतवर्ष की अन्य किसी भी भाषा से अधिक है, एवं जो हमारे राष्ट्र की राष्ट्र-भाषा होने का सच्चा दम भर सकती है, उस परम हितकारिणी हिन्दी भाषा में शासन जैसे महत्व के विषय की मोटी माटी बातों का समावेश रखने वाली पुस्तकों के न मिलने का दुख, जब हमें असहनीय हो चला तो अल्प योग्यता और क्षुद्र शक्ति रखने पर भी हम इस पुस्तक को लिखने के लिये वाध्य होगये। नहीं मालूम, कितने पाठक हमारी कठिनाइयों का अनुमान कर सकेंगे। × × × हम जानते हैं कि इस पुस्तक के कई एक विषयों पर पृथक् पृथक् स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं*, परन्तु यह कार्य योग्यतर पात्रों के लिये छोड़, हमने एक ही स्थान पर सब के दिग्दर्शन मात्र से संतोष किया है। × × × प्रस्तुत पुस्तक से हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे भारतवासी बन्धु अपनी मातृ भूमि के उत्तम नागरिक बनें, वे जानलें कि उनके देश के राज्य प्रबन्ध की कल किस प्रकार चलती है, वे उसमें क्या भाग ले सकते हैं और ब्रिटिश प्रजा के नाते वे किन अधिकारों के अधिकारी हैं। ×××

ब्यावर
सन् १९१५ ई०   }   भगवान दास केला

---

* भारतीय ग्रन्थ माला में, सरकारी आय व्यय पर 'भारतीय राजस्व' पुस्तक, और व्यवस्थापक सस्थाओं तथा म्युनिसिपलिटियों और ज़िला बोर्डों के चुनाव पर 'निर्वाचन नियम' पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं।

विषय सूची

* भारतीय शासन *

पहिला परिच्छेद

उपोद्घात

"स्वराज्य या प्रजा के प्रबन्ध में आया हुआ अधिकार उसी समय चल सकता है जब जनता में राजनीति और शासन के तत्वों का ज्ञान पूर्ण रीति से प्रचलित हो।"

—'आनन्द'

राज्य की आवश्यकता क्यों होती है?—मनुष्य में स्वभावतः यह इच्छा होती है कि स्वतंत्र रहे और निरन्तर उन्नति करे। तथापि भिन्न भिन्न देशों में किसी न किसी प्रकार की राज्य पद्धति प्रचलित है। इसका एक प्रधान कारण यह है कि मनुष्यों के पारस्परिक स्वार्थों में संघर्ष की आशंका रहती है। इस के अतिरिक्त जन साधारण कुछ कार्यों को भली भांति सम्पादन नहीं कर सकते, उनको वे राज्य की सङ्गठित शक्ति द्वारा कराना लाभकारी समझते हैं। यद्यपि कुछ सज्जन राज्य को, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा डालने वाली, एक बुराई मात्र समझते हैं जो मनुष्यों के दोषों या निर्बलताओं के

कारण जारी रखनी आवश्यक है, साधारणतया सुयोग्य प्रतिनिधियों द्वारा समुचित रूप से नियंत्रित राज्य प्रायः अच्छा ही समझा जाता है। इस लिए कुछ मनुष्यों को ऐसे अधिकार सौंपे जाते हैं जिन से वे अधिकारी अर्थात् शासक, नागरिकों की उन्नति में सहायक हों।

शासन सम्बन्धी ज्ञान की आवश्यकता—प्रत्येक देश-प्रेमी सज्जन के लिए—पुरुष हो या स्त्री, नवयुवक हो या वृद्ध—यह ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है कि उसके देश की राजनैतिक स्थिति कैसी है, वहां शासन यन्त्र किस प्रकार चलता है। ज्यों ज्यों किसी देश के निवासियों का यह ज्ञान बढ़ता है, त्यों त्यों उनकी शासन सम्बन्धी कार्य्य सम्पादन करने की शक्ति और योग्यता बढ़ती जाती है और, देश में उत्तरोत्तर राजनैतिक सुधार हो सकते हैं।

पुनः इस समय भारतवर्ष में—विशेषतया यहां की शासन पद्धति में—बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तथा होने वाले हैं। यदि हम शासन सम्बन्धी समुचित ज्ञान प्राप्त करते हुए सावधान रहें, तो ये परिवर्तन बहुत हितकर स्वरूप में हो सकेंगे, अन्यथा हमारी असावधानी से देश का बड़ा अहित हो सकता है।

विद्यालयों में इस विषय की शिक्षा—किसी देश की जनता में राजनैतिक ज्ञान का यथेष्ट प्रचार करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहां के स्कूलों और विद्यालयों में इस विषय की शिक्षा दी जाय। जो अब विद्यार्थी—लड़के या लड़कियां—हैं, वही तो देश के भावी नागरिक हैं। कुछ समय

में राष्ट्रीय नौका के संचालन का भार उन्हीं के कन्धों पर पड़ेगा। इसके लिए उनकी अभी से तैयारी शुरू होजानी चाहिये।

हर्ष की बात है कि इस ओर यहां अब अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा है। बहुत सी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के पाठ्य क्रम में शासन पद्धति या नागरिक शास्त्र के विषय का समावेश होगया है। सरकार भी अपने ढंग से इस विषय की शिक्षा दे रही है। परन्तु अभी प्रचार के लिए बहुत क्षेत्र शेष है। अनेक शिक्षा संस्थाओं के उच्च-श्रेणी-उत्तीर्ण नवयुवक भी यह नहीं जानते कि उनके देश का राज्य कार्य किस प्रकार हो रहा है, किस के क्या अधिकार हैं, शासन व्यवस्था में किन किन संशोधनों की आवश्यक्ता है। शिक्षा प्रेमी सज्जनों तथा शिक्षा संस्थाओं के संचालकों को इस ओर यथेष्ट ध्यान देना चाहिये। साधारण पाठकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के उपयोगार्थ यह पुस्तक प्रस्तुत है। इस में विशेषतया ब्रिटिश भारत की शासन पद्धति का विवेचन किया गया है, संक्षेप में भारतवर्ष के अन्य भागों के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञातव्य बातों का समावेश कर दिया गया है।

भारतवर्ष के राजनैतिक भाग—मोटे हिसाब से भारतवर्ष का क्षेत्रफल अठारह लाख वर्ग मील से कुछ अधिक और जन संख्या बत्तीस करोड़ के लगभग है। राजनैतिक दृष्टि से इसके चार भाग हैं :—

१—स्वाधीन राज्य
२—देशी रियासतें
३—ब्रिटिश या अंगरेज़ी भारत
४—अन्य विदेशी राज्य

स्वाधीन राज्य—भारतवर्ष में स्वाधीन राज्य केवल नैपाल और भूटान ही हैं। इनकी सीमा पर भारत सरकार का रेज़ीडेंट रहता है पर उसे इनके आन्तरिक राज्य प्रवन्ध में हस्तक्षेप करने का कुछ अधिकार नहीं होता।

नैपाल का प्रधान शासक महाराजाधिराज कहलाता है। वास्तविक शासन अधिकार मन्त्री को है। मन्त्री से नीचे जंगी लाट होता है, जो मन्त्री के देहान्त पर प्रायः उसके पद का अधिकारी हो जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल चव्वन हज़ार वर्ग मील और जन संख्या पचास लाख है।

भूटान का क्षेत्रफल अठारह हज़ार वर्ग मील और जन-संख्या लगभग तीन लाख है। इसे भारत सरकार से सालाना एक लाख रुपया मिलता है और यह बाहरी मामलों में उसकी सलाह से काम करता है। भीतरी मामलों में यह स्वतन्त्र है। प्रधान शासक महाराजा कहाता है।

देशी रियासतें—देशी रियासतें सब मिला कर लगभग १७५ बड़ी और ५०० छोटी हैं। ये अपने आन्तरिक शासन में कुछ कुछ स्वतन्त्र, परन्तु बाहरी मामलों में सर्वथा अंगरेज़ सरकार के अधीन हैं। इनका क्षेत्रफल सात लाख वर्ग मील से कुछ कम और जन संख्या सात करोड़ से कुछ अधिक है। इनका विशेष वर्णन बारहवें परिच्छेद में किया जायगा।

ब्रिटिश भारत—इसका क्षेत्रफल लगभग ग्यारह लाख वर्ग मील और जन संख्या क़रीब पौने पच्चीस करोड़ है। इसका विशेष ब्यौरा आगे के कोष्टक में दिया गया है।

संख्या	प्रान्त	ज़िले	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन संख्या
१	बंगाल	२८	७६,८४३	४,६६,५३,१७७
२	बम्बई (अदन सहित)	२९	१,२३,६२१	१,९३,२८,५८६
३	मद्रास	२७	१,४२,२६०	४,२३,२२,२७०
४	संयुक्त प्रान्त	४८	१,०६,२९५	४,५५,९०,९४६
५	बिहार उड़ीसा	२१	८३,१६१	३,३९,८८७७८
६	पंजाब	२९	९९,८६६	२,०६,७८,३९३
७	बर्मा	४३	२३३,७०७	१,३२,०५,५६४
८	मध्य प्रान्त, बरार	२२	९९,८७६	१,३९,०८,५१४
९	आसाम	१३	५३,०१५	७५,९८,८६१
१०	देहली	१	५७३	४,८६,७४१
११	पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत (ज़िले और शासित प्रदेश)	५	१३,४१९	२२,४७ ६९६
१२	बिलोचिस्तान	६	५४,२२८	४,२१,६७९
१३	अजमेर-मेरवाड़ा	२	२,७११	४,९५,८९९
१४	कुर्ग	१	१,५८२	१,६४,४५९
१५	ऐंडमान निकोबार	२	३,१४३	२६,८३३
	योग	२७७	१०,९४,३००	२४,७१,२८,३९६

उपर्युक्त प्रान्तों में से पहिले नौ बड़े और शेष छः छोटे हैं। इन प्रान्तों की सीमा, भाषा के आधार पर निर्धारित नहीं की गयी है, जैसा कि शासन कार्य के लिए वास्तव में होना

चाहिये। भारतीय राष्ट्र सभा ने भाषा के आधार पर ही प्रान्तों की रचना मानी है। *

अन्य विदेशी राज्य—भारत के अन्य विदेशी राज्यों से अभिप्रायः उन भागों से है जो अंगरेज़ों के अतिरिक्त अन्य योरपियन शक्तियों के अधीन हैं। यनाम, माही, कारीकल, पांडेचरी, और चन्द्रनगर फ्रांस के अधीन हैं। इनका क्षेत्रफल दो सौ वर्ग मील और जन संख्या पौने तीन लाख से कुछ कम है। इन स्थानों में पांडेचरी मुख्य है। यही इन सब की राजधानी है, जिसमें इनका प्रबन्ध करने के लिए एक गवर्नर तथा उसकी सहायतार्थ, एक मन्त्री, कुछ विविध विभागों के सेक्रेटरी और एक न्यायाध्यक्ष रहते हैं। फ्रांस की भारतीय प्रजा को एक ऐसा अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश भारत के

---

* कांग्रेस के संगठन के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रान्त इस प्रकार हैं:—

(१) हिंदी या हिंदुस्तानी—संयुक्त प्रान्त, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा और ब्रिटिश राजपूताना, कुछ मध्य प्रान्त, और बिहार। (२) बंगला-बंगाल और सुरमाघाटी। (३) मराठी—महाराष्ट्र, बरार, कुछ बम्बई शहर और कुछ मध्य प्रान्त। (४) गुजराती—गुजरात। (५) तेलगू—आन्ध्र। (६) तामिल-मद्रास। (७) बर्मी-बर्मा। (८) आसामी—आसाम। (९) उड़िया—उत्कल, उड़ीसा। (१०) पंजाबी—पंजाब। (११) सिंधी—सिंध। (१२) कानड़ी—करनाटक। (१३) मालयी—करेल। भिन्न भिन्न देशी रियासतों में भी इन्हीं में से कोई न कोई सी भाषा व्यवहृत होती है।

निवासियों को प्राप्त नहीं है, अर्थात् तीन लाख से कम जन संख्या के रहते वे अपनी ओर से दो प्रतिनिधि फ्रांस की पार्लीमैंट में भेज सकते हैं।

गोवा, डामन और ड्यू पुर्तगाल के अधीन हैं। इनका क्षेत्रफल केवल साढ़े तेरह सौ वर्ग मील और जन संख्या लगभग साढ़े पांच लाख है। इन स्थानों के प्रबन्ध के लिये एक गवर्नर-जनरल, गोवा (राजधानी) में रहता है। उसकी, प्रायः पांच साल में बदली होती है। उसकी प्रबन्धकारिणी और व्यवस्थापक दोनों प्रकार की सभायें हैं।

दूसरा परिच्छेद

ब्रिटिश साम्राज्य का शासन

प्राक्कथन—भारतवर्ष के शासन का ब्रिटिश पार्लिमेंट और सम्राट से घनिष्ट सम्बन्ध है। ब्रिटिश भारत तो इनके अधीन ही है, देशी रियासतों पर भी इन्हें बहुत अधिकार प्राप्त हैं। पुनः भारतवर्ष का शासन बहुत कुछ ब्रिटिश संयुक्त राज्य तथा उसके स्वाधीन उपनिवेशों की शैली पर चलाने का प्रयत्न किया जारहा है। इस लिए यहां ब्रिटिश साम्राज्य की शासन व्यवस्था की कुछ मुख्य मुख्य बातें दी जाती हैं।

बादशाह और शाही ख़ानदान—इंगलैंड‡ का बादशाह वंशागत अर्थात पैत्रिक सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है, अपने गुण कर्मानुसार नहीं होता। सिंहासन का अधिकारी प्रोटेस्टेंट मत का ही ईसाई हो सकता है, रोमन कैथलिक मत का ईसाई नहीं हो सकता। पुरुष भी गद्दी पर बैठ सकता है और स्त्री भी; परन्तु शाही ख़ानदान में भाई का अधिकार बहिन के अधिकार से अधिक माना जाता है। शाही परिवार के ख़र्चे के लिए राष्ट्रीय कोष से प्रति वर्ष एक निर्धारित रक़म दी जाती है बादशाह के बड़े लड़के को 'प्रिंस-आफ़-वेल्ज़' (युवराज) कहते हैं।

बादशाह के अधिकार—बादशाह के कुछ ऐसे अधिकार हैं, जिन्हें वह पार्लिमेंट की सम्मति या स्वीकृति बिना भी कार्य में ला सकता है। * परन्तु, आम तौर से बादशाह इन अधिकारों को अपने मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं लाता।

---

‡इस पुस्तक में इंगलैंड से अभिप्राय: ब्रटिश द्वीप अर्थात् इंगलैंड, वेल्ज़ तथा स्काटलैंड के संयुक्त राज्य, और आयलैंड से है। इन में इंगलैंड ही प्रधान है।

* उनमें मुख्य यह हैं:—(१) विदेशी नरेशों या राज्यों से संधि या युद्ध करना, (२) दूसरों को रईस, नाइट, सरदार, (लार्ड) तथा अन्य उपाधि देना, (३) सार्वजनिक पदों के लिये किसी को नियुक्त करना अथवा किसी पदाधिकारी को बर्ख़ास्त करना, (४) अपराधी पुरुषों को क्षमा प्रदान करना।

ब्रटिश शासन पद्धति का एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि बादशाह कोई ग़लती नहीं कर सकता। बात यह है कि वह किसी भी राज्य-कार्य का उत्तरदायी नहीं। सब कामों के उत्तरदाता मंत्री हैं, उनकी सम्मति या अनुमति बिना बादशाह कुछ नहीं करता। जिन प्रस्तावों को पार्लिमेंट स्वीकार करले, वह नियम बन जाते हैं। बादशाह के हस्ताक्षर रीति पूरी करने के लिए कराये जाते हैं।

पार्लिमेंट—ब्रिटिश पार्लिमेंट की दो सभायें हैं, अङ्गरेज़ी सरदार सभा या हाउस-आफ़-लार्ड्स (House of Lords), और अङ्गरेज़ी प्रतिनिधि सभा या हाउस-आफ़-कामन्स (House of Commons)। 'लार्ड्स' का अर्थ है स्वामी या प्रभु, और 'कामन्स' का अर्थ है सर्व साधारण। अंगरेज़ी सरदार सभा में लगभग ७०० सदस्य हैं। इनमें से छः सौ से अधिक वंशागत और शेष में कुछ तो पादरी, कुछ स्काटलैंड और आयर्लैण्ड के चुने हुए सरदार और छः जज हैं। इसी प्रकार इस सभा में विशेष आधिक्य वंशागत सदस्यों का होता है। ये लोग बहुत स्वभाव से ही परिवर्तन-विरोधी या अनुदार होते हैं। देश के व्यवस्था कार्य में इनका हाथ होने से जहां यह लाभ है कि ये क्रान्तिकारी परिवर्तनों को रोकने में सहायक होते हैं, वहां यह बड़ी हानि भी है कि इनके कारण कोई सुधार होने में बहुत अधिक विलम्ब हो जाता है।

अङ्गरेज़ी प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। उनकी कुल संख्या छः सौ पन्द्रह है। निर्वाचकों और निर्वाचित होने वाले सदस्यों में निर्धारित गुण होना आवश्यक है। १९१८ के क़ानून से औरतों को भी मत देने का अधिकार

है। लगभग २,१७,७६,००० व्यक्ति अर्थात् कुल जनता में से आधे के लगभग निवासी निर्वाचन में मत दे सकते हैं, इन में से ८१ लाख के लगभग औरतें हैं। इस सभा का प्रत्येक ग़ैर-सरकारी सदस्य सन् १६११ ई० से ४०० पौंड वार्षिक वेतन पाता है। सदस्यों का निर्वाचन प्रति सातवें वर्ष होता है। यह समय पार्लिमैंट द्वारा बढ़ाया जा सकता है। प्रधान मंत्री की सिफ़ारिश से बादशाह नया निर्वाचन, सात वर्ष से पहिले भी कर सकता है।

व्यवस्था--कोई क़ानून (ऐक्ट) बनने से पहिले सम्राट और पार्लिमैंट की दोनों सभाओं का एक मत होना आवश्यक है। साधारण तौर से क़ानून के मसविदे तीन प्रकार के होते हैं। (१) सार्वजनिक, जो जनता के सम्बन्ध में हो, (२) व्यक्तिगत, जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से सम्बध रखता हो, (३) धन सम्बन्धी, जो सार्वजनिक कामों के लिए रुपया देने या टैक्स लगाने आदि के सम्बन्ध में हो। धन सम्बन्धी मसविदे केवल प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ होते हैं। उनको छोड़ कर दूसरे मसविदे किसी भी सभा में आरम्भ हो सकते हैं। हर एक सभा दूसरी सभा के पास किये मसविदे का संशोधन कर सकती है, लेकिन सरदार सभा धन सम्बंधी मसविदों का संशोधन नहीं कर सकती। इस सभा के अधिकारों में यह कमी सन् १९११ ई० से हुई है। उसी समय से यह भी नियम होगया है कि अगर कोई मसविदा सरदार सभा से दो बार अस्वीकृत होजाय तो प्रतिनिधि सभा से तीसरी बार स्वीकृत होने पर उसे बादशाह की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, और उसकी स्वीकृति मिल जाने पर

वह क़ानून बन जाता है। इन विशेष दशाओं के अतिरिक्त साधारणत: हरएक मसविदा सम्राट् की स्वीकृति पाने से पूर्व दोनों सभाओं में तीन बार पढ़ा जाना और पास होना आवश्यक है। प्राय: दोनों सभायें सहमत हो जाती हैं, या मत भेद की दशा में कुछ समझौता कर लेती हैं। यद्यपि पार्लिमैंट को शासन और प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार भी हैं, उसने अपने ये अधिकार छोटी छोटी संस्थाओं—प्रिवी कौंसिल, मंत्री मण्डल आदि—को दे दिये हैं।

गुप्त सभा—बादशाह को शासन कार्य में परामर्श देने के लिए एक गुप्त सभा अर्थात् प्रिवी कौंसिल रहती है। इसके सदस्यों को बादशाह स्वयं नियत (अथवा बर्ख़ास्त) करता है। राजनैतिक महत्व या राज्य-परिवार से सम्बन्ध रखने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के महाशय इस सभा के सदस्य होते हैं। सभा का प्रधान लार्ड प्रेसीडेन्ट कहलाता है; यह हमेशा मंत्री मंडल का सदस्य होता है। बादशाह का देहान्त होते ही गुप्त सभा का अधिवेशन होकर उसका उत्तराधिकारी नियत किया जाता है जो स्वदेश के प्रचलित क़ानूनों के अनुसार शासन करने की प्रतिज्ञा करता है।

गुप्त सभा की एक जुडिशल (न्याय सम्बन्धी) कमेटी भारतवर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की अदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनने का अधिकार रखती है। गुप्त सभा के कुल सदस्योंकी सख्या ३०० से ऊपर हो जाती है। इसके बहुत बड़ी होने के कारण बादशाह को सलाह देने का काम अधिकांश में मंत्री मंडल करता है।

मंत्री मंडल—शासन सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस राजनैतिक दल या पार्टी के आदमियों में से नियत किये जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि सभा में सब से अधिक हो, या जो विशेष प्रभावशाली हो और इतने अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सके कि कुल सदस्य विरोधी दल के सदस्यों से अधिक हो जांय। ये पदाधिकारी लगभग पचास होते हैं और मंत्री या मिनिस्टर (Ministers) कहलाते हैं। इनके समूह को मंत्री दल अर्थात् मिनिस्टरी कहते हैं।

कुछ मुख्य मुख्य विभागों के मंत्रियों की एक अन्तरंग सभा होती है। इसे मंत्री मण्डल या केबिनेट (Cabinet) कहते हैं। मंत्री दल के अन्य मंत्री, मंत्री मण्डल की सभाओं में नहीं बैठ सकते, तथापि जब नया मंत्री मंडल बनता हैं तो प्रधान मंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री मंडल को ब्रिटिश राज्य चक्र की धुरी समझना चाहिये। यह सब शासन कार्य का उत्तरदायी है। इसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त लगभग २० मंत्री रहते हैं। यह संख्या भिन्न भिन्न समयों में पृथक् पृथक् रही है, परन्तु कोषाध्यक्ष, सरदार सभा का प्रधान, गुप्त सभा का प्रधान, आय व्यय का मंत्री, विदेश, स्वदेश, उपनिवेश, युद्ध, तथा भारतवर्ष का एक एक मंत्री चिरकाल से मंत्री मंडल के सदस्य रहे हैं। गत महायुद्धके समय विमान विभाग, युद्ध विभाग, तट रक्षा विभाग के मंत्री बढ़ाये गये हैं।

जब एक मंत्री मंडल त्याग पत्र देता है तो बादशाह दूसरा मंत्री मंडल बनाने के लिए किसी दूसरे राजनीतिज्ञ को, प्रायः

विरोधी दल के मुखिया को, बुलाता है। अगर यह राजनीतिज्ञ अपने कार्य में सफल होता है तो प्रधान बन जाता है।

प्रधान मन्त्री, मन्त्री मंडल के अधिवेशनों में सभापति होता है और सरकार की नीति ठहराता है और अन्य विविध विभागों की निगरानी करता है। मन्त्रियों में से हर एक अपने अपने विभाग का काम स्वतन्त्र रूप से करता है परन्तु यह आशा की जाती है कि वह हर एक महत्व के विषय पर प्रधान मन्त्री की सलाह ले ले। भारत मन्त्री के विषय में विशेष उल्लेख आगे चौथे परिच्छेद में किया जायगा।

राजनैतिक दलबन्दी—अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में इंगलैंड में कंज़र्वेटिव (Conservative) या अनुदार तथा लिबरल (Liberal) या उदार ये दो ही दल प्रधान थे। उन्नीसवीं शताब्दी में क्रमशः इन के अन्तर्गत कुछ पृथक् समूह बन गये, तथा इनके अतिरिक्त मज़दूर दल की वृद्धि होने लगी। तथापि महायुद्ध से पहिले तक उपर्युक्त दो ही दलों के मंत्री-मण्डल बारी बारी से सङ्गठित होते रहे। महायुद्ध के समय में दलबन्दी तोड़ दी गयी। उदारों की प्रधानता होते हुए भी राज्य कार्य में सब दलों के नेताओं ने भाग लिया। १९२४ में मज़दूर दल के इतने सदस्य पार्लिमैंट में निर्वाचित हो गये कि इंगलैंड के इतिहास में सर्व प्रथम इस दल को, उदारों की सहायता से, अपना मंत्री मंडल बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। परन्तु उदारों की सहायता पर आश्रित रहने के कारण इस नये मन्त्री मंडल की स्थिति बहुत कमज़ोर रही, नौ महीने में उदारों और अनुदारों ने मिल कर इसे परास्त कर दिया*। इस समय अनुदार दल का शासन है।

---

* उदार और अनुदार दल अनेक विषियों में मत भेद रखते हुए भी

नये निर्वाचन के अवसर पर प्रत्येक दल साम्राज्य सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर अपनी अपनी नीति की घोषणा कर निर्वाचकों से अपने लिए मत संग्रह करने का प्रयत्न करते हैं।

इंगलैंड का शासन कैसा है; राजतंत्र या प्रजा तंत्र? हम बता चुके हैं कि इंगलैंड में बादशाह के अधिकार सिद्धान्त रूप से अपरिमित एवं असामान्य होने पर भी व्यवहार में महत्व-हीन हैं। वास्तव में बादशाह केवल राजगद्दी को सुशोभित करता है। इस बात से उन लोगों को संतोष होता है जो पुरानी बातों से प्रेम करने के कारण राजा को हटाने में संकोच करते हैं, या स्वभाव से उस में श्रद्धा रखते हैं। इनके विपरीत प्रजा के एक बड़े अंश के आदमियों का मत है कि राजतंत्र प्रणाली बहुत खराब है। वे चाहते हैं कि राजा न रहे, या रहे तो नहीं के बराबर। उन के संतोष के लिए बादशाह के प्रायः सब अधिकार मंत्री मंडल को देदिये गये हैं।

इस प्रकार इंगलैंड में दो तरह की इच्छाओं के मिलने से वर्तमान शासन प्रणाली बन गयी है। यह न राजतंत्र है और न प्रजातंत्र है। यह दोनों का मेल है। ऐसे राज्य को परिमित या नियम बद्ध राजतंत्र कहा जाता है, वास्तव में यह कतिपय धनवानों के योग से बना हुआ, मंत्री मंडल का शासन है।

ब्रिटिश साम्राज्य—इस परिच्छेद में अभीतक ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ-प्रदेश अर्थात् ब्रिटिश द्वीपों की शासन पद्धति का वर्णन हुआ। इन के अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य में स्वाधीन,

---

साम्राज्यवाद के प्रश्न पर प्रायः सहमत हैं, और इस लिए मज़दूर दल के विरोधी हैं, जो कुछ कुछ साम्यवादी, और अधिकांश समझौता-वादी हैं।

पराधीन सभी तरह के भू-भाग हैं। केनेडा, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, और आयरिश फ्रीस्टेट को अपने आन्तरिक शासन के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। इन देशों में उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचलित है। भारतवर्ष का राजनैतिक ध्येय भी यही माना गया है। इस लिए इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना उपयोगी होगा।

उत्तरदायी शासन—स्वाधीन उपनिवेशों में प्रचलित उत्तरदायी शासन पद्धति की मुख्य मुख्य बातें ये हैं—

(१) प्रधान शासक के नाम से शासन सम्बन्धी सब कार्य किये जाते हैं। वह व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं होता; इस लिए वह उसके द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता। इसे गवर्नर जनरल, या गवर्नर कहते हैं।

(२) उसके कार्य मंत्रियों के परामर्श से, और उन्हीं के उत्तरदायित्व पर होते हैं। मंत्री, नाम मात्र से उसके द्वारा, परन्तु वास्तव में प्रजा प्रतिनिधियों द्वारा, साधारणतः (अनिवार्य रूप से नहीं) व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों में से चुने जाते हैं।

(३) इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधि, अपने निर्वाचित मंत्रियों द्वारा, देश का वास्तविक शासन करने वाले होते हैं।

(४) जब प्रतिनिधि सभा का इन मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहता, ये (यदि ये व्यवस्थापक मंडल बर्खास्त नहीं करते) त्यागपत्र दे देते हैं और उनके स्थान पर नये मन्त्री चुने जाते हैं।

(५) इस प्रकार प्रबन्धक और व्यवस्थापक शक्ति उस दल के हाथ में होती है, जिसका प्रतिनिधि सभा में बहुमत हो।

(६) व्यवस्थापक मंडल और मंत्री मंडल अपनी विवाद-ग्रस्त बातों को न्याय विभाग के सन्मुख रखे बिना ही तय कर लेते हैं।

आस्ट्रेलिया का उदाहरण—सन् १९१९ ई० के सुधारों द्वारा भारतवर्ष की शासन शैली को क्रमशः ब्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के, और विशेषतया आस्ट्रेलिया के ढांचे पर लाने का प्रयत्न होरहा है। अतः हम आस्ट्रेलिया की शासन प्रणाली की कुछ मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं। यहां का गवर्नर-जनरल इंगलैंड के बादशाह की तरह विविध अधिकार रखता है, परन्तु जैसे बादशाह अपने अधिकारों का उपयोग मंत्री मंडल की सम्मति बिना नहीं करता, वैसे ही आस्ट्रेलिया का गवर्नर जनरल भी साधारणतः अपनी प्रबन्धकारणी के विरुद्ध कुछ नहीं करता। गवर्नर-जनरल बादशाह की ओर से नियुक्त होता है और ब्रिटिश पार्लिमैंट के प्रति उत्तरदायी रहता है। उसके मंत्री मंडल में नौ मंत्री रहते हैं, जो वहां की व्यवस्थापक सभा के प्रति पूर्णतः उत्तर-दायी होते हैं।

यहां की पार्लिमैंट में दो सभायें होती हैं, सिनेट और प्रतिनिधि-परिषद्। सिनेट में, छः रियासतों में से प्रत्येक के छः छः, इस प्रकार कुल ३६ सदस्य होते हैं, जो सर्व साधारण की सम्मति से छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रतिनिधि-परिषद् के सदस्यों का चुनाव तीन वर्ष के लिए, जन संख्या के अनुपात

से, होता है, लेकिन प्रत्येक रियासत के कमसे कम पांच प्रतिनिधि होते हैं। कुल प्रतिनिधियो की संख्या लगभग ७२ होती है। इस उपनिवेश में प्रत्येक बालिग़ स्त्री पुरुष को निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार है। धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे केवल प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ किये जाते हैं।

आस्ट्रेलिया के सब (छः) प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रान्तों में भी दो दो व्यवस्थापक सभायें हैं, जिन्हें टैक्स लगाने का भी अधिकार है।

साम्राज्य परिषद्—इस का उद्देश्य साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करना है। इस के स्वीकृत प्रस्ताव केवल परामर्श रूप में होते हैं, और विरुद्ध मत रखने वालों पर वाध्य नहीं होते। इंगलैंड और स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मंत्री, अन्य उपनिवेशों की ओर से ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश मंत्री, और भारतवर्ष की ओर से भारत मंत्री इस परिषद् के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य को अपने साथ कुछ सलाहकार लाने का अधिकार है परन्तु साम्राज्य के प्रत्येक भाग की सरकार का केवल एक मत (वोट) रहता है। इंगलैंड का प्रधान मंत्री इस परिषद् का सभापति होता है। परिषद् की बैठक दूसरे तीसरे वर्ष होती है। इसके पिछले अधिवेशन सन् १९२३ और १९२६ ई० में हुए थे।

साम्राज्य परिषद में स्वराज्यभोगी उपनिवेशों के मंत्री अपने अपने देशवासियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इस लिए उनका मत प्रकट करते हैं, परन्तु भारत मन्त्री और उसके

सलाहकार, भारतवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इन्हें भारतवर्ष का प्रतिनिधि कहना सर्वथा अशुद्ध और हास्यास्पद है।

ब्रिटिश साम्राज्य और भारतवर्ष—यों तो भारतवर्ष की जन संख्या और क्षेत्रफल इसे एक विशाल साम्राज्य बनाते हैं, परन्तु वर्तमान राजनैतिक स्थिति में यह ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग मात्र है, और कई बातों में इस का दर्जा ब्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त भागों से बहुत कम है। उन में बहुत समय से उत्तरदायी शासन है, भारतवर्ष में इसका श्रीगणेश ही किया जारहा है।

तीसरा परिच्छेद

भारतीय शासन नीति विकास

"स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम उसे लेंगे।

—स्व० लो० तिलक

अंगरेजों का समय—मोटे हिसाब से भारतीय इतिहास में अंगरेज़ों का समय चार भागों में विभक्त किया जासकता हैः—

१—सन् १६०० से १७५७ ई० तक, लगभग डेढ सौ वर्ष। इस समय में अंगरेज़ी ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारतवर्ष में अपने व्यापार की वृद्धि की।

२—सन् १७५७ से १८५७ ई० तक, सौ वर्ष। इस समय में कम्पनी के राज्य का विस्तार हुआ। सन् १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश पार्लिमेंट ने भारतीय शासन की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली।

३—सन् १८५८ से १९१७ ई० तक, लगभग साठ वर्ष। इस समय में शिक्षा का कुछ प्रचार हुआ। रेल तार डाक सिंचाई और स्वास्थ आदि की उन्नति हुई। १८८४ ई० से स्थानीय स्वराज्य का कार्य क्रमशः बढ़ाया गया। शासन व्यवस्था में कुछ सुधार हुए।

४—सन् १९१७ ई० से अब तक। इस समय में शासन सुधार, उत्तरदायी शासन नीति का व्यवहार, स्वराज्य प्राप्ति के लिए जनता का असहयोग आदि आन्दोलन, तथा सरकार की ओर से उसका दमन हुआ।

पार्लिमेंट की व्यवस्था—कम्पनी की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। पार्लिमेंट सन् १७७३ ई० से प्रति बीसवें वर्ष, भारत के सुशासन के लिए कानून बनाती रही। परन्तु शासन व्यवस्था में भारत-वासियों का कुछ हाथ न रहा। सन् १८५८ ई० में पार्लिमेंट की सम्मति से इंगलैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन सम्बन्धी सब अधिकार अपने हाथ में ले लिये और राजकीय घोषणा द्वारा देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने, प्रजा के धार्मिक विचारों में हस्तक्षेप न करने, उसे जाति या धर्म का पक्षपात न कर योग्यतानुसार नौकरियां

देने, तथा उस के साथ ब्रिटिश प्रजा के समान व्यवहार करने की प्रतिज्ञा की।

उक्त वर्ष में ही "भारतवर्ष को बेहतर तरीक़े से शासन करने" का क़ानून पास हुआ। इसके अनुसार भारतवर्ष के लिए एक राज-मंत्री (भारत मंत्री) और उसकी कौंसिल (इंडिया कौंसिल) की सृष्टि हुई। इनका तथा अन्य शासन सम्बन्धी सुधारों या परिवर्तनों का आगे प्रसंगानुसार उल्लेख किया जायगा।

सन् १८६१ ई० के 'इंडिया कौंसिलस एक्ट' के अनुसार पहिले बम्बई बंगाल मद्रास में और पीछे क्रमशः कुछ अन्य प्रान्तों में व्यवस्थापक परिषदें स्थापित की गयीं, उन में कुछ भारतीय सदस्यों की भी नियुक्ति हुई। १८९२ से म्युनिसिपैलिटी आदि संस्थाओं तथा जागीरदार आदि विशेष व्यक्ति-समूहों को व्यवस्थापक परिषदों के लिए सदस्य निर्वाचित करके भेजने का कुछ अधिकार मिला।

राष्ट्रीय आन्दोलन—उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यहां शासन सुधार का वैध और संगठित आन्दोलन आरम्भ हुआ। कुछ सभा समितियों की स्थापना के पश्चात् सन् १८८५ ई० में यहां भारतीय नेशनल कांग्रेस अर्थात् राष्ट्रसभा का जन्म हुआ और राजनैतिक जागृति का कार्य होने लगा। तथापि अनुदार अधिकारियों का अभाव नहीं रहा। लोकमत की अवहेलना कर अधिकारियों ने बंग-विच्छेद जैसा अप्रिय कार्य कर डाला। इससे शासन सुधार का आन्दोलन बढ़ता गया। सन् १९०९ ई० के गवर्मेंट-आफ़-इंडिया एक्ट के अनुसार किये

हुए मार्ले-मिन्टो सुधार कुछ विशेष सन्तोषप्रद न हुए। १६११ में सम्राट जार्ज की घोषणानुसार बंगाल के दो टुकड़े जोड़ दिये जाने से जनता कुछ प्रसन्न हुई, परन्तु असन्तोष के बहुत से कारण बने रहे। धीरे धीरे लोगों को यह मालूम होगया कि शासन पद्धति में महान परिवर्तनों की आवश्यकता है।

योरपीय महायुद्ध—भारतवासी जागृत हो रहे थे कि, सन् १६१४ ई० से आरम्भ होने वाले योरपीय महायुद्ध ने नयी लहर पैदा करदी। युद्ध में भारतवासियों ने अंगरेज़ों की सहायता के लिए भरसक बलिदान किया। सम्भवतः इसके फल स्वरूप साम्राज्य युद्ध-सभा में, एवं पेरिस की संधि-सभा में भारतवर्ष को भी अपने (नामज़द) प्रतिनिधि द्वारा, साम्राज्य के अन्य भागों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेने का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त राष्ट्र-संघ (League of Nations) का एक सभासद, भारतवर्ष भी बना। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों द्वारा बार बार छोटे छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता और स्वभाग्य निर्णय के सिद्धान्त के नाम पर अपील की गयी। इन सब बातों से उत्साहित होकर भारतवासियों ने भी अपने जन्म-सिद्ध अधिकार-स्वराज्य—की प्राप्ति का प्रयत्न बढ़ाया।

सुधार योजनायें—सन् १९१६ ई० में मालूम हुआ कि साम्राज्य के शासन की एक योजना तैयार हो रही है तथा भारत सरकार ने भावी सुधारों के विषय में अपनी योजना इंगलैंड भेजी है। इस अवसर पर भारतीय व्यवस्थापक सभा के १९ ग़ैर सरकारी सदस्यों ने सुधारों का एक मसविदा उपस्थित किया, और भी कई एक सुधार-योजनायें तैयार

हुई। सब से अधिक महत्व की योजना राष्ट्रीय नेताओं की बनायी हुई थी, इसका लक्ष्य स्वराज्य-प्राप्ति था। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, दोनों से स्वीकृत होजाने पर, इस योजना का नाम 'कांग्रेस-लीग स्कीम' प्रसिद्ध हुआ।

नवीन नीति की घोषणा—अन्ततः यह निश्चय हुआ कि ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में ब्रिटिश शासन नीति की स्पष्ट घोषणा की जाय और भारत मंत्री यहां आकर इस देश की दशा स्वयं देखें। २० अगस्त १९१७ को अंगरेज़ी प्रतिनिधि सभा में भारत मंत्री ने नवीन नीति की घोषणा की, जिसकी मुख्य बातें यह हैं:—

१—भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का ध्येय, रखा जाय।

२—इस की प्राप्ति के लिए भारतवासियों को शासन व्यवस्था के प्रत्येक भाग में क्रमशः अधिकाधिक भाग दिया जाय।

३—शासन-व्यवस्था में भावी सुधार, उन लोगों के सहयोग पर निर्भर रहेगा, जिन को उत्तरदायी कार्य करने का अवसर दिया जाता है।

४—भारतवर्ष जो उन्नति करे, वह ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहते हुए ही करे।

५—भारतवर्ष की राजनैतिक उन्नति क्रमशः, मंज़िल दर मंजिल ही हो सकती है।

६—प्रान्तीय सरकारों को आन्तरिक शासन के लिए, भारत सरकार से अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जाय।

७—उन्नति-क्रम के समय और सीमा का निर्णय ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार करेंगी, (भारतीय जनता नहीं)।

इस नीति का अंतिम भाव बहुत असंतोष-प्रद रहा, क्यों कि इस से सूचित होता था कि भारतवर्ष को स्वयं अपना भाग्य निर्णय करने का अधिकार नहीं।

मान्ट-फोर्ड रिफ़ार्म स्कीम--भारत मंत्री श्री० मांटेग्यू नवम्बर सन् १९१७ ई० में यहां आये। वे अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं से मिले और विविध प्रस्ताव-पत्र लेने के पश्चात् उन्होंने सब प्रान्तिक सरकारों तथा भारत सरकार से परामर्श कर लार्ड चेम्सफोर्ड (वायसराय) के साथ मिलकर शासन सुधारों की योजना तैयार की। यह मांटेगू-चेम्सफोर्ड स्कीम अथवा संक्षेप में मांट-फोर्ड स्कीम कही जाती है।

तीन कमेटियां--इस स्कीम के अनुसार तीन कमेटियां बैठायी गयीं, एक यह सिफ़ारिश करने के लिए कि किन किन लोगों को भावी परिवर्द्धित व्यवस्थापक सभाओं के लिए सदस्य चुनने का अधिकार दिया जावे। दूसरी कमेटी इस विषय पर सम्मति देने के लिए थी, कि शासन कार्य के कौन कौन से विभाग सरकारी मेम्बरों के अधीन (रिज़र्वड या सुरक्षित) रहें और कौन से विभाग ग़ैर सरकारी अर्थात् प्रजा के मंत्रियों को समर्पित (ट्रान्सफ़र्ड या हस्तान्तरित) कर दिये जांय। तीसरी कमेटी इस विषय पर राय देने के लिये बैठायी

गयी थी कि इंगलैंड में भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी, इंडिया-कौंसिल आदि की, जो व्यवस्था है, उस में क्या क्या परिवर्तन होने चाहियें।

नया सुधार क़ानून—इन कमेटियों तथा भारत सरकार और प्रान्तिक सरकारों के मतों के आधार पर शासन सुधार का मसविदा पार्लिमैंट में पेश हुआ। उस पर भिन्न भिन्न मतों के लोगों की गवाहियां तथा जिरह हुई। पार्लिमैंट की संयुक्त कमेटी ने कुछ संशोधन किये, कुछ परिवर्तनों के साथ शासन सुधार का मसविदा पास हो गया और सम्राट की स्वीकृति से २३ दिसम्बर १९१९ को यह क़ानून बन गया। इसे काम में लाने के लिए नियम बनाने का अधिकार भारत मंत्री और भारत सरकार को दिया गया। ये नियम १९२० में बने। तदुपरान्त सुधार क़ानून कार्य रूप में परिणत किया गया।

सिलेक्ट कमेटी—भारतीय विषयों पर विचार करने के लिए पार्लिमैन्ट की एक विशेष समिति (सिलेक्ट कमेटी) प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में नियुक्त होती है। यह समय समय पर भारतीय विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है और पार्लिमैंट में भारतीय आय व्यय के वार्षिक वादानुवाद से पहिले अपनी रिपोर्ट देती है; इस से पार्लिमैन्ट को यहां के सम्बन्ध में विचार करने का विशेष अवसर मिल सकता है।

नवीन शासन व्यवस्था—सुधार क़ानून का उद्देश्य भारतवासियों को उत्तरदायी शासन अधिकार देना है। परन्तु, अभी केन्द्रीय शासन में उसका आरम्भ नहीं किया गया है; भारत सरकार ब्रिटिश पार्लिमैंट के ही प्रति उत्तर-

दायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। केवल नौ प्रान्तों का शासन कुछ अंश में उत्तरदायी किया गया है। मताधिकार के संशोधित नियमों के अनुसार व्यवस्थापक संस्थाओं के लिए ७५ लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार मिला है। सब व्यवस्थापक संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों का आधिक्य रखने की व्यवस्था की गयी है।

उत्तरदायी शासन पद्धति की मुख्य मुख्य बातों का वर्णन पिछले परिच्छेद में किया जा चुका है। संक्षेप में इसका तात्पर्य यह है कि प्रबन्ध कारिणी के सदस्य प्रजा-प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों और, उनके द्वारा वे हटाये भी जा सकें। इस पद्धति से पूर्णतया लाभ उठाने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि निर्वाचक संघ इतने विस्तृत हों कि सर्व साधारण के भिन्न भिन्न हितों और स्वार्थों के प्रतिनिधि कहे जा सकें और वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव बुद्धिमता से कर सकें, और, दूसरे यह कि शासन प्रबन्ध में यह बात आमतौर से मानी जाय कि प्रबन्ध कारिणी के सदस्य तभी तक अपने पद पर स्थित रहें जब तक व्यवस्थापक संस्था में बहुमत उनके पक्ष में हो। *

* आधुनिक उत्तरदायी शासन पद्धति के साथ राजनैतिक दलबन्दी अनिवार्य है। यह बहुधा दोष-पूर्ण होती है। सदस्यों को अपने दल (पार्टी) की विजय के लिए बड़े दाव पेंच का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उन्हें विषय-ज्ञान न होते हुए अथवा विपरीत सम्मति रखते हुए भी उस ओर मत देना पड़ता है जिस ओर उनके दल के अन्य सदस्य मत देते हों। सच्चे स्वराज्य में, इस प्रकार आत्मा और सत्य का घात करने वाली, ऐसी बातों को सर्वथा त्याग देना चाहिये।

सुधारों के पश्चात्—सन् १९१९ ई० की कांग्रेस ने सुधारों को असंतोषप्रद, अपूर्ण और निराशा-जनक घोषित किया। पश्चात् पंजाब हत्याकांड और खिलाफ़त सम्बन्धी निर्णय से दुःखी होकर अधिकांश भारतीय जनता ने म० गान्धी के नेतृत्व में असहयोग का मार्ग ग्रहण कर लिया। ‡ १९२० में कांग्रेस के उद्देश्य में से भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहने की बात निकालदी गयी। सन् १९२० में नये सुधारों के अनुसार व्यवस्थापक सभाओं का पहिला निर्वाचन हुआ। अनेक योग्य व्यक्तियों ने असहयोगी होने के कारण उसमें भाग न लिया। १९२२ में म० गांधी के जेल में बन्दी किये जाने पर कुछ असहयोगियों ने अन्य बहिष्कारों में श्रद्धा रखते हुए भी, कौंसिलों में भाग लेना और थोथे सुधारों को नष्ट करना उचित समझा। ये स्वराजिस्ट कहलाते हैं। * सुधारों के बाद १९२३ में जब व्यवस्थापक सभाओं का दूसरा निर्वाचन हुआ, उस में इन्हों ने यथाशक्ति भाग लिया।

---

‡ इस सम्बंध में लेखक की 'भारतीय राष्ट्र निर्म्माण' पुस्तक के 'कांग्रेस और स्वराज्य आन्दोलन' शीर्षक परिच्छेद का विषय ज्ञातव्य है।

* स्वराज्य दल के कुछ सज्जनों का अब यह मत है कि सरकार के केवल उन्हीं प्रस्तावों का विरोध किया जाय जो हानिकर प्रतीत हों; इसके विपरीत जो विषय जनता के लिए हितकर मालूम हों, उनमें सरकार का समर्थन किया जाय अर्थात् उससे सहयोग रहे। इसी प्रकार यदि उचित जान पड़े तो सरकार द्वारा नियुक्त कमेटियों की मेम्बरी, अन्य सरकारी पद, एवं प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों का मंत्रित्व ग्रहण करने में भी कोइ आपत्ति न होनी चाहिये। ऐसे विचार वाले व्यक्ति प्रति-सहयोगी (Responsivist) कहलाते हैं।

सन् १९२३ ई० से १९२६ ई० तक, स्वराज्य दल के बहुमत से, बंगाल और मध्य प्रान्त में मंत्रियों का वेतन अस्वीकृत अथवा नाम मात्र को स्वीकृत होता रहा। १९२४ में स्वराज्य दल और स्वतंत्र दल ने मिलकर भारतीय व्यवस्थापक सभा में इस आशय का प्रस्ताव पास किया कि भारतवर्ष में विविध राजनैतिक दलों या स्वार्थों के प्रतिनिधियों का एक सर्व दल सम्मेलन (Round Table Conference) हो, और उसमें भावी शासन सुधारों का निश्चय किया जाय। भारत सरकार और भारत मंत्री ने इसे अस्वीकार किया। इसपर इन्होंने बजट की कई मदें तथा कर लगाने वाला मसविदा (Finance Bill) नामंजूर कर दिया। सरकार को अपने विशेष अधिकार द्वारा काम चलाना पड़ा।

सुधार जांच कमेटी—निदान, इस प्रकार सरकार के लिए व्यवस्थापक सभाओं के मतानुसार शासन चक्र चलाना बहुत कठिन होगया। अन्ततः सन् १९२४ ई० के अगस्त मास से भारत सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त की गयी। इसे इस प्रश्न पर विचार करना था कि सुधारों को अब तक अमल में लाने में क्या क्या क़ानूनी कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं और, सुधार क़ानून में विशेष परिवर्तन किये बिना, इन्हें किस प्रकार दूर किया जासकता है। कमेटी में आठ सदस्य थे-तीन अंगरेज़, और पांच हिन्दुस्थानी।

इस कमेटी की दो रिपोर्टें प्रकाशित हुईं। बहुमत ने कुछ कठिनाइयां दूर करने के उपाय बतलाये। अल्प मत ने यह सिद्ध किया कि सुधार क़ानून में विशेष परिवर्तन किये बिना शासन सम्बन्धी कठिनाइयां दूर नहीं की जासकतीं। भारत

सरकार ने अल्प-मत-रिपोर्ट अस्वीकार करके, भारतीय व्यवस्थापक सभा में बहु-मत-रिपोर्ट स्वीकार करने का प्रस्ताव उपस्थित किया।

राष्ट्रीय मांग—इस प्रस्ताव के संशोधन में, सितम्बर १९२५ में, भारतीय व्यवस्थापक सभा ने एक उप-प्रस्ताव पास किया, जिसका आशय, संक्षेप में इस प्रकार है :—

कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल शीघ्र ही सम्राट की सरकार से पार्लिमेंट में इस प्रकार की घोषणा करने को कहें जिससे भारतवर्ष की वर्तमान शासन व्यवस्था में निम्न लिखित आमूल परिवर्तन हों :—

१-भारतवर्ष की आय, और सम्पत्ति या अधिकार जो अब सम्राट के अधीन हैं या जो कौंसिल-युक्त भारत मंत्री को प्राप्त हैं, वे सब अब से आगे भारत सरकार के अधीन रहें।

२-भारत सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी रहे। केवल आगे लिखी हुई मदें, एक निर्धारित समय तक, भारत मंत्री के अधीन रहें।

(अ) एक निश्चित परिमाण तक, सैनिक व्यय,

(आ) राजनैतिक एवं विदेश में किया हुआ व्यय,

(इ) भारत मंत्री ने इस समय तक जो ऋण लिया है, और उसे जो कुछ देना है, उसका भुगतान।

उपर्युक्त निर्धारित समय के पश्चात्, भारतीय व्यवस्थापक

सभा शासन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी।

३-भारत मंत्री की कौंसिल तोड़ दी जाय। भारत मन्त्री का पद तथा कार्य वही रहे जो आज कल स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के मंत्री का है।

४-भारत के सेना विभाग का, एक निर्धारित समय में, भारतीयकरण होजाय और भारतीयों को देश रक्षा के प्रत्येक विभाग में नौकरी के लिए भरती किया जाय, और इस कार्य के लिए गवर्नर जनरल तथा कमांडर-इन-चीफ़ की सहायतार्थ एक मंत्री रहे जो व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी हो।

५-केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक संस्थाओं के कुल सदस्य निर्वाचित हों और, निर्वाचन अधिकार अधिकतम जनता को हो।

६-प्रान्तों के द्वैध शासन की वर्तमान पद्धति हटा दी जाय और, उसके स्थान पर पूर्ण उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचलित की जाय।

उपर्युक्त उप-प्रस्ताव में भारत सरकार से यह भी सिफ़ारिश की गयी कि (अ) भारतीय व्यवस्थापक सभा की सलाह से एक सर्व पक्षीय सभा निमंत्रित की जाय, जिस में समस्त भारत के हित-रक्षक प्रतिनिधि रहें, जो अल्प संख्यक लोगों के स्वार्थों का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त सिद्धान्तानुसार आवश्यक जांच के बाद, एक विस्तृत योजना बनावें और, (आ) उस योजना को स्वीकृति के लिए भारतीय व्यवस्था-

एक सभा के सन्मुख रखें और उसे 'स्टेट्यूट' (क़ानून) में सम्मिलित करने के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के पास भेजें।

इस उप-प्रस्ताव पर कुछ कार्रवाई न होते देख, सन् १९२६ ई० के मार्च में स्वराज्य दल भारतीय व्यवस्थापक सभा से उठ आये। सरकार को यह मांग स्वीकार करनी चाहिये, यह राष्ट्रीय मांग है।

शासन-सुधार-कमीशन—सन् १९१९ ई० के क़ानून में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि सन् १९२९ ई० में एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो भारतवर्ष की राज्यपद्धति, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की वृद्धि, और प्रतिनिधिक संस्थाओं के विकास तथा इस सम्बन्ध में अन्य विषयों की जांच करे, और इस बात की रिपोर्ट करे कि उस समय जो उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्रचलित हो उसे कहां तक बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक होगा। इसी में इस प्रश्न का विचार रहेगा कि प्रान्तिक व्यवस्थापक मंडलों में एक एक की जगह दो दो व्यवस्थापक परिषदों की स्थापना करना अभीष्ट है या नहीं।

यह कमीशन ब्रिटिश भारत या प्रान्तों संबन्धी ऐसे अन्य विषयों की भी जांच करके उनकी रिपोर्ट करेगा जिन के लिए सम्राट का आदेश हो।

भारतवासियों का अनुरोध था कि यह कमीशन शीघ्र ही, सन् १९२९ ई० से पूर्व ही, बैठाया जाय। परन्तु यह स्वीकार नहीं हुआ।

एक स्वराज्य योजना—वास्तव में स्वराज्य योजना

तैयार करने का अधिकार भारतवासियों को ही होना चाहिये; हां, ब्रिटिश पार्लिमेंट, ब्रिटिश स्वार्थों की दृष्टि से, उसपर विचार करले, और मूल सिद्धान्तों को न बदलते हुए कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव करदे। परन्तु, अन्तिम निर्णय भारतवासियों के ही हाथ में रहना चाहिये। अधिकारियों तथा ऐंगलो इंडियन लोगों का कहना है कि भारतीय नेताओं की कोई ऐसी स्वराज्य योजना नहीं है जो वहां के सब दलों और स्वार्थों के आदमियों को मान्य हो। यह एक बहाना मात्र है।

डाक्टर ऐनी बिसेन्ट तथा कुछ अन्य सज्जनों ने एक स्वराज्य योजना तयार की है जिसमें उपर्युक्त राष्ट्रीय मांगों का समावेश करने के अतिरिक्त नागरिकों के जन्म सिद्ध अधिकार भी दिये गये हैं। इस योजना के ब्रिटिश पार्लिमेंट द्वारा स्वीकृत होने पर, फिर कभी भारतवर्ष को अपनी शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट की सहायता की आवश्यकता न होगी।

इस योजना को यहां बहुत से नेताओं ने स्वीकार कर लिया है, और ब्रिटिश पार्लिमेंट के मज़दूर दल के सदस्यों ने इसे पार्लिमेंट में उपस्थित भी कर दिया है; परन्तु अनुदार दल के सदस्य, जिनका पार्लिमेंट में बहुमत है, अभी इसके विरुद्ध हैं। भारतवर्ष के विविध राजनैतिक दलों को मिलकर इसे स्वीकार कराने का आन्दोलन करना चाहिये।

——o——

चौथा परिच्छेद

भारतमंत्री और उसकी सभा

सन् १८५८ ई० से भारतीय शासन सम्बन्धी वे सब अधिकार, जो पहिले ईस्ट इंडिया कम्पनी को थे, भारत मंत्री को रहने लगे। भारत मन्त्री के दो सहायक मंत्री होते हैं। एक स्थायी, और दूसरा पार्लिमेंट की उस सभा का सदस्य और, जिसमें भारत मन्त्री न हो। भारत मंत्री के दफ्तर को 'इण्डिया आफ़िस' कहते हैं।

भारत मन्त्री और उसका कार्य्य—भारत मन्त्री को सम्राट, अपने प्रधान मन्त्री के परामर्श से, नियत करते हैं। ब्रिटिश मन्त्री मण्डल का सदस्य होने के कारण, भारत मन्त्री की नियुक्ति व बरखास्तगी वहां के अन्य राजमंत्रियों के साथ लगी हुई है। वह पार्लिमेंट के सामने मई महिने की पहिली तारीख़ के बाद, जिस दिन पार्लिमेंट का अधिवेशन आरम्भ हो उससे २८ दिन के भीतर, प्रति वर्ष भारतवर्ष के आय व्यय का हिसाब पेश करता है। उसी समय, वह इस बात की सविस्तर रिपोर्ट देता है कि गत आलोचनीय वर्ष की नैतिक, सामाजिक व राजकीय उन्नति किस प्रकार अथवा कितनी हुई है। ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी इस पर विचार करती है और भारत मन्त्री या उसका प्रतिनिधि इसे समझाने के लिए व्याख्यान देते हैं।

उस समय पार्लिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी विषयों पर आलोचना प्रत्यालोचना कर सकते हैं। इसे बजट की बहस कहते हैं।

समय समय पर पार्लिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक सूचना देते रहना भी भारत मन्त्री ही का काम है। सम्राट चाहें तो इसके द्वारा भारत सरकार के बनाये क़ानून को रद्द कर सकते हैं। भारतवर्ष के जङ्गी लाट (कमांडरन चीफ़) बङ्गाल, बम्बई और मद्रास के गवर्नर, इनकी कौंसिलों के सदस्य, हाईकोर्ट के जज, तथा अन्य उच्च राजकर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, यह सम्राट को सम्मति देता है, भारत सरकार के सब बड़े बड़े अफ़सरों को यह आज्ञा दे सकता है, और जिसे चाहे उसे नौकरी से छुड़ा सकता है तथा उन्हें अपने अधिकार का अनुचित बर्ताव करने से रोक सकता है।

यदि भारत मंत्री भारत सरकार को किसी से युद्ध करने की आज्ञा दे तो उसे इस बात की सूचना तीन महीने के अन्दर, पार्लिमेंट की दोनों सभाओं को देनी पड़ती है। यदि पार्लिमेंट बन्द हो तो खुलने पर, एक महीने के भीतर सूचना दी जाती है। यदि भारत की सीमा के बाहर युद्ध हो तो, पार्लिमेंट की दोनों सभाओं की स्वीकृति बिना, उस का व्यय भारत के कोष से नहीं दिया जा सकता। *

सुधारों से भारत मन्त्री और भारत सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। हां,

* स्वीकृति मिलने में प्राय: विशेष बाधा नहीं होती; अब तक कई बार मिल चुकी है।

साधारणतया यह समझौता रखा गया है कि भारत-मन्त्री इस बात का विचार रखे कि जिन विषयों में भारत सरकार और भारतीय व्यवस्थापक सभायें सहमत हों उनमें यह बहुत कम, और विशेष हालतों में ही हस्तक्षेप करे। यथा सम्भव हस्तक्षेप केवल ऐसे विषय में ही हो, जिससे साम्राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यता की रक्षा हो, या जो ब्रिटिश सरकार के आर्थिक प्रबन्ध सम्बन्धी हो।

भारत मन्त्री, भारतीय शासन के लिए पार्लिमैंट के सामने उत्तरदाता है, उसे भारतीय शासन व्यवस्था के निरीक्षण और नियंत्रण के नियम बनाने का अधिकार है। वह प्रान्तों के समर्पित विषयों के नियम बनाकर पार्लिमैंट की दोनों सभाओं में पेश करता है। (यदि ३० दिन के अन्दर कोई सभा किसी नियम को रद्द कराने के लिए बादशाह से प्रार्थना नहीं करती तो वे पास समझे जाते हैं।) रक्षित विषयों के नियम उसे पहले पार्लिमैंट की दोनों सभाओं में पेश कर स्वीकार कराने पड़ते हैं।

इंडिया कौंसिल—भारत मंत्री को शासन सम्बन्धी कार्य में सहायता या परामर्श देने वाली सभा इंडिया कौंसिल कहलाती है। इसका अधिवेशन भारत मंत्री की आज्ञा से एक मास में एक वार होता है। इसके सभापति भारत मंत्री अथवा उसका सहकारी मंत्री, या भारतमंत्री द्वारा नामज़द, कौंसिल का कोई सदस्य होता है। इस कौंसिल के सदस्यों को भारत मंत्री नियुक्त करता है। भारत मंत्री को कौंसिल में साधारण मत (वोट) देने के अतिरिक्त एक अधिक वोट देने का भी अधिकार है। वह विशेष अवसरों पर इस कौंसिल के बहुमत

बिना भी कार्य कर सकता है, परन्तु वह इसके बहुमत बिना (१) भारतवर्ष की सम्पत्ति का व्यय नहीं कर सकता, (२) ऋण नहीं ले सकता और ठेका नहीं दे सकता, (३) बड़े बड़े सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नियम नहीं बदल सकता, और (४) भारतीय सिविल सर्विस के निर्धारित पदों पर भारत-वासियों को नियुक्त करने के नियम नहीं बदल सकता।

भारत मन्त्री इंडिया कौंसिल की कुछ कमेटियां बना सकता है और यह आदेश कर सकता है कि उन कमेटियों के अधीन क्या क्या विभाग रहेंगे और कौंसिल का कार्य किस पद्धति से किया जायगा। साधारणतया भारतवर्ष को कोई आज्ञा या सूचना भेजने, अथवा गवर्नर जनरल या प्रान्तिक सरकारों के साथ भारत मन्त्री का पत्र व्यवहार होने का ढङ्ग कौंसिल-युक्त भारत मन्त्री द्वारा निश्चित किया जाता है।

कौंसिल के सदस्य—कई एक परिवर्तनों के बाद इस समय इस कौंसिल के सदस्यों की संख्या ८ से १२ तक रहने लगी है। इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं जो भारतवर्ष में भारत सरकार की नौकरी, कम से कम दस वर्ष तक कर चुके हों और, जिन्हें वह नौकरी छोड़े पांच वर्ष से अधिक न हुए हों। प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष के लिए चुना जाता है, विशेष कारण होने से उसका समय पांच वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। सदस्य किसी भी देश या धर्म का हो, इस बात का कोई बन्धन नहीं है, परन्तु सन् १९०७ से पहिले कोई भारतीय इस कौंसिल का सदस्य न था, अब इसमें प्रायः तीन हिन्दुस्तानी होते हैं। प्रत्येक सदस्य का वार्षिक वेतन

१२०० पौंड हैं, भारतीय सदस्यों को ६०० पौंड वार्षिक भत्ता और मिलता है।

सदस्यों के अधिकार—इंडिया कौंसिल के सदस्यों का काम यह है कि भारत मन्त्री को भारतीय विषयों में ज्ञान प्राप्त करावें। परन्तु सदस्य किसी विषय पर केवल अपनी सम्मति प्रगट कर सकते हैं। भारत मन्त्री को अधिकार है कि उसे, कुछ विषयों को छोड़कर, माने या न माने, उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये सदस्य बाहरी दशा के सम्बन्ध में, युद्धनीति में, तथा देशी रियासतों के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उन्हें कोई स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भारत-मंत्री की आज्ञानुसार लंदन में भारतवर्ष सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पार्लिमैंट में बैठने का अधिकार नहीं है, इन्हें इनके काम से हटाने का अधिकार पार्लिमैंट को ही है।

भारत मंत्री और उसकी कौंसिल के नाम से लन्दन के बैंक-आफ़-इंगलैंड में भारत का खाता है। उसका हिसाब जांचने के लिये स्वतंत्र लेखा परीक्षक (आडीटर) नियत है।

कौंसिल का अन्त होना चाहिये—यद्यपि इंडिया कौंसिल का कुछ व्यय ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा है, परन्तु जितना व्यय अब भारतवर्ष को देना होता है वह भी अधिक ही नहीं, व्यर्थ है। वास्तव में इंडिया कौंसिल की कुछ आवश्यकता ही नहीं। ब्रिटिश उपनिवेशों की कौंसिलें न होने पर भी उनका कार्य सुचारु रूप से चल रहा है, फिर भारत मंत्री को ही कौंसिल के ठाठ की क्या आवश्यकता है?

अधिकांश सदस्य भारत-हित-विरोधी अथवा भारत मंत्री की हां में हां मिलाने वाले होते हैं। पुनः भारत मंत्री कई (विशेष) दशाओं में सदस्यों के मत की अवहेलना भी कर सकता है। अतः इस कौंसिल का अंत ही होना चाहिये। अनेक भारतीय (तथा कुछ ब्रिटिश) राजनीतिज्ञों का यही मत है। जैसा कि हम पिछले परिच्छेद में बता आये हैं, हमारी राष्ट्रीय मांग में यह बात भी सम्मिलित है।

हाई कमिश्नर—सन् १९१९ ई० से भारतवर्ष के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था हो गयी है। यह अधिकारी ५ वर्ष के लिए नियुक्त होता है, इसका वार्षिक वेतन तीन हज़ार पौंड है, जो भारतीय कोष से दिया जाता है। यह कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल के अधीन है और उसी के द्वारा भारत मन्त्री की अनुमति से नियुक्त किया जाता है। इसे उन विषयों में से कुछ सौंपे गये हैं जो पहिले भारत मंत्री के अधीन थे, जैसे ठेके देना, इंडिया आफ़िस का स्टोर्स (Stores) विभाग, और इसी के सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा और भारतीय ट्रेड (व्यापार) कमिश्नर के कार्य का निरीक्षण। क्रमशः इसके अधिकार बढ़ते बढ़ते स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के हाई कमिश्नरों के अधिकारों के समान हो जांयगे। फिर इंडिया कौंसिल का ख़र्च भी हट जायगा। परन्तु यह जितना जल्द हो, अच्छा है।

———o———

पांचवां परिच्छेद

भारत सरकार

" देश का आन्तरिक शासन प्रजा की सम्मति से चुनी हुई कौंसिल से हुआ करे, जिसे ख़ज़ाने पर पूरा अधिकार हो। भारतीय प्रबन्ध कारिणी सभा तथा उसके विभागों के पदाधिकारी निर्वाचित प्रजा प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहें। "

—एनी बिसेन्ट।

भारत सरकार का अर्थ है 'गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल' अर्थात् कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल। स्मरण रहे कि यहां कौंसिल से मतलब गवर्नर जनरल की प्रबन्ध कारिणी सभा का है, व्यवस्थापक का नहीं। इस का कारण यह है कि गवर्नर जनरल के साथ कौंसिल शब्द का प्रयोग व्यवस्थापक सभा के जन्म से बहुत वर्ष पहिले से होरहा है।

गवर्नर जनरल या वायसराय—गवर्नर जनरल भारत सरकार का सब से महत्व पूर्ण अंग है और उसे उसके अन्य पदाधिकारियों की अपेक्षा विशेष अधिकार हैं। उसे वायसराय भी कहते हैं। वह भारतवर्ष के शासन या व्यवस्था कार्य में भारत मंत्री और पार्लिमेंट की आज्ञाओं का पालन करता या करवाता है और, ब्रिटिश भारत के प्रान्तिक शासन की निगरानी करता है। इसलिए वह गवर्नर जनरल कहलाता है। १८५८ में

भारतवर्ष का शासन इंगलैंड के शासक के हाथ में चला गया, तब से गवर्नर जनरल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप से रहता है। इस हैसियत से वह देशी रियासतों में जाता है, सभा या दरबार करता है, और घोषणा-पत्र आदि निकालता है। इस लिए वह वायसराय कहलाता है। 'वायसराय' का अर्थ बादशाह का प्रतिनिधि है। साधारण व्यवहार में ' गवर्नर जनरल ' और ' वायसराय ' शब्दों में कोई भेद नहीं माना जाता। अपने प्रधान मंत्री की सिफ़ारिश से सम्राट किसी योग्य अनुभवी, एवं साधारणतः " लार्ड " उपाधि-प्राप्त व्यक्ति को गवर्नर जनरल नियत करते हैं। इसकी अवधि प्रायः पांच साल की होती है, परन्तु यह समय सुभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है।

गवर्नर जनरल के अधिकार—अपनी प्रबन्ध कारिणी सभा की अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल, किसी प्रान्तिक सरकार या किसी पदाधिकारी के नाम, स्वयं कोई आज्ञा निकाल सकता है। आवश्यकता होने पर वह ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छः महिने के वास्ते अस्थायी क़ानून (आर्डिनैंस) बना सकता है। यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने फ़ौजदारी मामले में अपराधी ठहराया हो, बिना किसी शर्त के, या कुछ शर्त लगा कर, क्षमा कर सकता है। उसे (१) अपनी कौंसिल और उसके सेक्रटरियों, (२) भारतीय व्यवस्थापक सभा और राज्य परिषद्, (३) प्रान्तिक सरकारों, (४) प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों, और (५) नरेन्द्र मंडल के सम्बन्ध में विविध अधिकार हैं। उनका वर्णन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा।

उसकी प्रबन्ध कारिणी सभा (कौंसिल)—गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या समय समय पर बदलती रही है। १९०७ से यह संख्या अधिक से अधिक ६ होने लगी। १९१९ के सुधार एक्ट से इस संख्या की हद हटादी गयी, यह आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है। हां, कम से कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहियें जिन्हों ने भारतवर्ष में दस वर्ष भारत सरकार की नौकरी की हो, क़ानूनी योग्यता के लिए एक सदस्य हाईकोर्ट का ऐसा वकील हो अथवा इंगलैंड या आयर्लैंड का ऐसा बैरिस्टर हो जिसने दस वर्ष वकालत (प्रैकटिस) की हो। इस तरह का कोई नियम नहीं कि इस सभा में हिन्दुस्थानियों की अमुक संख्या रहे, सब सदस्य भी हिन्दुस्थानियों में से ही हो सकते हैं; इस समय तीन हिन्दुस्थानी हैं। पार्लिमैंट की संयुक्त कमेटी का विचार था कि भविष्य में सरकारी नौकरी करे हुए व्यक्तियों में से लिये जाने वाले सदस्यों में हिन्दुस्थानियों की अधिकाधिक सम्भावना होगी। सदस्य सम्राट की अनुमति से पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

भारत सरकार का कार्य; केन्द्रीय और प्रान्तीय विषय—१९१९ के क़ानून के अनुसार बनाये हुए नियमों से शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं—(१) अखिल भारतवर्षीय या केन्द्रीय विषय, और (२) प्रान्तीय विषय। इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार) और प्रान्तीय सरकारों के कार्यों तथा उनकी आय के स्रोतों का विभाग किया गया है। केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है (इसके अतिरिक्त प्रान्तों के हस्तान्तरित

और रक्षित विषयों में भी उसे कुछ अधिकार है); यदि किसी विषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि यह प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल करता है, परन्तु इस विषय में अन्तिम अधिकार भारतमन्त्री को है।

मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय—संक्षेप में भारतवर्ष में मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह हैं:—

(१) देश रक्षा; भारतीय सेना तथा हवाई जहाज़; भारतीय सामुद्रिक बेडा; सामुद्रिक और सैनिक निर्म्माण कार्य और छावनियां। (२) विदेशों तथा विदेशियों से सम्बन्ध और, भारत से बाहर की यात्रा। (३) देशी रियासतों से सम्बन्ध। (४) आमदरफ्त, रेल, सैनिक पुल, भारतीय जल मार्ग। (५) जहाज़ का काम। (६) राजनैतिक खर्च। (७) अन्वेशन (खोज) विभाग। (८) बड़े बन्दरगाह,। (९) डाक, तार, टेलीफ़ोन और बेतार के तार, (१०) आयात निर्यात कर, नमक, और अखिल भारतवर्षीय आय के अन्य साधन (११) सिक्का, नोट आदि, (१२) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, (१३) सेविंग बैंक, (१४) भारतीय हिसाब परीक्षक विभाग, (१५) दीवानी और फ़ौजदारी क़ानून तथा उनके कार्य विधान, (१६) व्यापार, बैंक और बीमे का काम, (१७) तिजारती कम्पनियां और समितियां, (१८) अफ़ीम आदि पदार्थों की पैदावार, खपत और निर्यात का नियंत्रण, (१९) मिट्टी के तेल और स्फोटक पदार्थों का नियंत्रण, (२०) भारतवर्षीय विभागों के लिए आवश्यक स्टेशनरी और स्टोर (२१) भिन्न भिन्न प्रकार की पैमायश, (२२) औद्योगिक तथा खनिज उन्नति

का निर्धारित काम, (२३) आविष्कार और डिज़ाइन (नकशे) (२४) कापी राइट (किताब आदि छापने का पूरा अधिकार) (२५) ब्रिटिश भारत में आना अथवा यहां से विदेश जाना, (२६) केन्द्रीय पुलिस संगठन, (२७) हथियार और युद्ध सामग्री का नियंत्रण, (२८) ख़ास विषयों की उन्नति, औद्योगिक शिक्षण अथवा खोज करने वाली केन्द्रीय संस्थायें, वेध शालायें या आबज़रवेटरी (Observatories) आदि, (२९) ईसाई धर्म की व्यवस्था और योरपियनों के क़ब्रिस्तान, (३०) मनुष्य गणना और अंक (स्टेटिस्टिक्स), (३१) अखिल भारतवर्षीय नौकरियां, (३२) प्रान्तों की सीमा, (३३) कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल द्वारा प्राप्त अचल सम्पत्ति, (३४) पब्लिक सर्विस कमीशन, (३५) जो विषय प्रान्तीय नहीं हैं।

कार्य विभाग—भारत सरकार के विविध विभागों की व्यवस्था समय समय पर बदलती रही है। इस समय निम्न लिखित आठ विभाग हैं :—

१—अर्थ, या फ़ाइनेन्स (Finance) विभाग।

२—स्वदेश, या होम (Home) विभाग। इस में देश के आन्तरिक शासन का निरीक्षण आदि होता है।

३—शिक्षा, स्वास्थ और भूमि, अर्थात् एज्यूकेशन, हैल्थ ऐंड लैंड्स (Education, health and lands) विभाग।

४—रेल और वाणिज्य, या रेल्वेज़ ऐंड कामर्स (Railways and Commerce) विभाग।

५—उद्योग धंधे और मज़दूर या इंडस्ट्रीज़ ऐंड लेबर (Industries and labour) विभाग।

६—क़ानून या लेजिस्लेटिव (Legislative) विभाग।

७—सेना या आर्मी (Army) विभाग।

८—विदेश या फ़ौरेन (Foreign) विभाग। इसमें विदेशी राज्यों तथा देशी रियासतों से सम्बन्ध आदि का कार्य होता है।

उपर्युक्त प्रथम छः विभागों में से प्रत्येक के लिए गवर्नर जनरल की प्रबन्ध कारणी सभा का एक एक सदस्य नियुक्त होता है। विदेश विभाग गवर्नर जनरल के अधीन है, और सेना विभाग पर जंगी लाट अर्थात् कमांडरन चीफ़ का प्रभुत्व है, जो उक्त सभा का असाधारण सदस्य होता है।

सेक्रेटरी—उपर्युक्त प्रत्येक विभाग में, गवर्नर जनरल की प्रबन्ध कारिणी सभा के सदस्यों के अतिरिक्त, एक सेक्रेटरी तथा उसके दो तीन सहायक रहते हैं। ये प्रायः भारतीय सिविल सर्विस के होते हैं, परन्तु गवर्नर जनरल चाहे तो कुछ सेक्रेटरियों को भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित अथवा नामज़द सरकारी या ग़ैर-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त कर सकता है। ऐसे सेक्रेटरियों को कौन्सिल सेक्रेटरी कहते हैं। इन का पद उस समय तक बना रहता है, जब तक गवर्नर जनरल चाहता है और वे उसकी प्रबन्ध कारिणी सभा के सदस्यों को सहायता देने का ऐसा काम करते हैं जो इन के सुपुर्द किया जाय। इन का वेतन भारतीय व्यवस्थापक

सभा निश्चय करती है। अगर कोई सेक्रेटरी छः महिने तक उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह अपने पद से पृथक् होजाता है।

अन्य पदाधिकारी—भारत सरकार के अधीन डाइरेक्टर जनरल और इन्सपेक्टर जनरल आदि कुछ और भी अधिकारी होते हैं, जिनका काम यह है कि भारत सरकार और प्रान्तिक सरकारों के विविध विभागों के कार्य की निगरानी रखें और उन्हें यथोचित परामर्श दें।

प्रबन्ध कारिणी सभा के अधिवेशन—इस सभा का अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताह होता है। उसमें उन विषयों पर विचार होता है जिन पर गवर्नर जनरल विचार करवाना चाहे अथवा जिन्हें वह अस्वीकार करे और जिन पर कोई सदस्य सभा का निर्णय चाहे। अधिवेशन में सभापति स्वयं गवर्नर जनरल अथवा उनका नियत किया हुआ कोई सदस्य होता है।

काम करने का ढंग—जब किसी विभाग सम्बन्धी कोई विचारणीय प्रश्न उठता है, उसका सेक्रेटरी मसविदा तैयार करके गवर्नर जनरल या उस सदस्य के सामने पेश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग हो। साधारणतया सदस्य उस पर जो निर्णय करता है वही अन्तिम फ़ैसला समझा जाता है, परन्तु यदि प्रश्न विवादग्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति की बात आती हो तो सेक्रेटरी से तैय्यार किया हुआ मसविदा सभा में पेश होता है और वहां से जो हुक्म हो उसे सेक्रेटरी प्रकाशित करता है। सभा के साधारण अधिवेशनों में, मत

भेद वाले प्रश्नों के विषय में, बहुमत से काम करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष समान हों तो जिस तरफ़ गवर्नर जनरल (सभापति) मत प्रकट करे, उसी पक्ष के हक़ में फ़ैसला होता है। मगर गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार रहता है कि यदि उसकी समझ में सभा का निर्णय देश के लिए हित-कर न हो तो सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति-अनुकूल कार्य कर सकता है। परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में विरुद्ध पक्ष के दो सदस्यों की इच्छा होने से उसे अपने कार्य की, कारण सहित सूचना देनी होगी, तथा सभा के सदस्यों ने उस विषय में जो कार्रवाई लिखी हो, उसकी कापी भारतमंत्री के पास भेजनी होगी।

भारत सरकार के अधिकार—भारत सरकार को नियमों का पालन करते हुए ब्रिटिश भारत के शासन तथा सेना प्रबन्ध के निरीक्षण, तथा नियंत्रण का अधिकार है। वह कौंसिल-युक्त भारत मंत्री के नाम से ब्रिटिश भारत की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है। वह प्रबन्धकारिणी सभा के अधि-वेशन का स्थान निश्चय करती है। प्रान्तिक सरकारों को उसकी आज्ञायें माननी होती हैं। वह प्रान्तों की सीमा नियत या परिवर्तन कर सकती हैं। प्रान्तिक सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की शान्ति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है। वह हाईकोर्टों का अधिकार-क्षेत्र बदल सकती है और दो साल तक के लिए जज नियत कर सकती है। जिन बातों के लिए क़ानून में व्यवस्था न की हुई हो, उनके लिए वह भारत मंत्री की स्वीकृति लेकर नियम बना सकती है। वह एशिया के राज्यों से सन्धि या समझौता

कर सकती है, विदेशी राज्यों के अन्तर्गत वह अपनी सत्ता और अधिकारों का उपयोग कर सकती है। उसे अपने अधीन भू-भाग किसी राज्य को देने और उसके अधीन भू-भाग लेने का अधिकार है। भारतीय व्यवस्थापक सभा, प्रान्तिक सरकारों और, प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका विवेचन अन्यत्र प्रसंगानुसार किया जायगा। सारांश यह है कि सम्राट की प्रतिनिधि होने के कारण उसे सम्राट की ऐसी शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न हों।

भारत सरकार का उत्तरदायित्व—भारत सरकार अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश पार्लिमैंट के प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। अगर गवर्नर जनरल या उनकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इग्लैंड की सरकार से किसी बात में सहमत न हों तो या तो उन्ह (१) अपने मत को दबाना पड़ेगा अथवा (२) त्यागपत्र देना होगा। पहिली हालत में वे ब्रिटिश सरकार की कठपुतली मात्र है, दूसरी हालत में उन्हें कोई क़ानूनी अधिकार प्राप्त नहीं कि वे जनता के प्रति अपने मत की सत्यता प्रकट कर सकें। अगर वे भारतीय जनता से निर्वाचित तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते तो जब कभी ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्ताव को रद्द करती, वे त्याग-पत्र देकर अपने निर्वाचक संघों से अपील कर सकते और अगर उन्हें उनका सहारा मिलता तो ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्तावों को स्वीकार करने पर बाध्य होती। भारत सरकार के सदस्य वर्तमान अवस्था में त्याग-पत्र दे सकते हैं, परन्तु उनके उत्त-

राधिकारी अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञानुसार चलने के लिए बाध्य रहेंगे। भारत सरकार को भारतीय व्यवस्थापक मण्डल के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिये; इस विषय की राष्ट्रीय मांग का उल्लेख, तीसरे परिच्छेद में किया जा चुका है।

भारतसरकार और भारत मंत्री—भारत सरकार को भारतवर्ष के शासन तथा सेना प्रबन्ध के निरीक्षण, और नियंत्रण का अधिकार है, पर भारतमंत्री की इच्छा के विरुद्ध वह कुछ नहीं कर सकती। विशेषतया निम्न लिखित विषयों में भारत सरकार को भारतमंत्री की स्वीकृति पहिले मंगा लेनी पड़ती है :—

(१) टैक्सों का घटाना या बढ़ाना अथवा दूसरे ऐसे उपाय करना जिनसे भारतीय आय का सम्बन्ध हो।

(२) आर्थिक या करेन्सी (मुद्रा व्यवस्था) नीति में परिवर्तन करना या ऋण सम्बन्धी कोई कार्य करना।

(३) साधारणतः वे सब विषय जिनसे शासन के महत्व-पूर्ण प्रश्न उपस्थित हों अथवा बहुत सा नये ढंग का या असाधारण व्यय बढे।

इस समय भारतीय व्यवस्थापक सभा में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत होने से भारत सरकार जनता के मत से भली भांति परिचित रहती है। यद्यपि वह भारतीय व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है तथापि देश के सुशासन के लिए उसके मत की अवहेलना करना अच्छा नहीं। अतः भारत सरकार पर भारत मंत्री का अधिकार शीघ्र ही

बहुत कम किया जाना चाहिये। आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप बहुत ही कम रहना चाहिये। अन्यथा, एक ओर भारतीय व्यवस्थापक सभा और दूसरी ओर भारतमंत्री की खैंचातानी होने से, भारत सरकार की स्थिति बहुत नाजुक होजाती है।

छटा परिच्छेद

भारतीय व्यवस्थापक मंडल

भारतीय व्यवस्थापक मण्डल का हाल जानने के लिए पहिले भारतीय व्यवस्थापक परिषद् का कुछ परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इस परिषद् का आरम्भ यहां सन् १८६१ ई० से समझना चाहिये। इसके सङ्गठन में समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहे। इन परिवर्तनों में मार्लें-मिन्टो सुधार उल्लेखनीय हैं।

मार्लें-मिन्टो सुधार—सन् १९०९ ई० के मार्लें-मिन्टो सुधारों तथा उनके अनुसार भारत सरकार के बनाये हुए नियमों से भारतीय व्यवस्थापक परिषद् के सदस्यों की संख्या ६८ हो गयी, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित होते थे। मुसलमान, जागीरदार और ज़मींदार आदि विशेष दलों को अलग प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। स्मरण रहे कि अधिकांश निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचकों द्वारा नहीं होता था, वरन् प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के

निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता था। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का अधिकार बहुत ही थोड़े आदमियों को था।

मार्ले-मिन्टो सुधारों से सरकारी आय व्यय (बजट) आदि विषयों पर अधिक वादानुवाद और प्रश्न करने, तथा किसी प्रश्न के उत्तर पाने पर उसके सम्बन्ध में अन्य प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया।

नये सुधार; दो सभायें—१९१९ के सुधारों से भारतीय व्यवस्थापक परिषद् की जगह भारतीय व्यवस्थापक मण्डल अर्थात् इंडियन लेजिस्लेचर (Indian Legislature) की रचना हुई। इसके दो भाग हैं:—(१) राज्य परिषद् या कौंसिल-आफ़-स्टेट (Council of State), और (२) भारतीय व्यवस्थापक सभा या लेजिस्लेटिव एसेम्बली (Legislative Assembly)। ये दोनों सभायें इंगलैंड की सरदार सभा और प्रतिनिधि सभा के ढङ्ग पर बनायी गयी हैं, यद्यपि यहां राज्य परिषद् में निर्वाचित सदस्य भी रहते हैं, यही नहीं, उनका आधिक्य भी होता है।

सिवाय कुछ ख़ास हालतों के कोई क़ानून अब पास हुआ नहीं समझा जाता जब तक दोनों सभायें उसे मूल रूप में, अथवा कुछ संशोधनों सहित, स्वीकार न करलें। दोनों सभायें कुछ सदस्यों का स्थान ख़ाली रहने पर भी अपना कार्य कर सकती हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। अगर सभा का कोई ग़ैर-सरकारी सदस्य कोई सरकारी नौकरी करले तो उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर किसी सभा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरा

सभा का सदस्य हो जाय तो पहिली सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर किसी सज्जन का दोनों सभाओं में निर्वाचन हो जाय तो वह किसी सभा में सम्मिलित होने से पूर्व, लिख कर यह सूचित करेगा कि वह कौनसी सभा का सदस्य रहना चाहता है; ऐसा होने पर दूसरी सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जायगी।

गवर्नर जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामज़द किया जाता है; उसे दूसरी सभा में बैठने और बोलने का अधिकार रहता है, लेकिन वह दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता। इन सभाओं का संगठन जानने से पूर्व मुख्य, मुख्य निर्वाचन नियम जान लेना आवश्यक है।

निर्वाचक संघ—निर्वाचन के सुभीते के लिए प्रत्येक प्रान्त, ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक समूह को निर्वाचक संघ कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचक संघ अपनी ओर से प्राय: एक एक (कहीं कहीं एक से अधिक) प्रतिनिधि चुनता है।

भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक संघ हैं, साधारण और विशेष। व्यवस्थापक संस्थाओं (तथा कुछ स्थानों में म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों) के लिए साधारण निर्वाचक संघ, जाति-गत निर्वाचक संघों में विभाजित किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का निर्वाचक संघ, ग़ैर-मुसलमानों का नर्वाचक संघ, इत्यादि।

भारतीय व्यवस्थापक सभा तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के लिए जाति-गत निर्वाचक संघ, प्रायः नगरों और ग्रामों में विभक्त किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ, ग़ैर-मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ इत्यादि।

विशेष निर्वाचक संघों में ज़मींदार, विश्व विद्यालय, व्यापारी, खान, नील और खेती, तथा उद्योग और वाणिज्य वाले निर्वाचक होते हैं।

कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते?— निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकतेः—

१—जो ब्रिटिश प्रजा न हों।

[देशी रियासतों के नरेश और प्रजा निर्वाचक हो सकते हैं।]

२—जो अदालत से पागल ठहराये गये हों।

३—जो इक्कीस वर्ष से कम आयु के हों।

[बर्मा में अठारह वर्ष या इस से अधिक आयु के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

४—जिसे भारतीय दंड विधान के ९-अ परिच्छेद के अनुसार (सरकारी अफ़सर के विरुद्ध) ऐसे अपराध में सज़ा दी गयी हो, जिस के लिए छः मास से अधिक दंड दिया जा सकता है।

[दंडित होने के पांच वर्ष बाद वह निर्वाचित हो सकता है।]

५—जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निर्वाचन के समय धमकी रिशवत आदि दूषित कार्य करने का अपराधी ठहराया गया हो।

[कुछ अपराधों में उस समय से पांच वर्ष बाद, और कुछ में तीन वर्ष बाद ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन हो सकता है।]

नोट—कौंसिल युक्त गवर्नर जनरल को अधिकार है कि उपर्युक्त (४) और (५) में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त अवधि से पूर्व भी निर्वाचक सूची में दर्ज करे जाने का आदेश कर सकता है। स्त्रियों को अब प्रायः सब प्रान्तों में मताधिकार है।

राज्य परिषद्—राज्य परिषद् में ६० सदस्य होते हैं; ३३ निर्वाचित, और सभापति को मिला कर २७ गवर्नर जनरल द्वारा नामज़द। नामज़द सदस्यों में २० तक (अधिक नहीं) अधिकारियों में से हो सकते हैं। बरार प्रान्त का एक सदस्य निर्वाचित होता है, परन्तु यह प्रान्त क़ानूनन ब्रिटिश भारत में न होने से इस का निर्वाचित सदस्य सरकार द्वारा नामज़द कर दिया जाता है। अतः वास्तव में निर्वाचित सदस्य ३४, और (सभापति को छोड़ कर) नामज़द सदस्य २५, होते हैं। इनका विशेष ब्यौरा अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट होगा।

राज्य परिषद् का सभापति साधारणतः उसके सदस्यों में से ही गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिषद् के सदस्यों के नामों से पहिले सन्मानार्थ माननीय (आनरेबल) शब्द लगाया जाता है। परिषद् का निर्वाचन प्रायः प्रति पांचवें वर्ष होता है। गवर्नर जनरल इस समय को आवश्यकतानुसार घटा बढ़ा सकता है।

सरकार या प्रान्त	निर्वाचित						नामज़द		
	जनरल	ग़ैर मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरपियन व्यापारी	कुल	सरकारी	ग़ैर सरकारी	कुल
भारत सरकार	...	...	...	...	...	...	१२	...	१२
मद्रास	...	४	१	...	...	५	१	१	२
बम्बई	...	३	२	...	१	६	१	१	२
बंगाल	...	३	२	...	१	६	१	१	२
संयुक्त प्रान्त	...	३	२	...	...	५	१	१	२
पंजाब	...	१	१½*	१	...	३½*	१	२	३
विहार उड़ीसा	...	२½*	१	...	...	३½*	१	...	१
बर्मा	१	...	...	...	१	२	...	...	...
मध्यप्रान्त बरार	२	...	...	...	...	२	...	...	...
आसाम	...	½†	½†	...	...	१	...	...	...
देहली	...	...	...	...	...	...	१	...	१

* एक निर्वाचन में पंजाब के मुसलिम निर्वाचकों को दो, और विहार उड़ीसा के ग़ैर मुसलिम निर्वाचकों को दो; और दूसरे निर्वाचन में पंजाब के मुसलिम निर्वाचकों को एक, और बिहार उड़ीसा के ग़ैर मुसलिम निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है।

† एक निर्वाचन में ग़ैर मुसलिम और एक निर्वाचन में मुसलिम निर्वाचकों को बारी बारी से एक सदस्य चुनने का अधिकार है।

निर्वाचक की योग्यता—जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने की (पहिले बतलायी हुई) अयोग्यतायें न हों, तथा जिनमें निम्न लिखित योग्यतायें हों, वे ही निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं *:—

१—जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों, और

२-(क) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की ज़मीन हो,

या (ख)-जो निर्धारित आय पर आय-कर देते हों,

या (ग)-जो किसी व्यवस्थापक संस्था के सदस्य हों, या रहे हों,

या (घ)-जो किसी स्थानीय स्वराज्य संस्था के निर्धारित पदाधिकारी हों, या रहे हों,

या (च)-जो व्यक्ति किसी विश्व विद्यालय की निर्धारित योग्यता प्राप्त हों,

या (छ)-जो किसी सहकारी बैंक के निर्धारित पदाधिकारी हों,

या (ज)-जिसे सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या महामहोपाध्याय की उपाधि मिली हो।

नोट—किसी जाति-गत निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति

---

* जिन व्यक्तियों का नाम सरकार द्वारा तैयार की हुई निर्वाचक सूची में दर्ज होता है, उन्हें ही मत देने का अधिकार होता है; औरों को नहीं।

निर्वाचक हो सकते हैं जो उसी जाति के हों, जिस जाति का वह निर्वाचक संघ है, जैसे मुसलमान निर्वाचक संघ से मुसलमान, और ग़ैर-मुसलमान निर्वाचक संघ से ग़ैर-मुसलमान निर्वाचक हो सकते हैं; दूसरे व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते।

भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए आय कर या ज़मीन के लगान की सीमा अलग अलग है। उदाहरणतः जो आदमी मद्रास और मध्य प्रान्त में २०,०००) बम्बई में ३०,०००), बंगाल तथा आसाम में १२,०००) सयुक्त प्रान्त में १०,०००) पंजाब में १५,०००), बिहार उड़ीसा में १२,८००) और बर्मा में ५,०००) पर आय-कर देता हो, वही निर्वाचक हो सकता है।

इसी प्रकार बम्बई में ऐसी ज़मीन का मालिक निर्वाचक होता है, जिसका सालाना लगान २,०००) से कम न हो, बंगाल के कुछ हिस्सों में यह रक़म ७,५००) और दूसरों में ५०००) है। संयुक्त प्रान्त में यह रक़म ५,०००); पंजाब में ७,५००); बिहार-उड़ीसा में १,२००); मध्य प्रान्त में ३,०००) और आसाम में २,०००) है।

कुछ प्रान्तों में मुसलमान निर्वाचकों के लिए आर्थिक योग्यता का परिमाण कुछ कम रखा है। तथापि यह स्पष्ट है कि बड़े बड़े ज़मींदारों और पूंजीवालों को ही निर्वाचन अधिकार दिया गया है। इन की संख्या देश में बहुत कम है। * अतः

* पहिले निर्वाचन में राज्य परिषद के निर्वाचकों की कुल संख्या केवल १८,००० के लगभग थी।

निर्वाचन अधिकार के क्षेत्र को बहुत बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है।

सदस्य कौन हो सकता है—राज्य परिषद् के लिए वे ही व्यक्ति निर्वाचन के समय उम्मेद्वार हो सकते हैं और वे ही निर्वाचित या नामज़द किये जा सकते हैं जिनका नाम किसी निर्वाचक संघ की सूची में दर्ज हो, बशर्ते कि

१—वे ऐसे वकील न हों जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित कर दिये गये हों।

[यदि भारत सरकार या कोइ प्रान्तीय सरकार चाहे तो न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित, किसी वकील को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है।]

२—वे ऐसे दिवालिये न हों जो बरी न किये गये हों, अर्थात् जिनका पूरा भुगतान न हुआ हो।

३—उनकी आयु २५ वर्ष से कम न हो।

४—वे ऐसे व्यक्ति न हों जिनको फ़ौजदारी अदालत द्वारा एक वर्ष से अधिक दंड, या देश निकाला दिया गया हो।

[दंड समाप्त होने के पांच वर्ष बाद, ऐसे दोषी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं। यदि भारत सरकार चाहे तो ऐसे किसी व्यक्ति को पांच वर्ष के अन्दर भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है।]

५—वे सरकारी नौकर न हों।

सितम्बर १६२६ में भारतीय व्यवस्थापक सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है, उसके अनुसार जिन प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदें अपने यहां प्रस्ताव पास करके स्त्रियों को सदस्यता का अधिकार दे दें, उन प्रान्तों की स्त्रियां भारतीय व्यवस्थापक सभा की सदस्य हो सकती हैं। * राज्य परिषद् द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास होजाने पर स्त्रियां राज्य परिषद् की भी सदस्य हो सकेंगी।

निर्वाचित और नामज़द सदस्यों को राजभक्ति की शपथ लेने के बाद, राज्य परिषद् के कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा—इस सभा के सदस्यों की कुल संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं। नामज़द सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घट बढ़ सकती है और निर्वाचित तथा नामज़द सदस्यों का परस्पर में अनुपात भी घट बढ़ सकता है, परन्तु कम से कम ५/७ सदस्य अवश्य निर्वाचित होने चाहियें, और नामज़द सदस्यों में कम से कम एक तिहाई ग़ैर-सरकारी होने चाहियें। इनका विशेष ब्यौरा आगे दिया जाता है।

---

* अभी तक मद्रास, बम्बई, पंजाब और बर्मा की व्यवस्थापक परिषदों में ही यह प्रस्ताव पास हुआ है। आशा है, क्रमशः अन्य प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों में पास हो जायगा।

सरकार किसी भी प्रान्त से, स्त्रियों को नामज़द कर सकती है

सरकार या प्रान्त	निर्वाचित							नामज़द			कुल जोड़
	गैर मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरपियन	ज़मींदार	व्यापारी मंडल	जोड़	सरकारी	गैर सरकारी	जोड़	
भारत सरकार	...	...	...	...	...	...	...	१२	...	१२	१२
मद्रास	१०	३	...	१	१	१	१६	२	२	४	२०
बम्बई	७	४	...	२	१	२	१६	२	४	६	२२
बंगाल	६	६	...	३	१	१	१७	२	३	५	२२
संयुक्त प्रांत	८	६	...	१	१	...	१६	२	१	३	१९
पंजाब	३	६	२	...	१	...	१२	१	१	२	१४
बिहार उड़ीसा	८	३	...	...	१	...	१२	१	१	२	१४
मध्य प्रांत	३	१	...	...	१	...	५	१	...	१	६
आसाम	२	१	...	१	...	...	४	१	...	१	५
वर्मा	३ गैर योरपियन			१	...	...	४	१	१	१	५
बरार	...	...	...	...	...	...	...	...	२	२	२
अजमेर	...	...	...	...	...	...	...	...	१	१	१
देहली	१ जनरल						१	...	...	...	१

व्यवस्थापक सभा की आयु तीन वर्ष है, परन्तु गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार घटा बढ़ा सके।

जिस तरह ब्रिटिश पार्लिमैन्ट के मेम्बरों को एम. पी. (M. P.) कहा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को एम. एल. ए. (M. L. A.) का पद रहता है। यह "मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली" का संक्षेप है। इन्हें राज्य परिषद् के सदस्यों की भांति माननीय (आनरेबल) की पदवी नहीं दी जाती।

निर्वाचक की योग्यता—जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने की अयोग्यतायें न हों, और निम्न लिखित योग्यतायें हों, वे भारतीय व्यवस्थापक सभा के साधारण निर्वाचक संघ में निर्वाचक हो सकते हैं:—

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों, और

२ (क)—जो निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की ज़मीन के मालिक हों,

या (ख)—जिन के अधिकार में निर्धारित मूल्य या उस से अधिक की ज़मीन हो,

या (ग)—जो ऐसे मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में रहते हों, जिसका वार्षिक किराया निर्धारित रक़म या उससे अधिक हो,

या (घ)—जो ऐसे शहरों में, जहां म्युनिसिपैलिटियों द्वारा हैसियत-कर लिया जाता है, निर्धारित आय या उससे अधिक पर म्युनिसिपैलिटी को हैसियत-कर देते हों,

या (च)-जो भारत सरकार को आय-कर देते हों अर्थात् जिनकी कृषि की आय के अतिरिक्त अन्य, वार्षिक आय २००० रु० या इससे अधिक हो,

नोट १-किसी जाति-गत निर्वाचक संघ से वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो उस जाति के हों, जिस जाति का वह निर्वाचक संघ है।

नोट २-भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचक होने के लिए साम्पत्तिक योग्यता की सीमा राज्य परिषद् के निर्वाचकों की अपेक्षा कम रखी गयी है; और, यह योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथक् पृथक् है। उदाहरणतया बम्बई के कुछ ज़िलों में कम से कम ३७॥) और दूसरे ज़िलों में ७५) आय-कर देने वाला निर्वाचक होसकता है। बङ्गाल में ६०) से कम म्यूनिसिपल रेट वा ५,०००) की आमदनी पर आय-कर देना आवश्यक है। संयुक्त प्रान्त में १८०) सालाना किराये के मकान में रहना या १५०) मालगुजारी देना चाहिये। पञ्जाब में १५,०००) की लागत के मकान का मालिक या ३३०) सालाना का किरायेदार होने या १००) मालगुज़ारी या ५,०००) पर आय-कर देने से निर्वाचन अधिकार मिलता है। मध्य प्रान्त के विविध ज़िलों में मकान के किराये का १८०) या २४०), और मालगुज़ारी का ९०) से १५० तक का परिमाण रखा गया है।

विशेष निर्वाचक संघों के वास्ते जमींदारों और व्यापारियों के लिए, भिन्न भिन्न प्रान्तों के भिन्न भिन्न भागों में विविध

निर्वाचन नियम बहुत असंतोष प्रद हैं, इनके शीघ्र सुधार होने की बड़ी आवश्यकता है। *

सदस्य और सभापति—भारतीय व्यवस्थापक सभा की सदस्यता के नियम वैसे ही हैं, जैसे राज्य परिषद् की सदस्यता के हैं, और ये हम पहिले बता आये हैं।

इस सभा के सभापति और उप-सभापति, सभा के ऐसे सदस्य होते हैं जिसे यह चुनले, और गवर्नर जनरल पसंद करले। ये उस समय तक ही पदाधिकारी रहते हैं जब तक वे इस सभा के सदस्य होते हैं।

व्यवस्थापक मंडल का कार्य क्षेत्र—भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसी संस्था नहीं है जो स्वतंत्रता पूर्वक क़ानून बना सके। उसके अधिकारों की सीमा बहुत परिमित है; वह निम्न लिखित विषयों के सम्बन्ध में क़ानून बना या बदल सकता है:—

(अ) ब्रिटिश भारत के सब आदमियों, अदालतों, स्थानों और ऐसे विषयों के लिए जो प्रान्तिक नहीं हैं।

---

* राज्य परिषद, भारतीय व्यवस्थापक सभा, (तथा प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों, म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के) सविस्तर निर्वाचन नियम तथा उन के सिद्धान्त और आलोचना "निर्वाचन नियम—क्या हैं, और कैसे होने चाहियें," पुस्तक में दिये हुए हैं। इसका मूल्य केवल ॥=) है; स्थायी ग्राहकों को तो भारतीय ग्रन्थ माला कार्यालय वृन्दावन, से छः आने में ही दी जाती है।

(आ) देसी रियासतों या भारत के वैदेशिक राज्यों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा और नौकरों के लिए।

(इ) सम्राट की, भारतीय प्रजा के लिए, जो ब्रिटिश भारत में या बाहर (किसी भी देश में) हो ।

जब तक पार्लिमेंट के एक्ट से स्पष्टतया ऐसा अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसा क़ानून नहीं बना सकता, जो पार्लिमेंट के भारतवर्ष की राज्य पद्धति सम्बन्धी किसी एक्ट, या अधिकार, अथवा सम्राट के आदेश पर प्रभाव डाले या उसे संशोधित करे।

व्यवस्थापक मंडल की कार्य पद्धति—व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं के अधिवेशन साधारणतः दिन के ११ से पांच बजे तक होते हैं। आरम्भ के पहिले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सभाओं के अन्य कार्य के दो भाग होते हैं, सरकारी और ग़ैर-सरकारी। ग़ैर-सरकारी काम के लिए गवर्नर जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं, इनमें ग़ैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर ही विचार होता है, अन्य दिनों में सरकारी काम होता है। सेक्रेटरी विचारणीय विषयों की सूची तैयार करता है, उसी के अनुसार कार्य होता है, और सभापति की आज्ञा बिना, किसी नवीन विषय पर विचार नहीं किया जाता।

राज्य परिषद् में १५, और व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्यों की उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता। सदस्यों के बैठने का क्रम सभापति निश्चय करता है। सभायों की

भाषा अंगरेज़ी रखी गयी है; सभापति, अंगरेज़ी न जानने वाले सदस्य को देशी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। प्रत्येक सदस्य सभापति को सम्बोधन करके बोलता है, और उसी के द्वारा प्रश्न कर सकता है। जहां तक कोई सदस्य सभाओं के नियमों की अवहेलना न करे, उसे भाषण करने की स्वतंत्रता है; और भाषण या वोट देने के कारण किसी सदस्य पर मुक़द्दमा नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक विषय का निर्णय सभापति को छोड़कर सभा के सदस्यों के बहुमत से होता है, दोनों ओर समान मत होने से सभापति के मत से निपटारा होजाता है। सभा में शान्ति रखना सभापति का कर्तव्य है और इस के लिए आवश्यकता होने पर वह किसी सदस्य का एक दिन, या एक सेशन भर के लिए, सभा में आना बन्द कर सकता है, अथवा अधिवेशन भी स्थगित कर सकता है।

प्रश्न—व्यवस्थापक मंडल की सभाओं का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न उन ही विषयों के हो सकते हैं, जिन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिससे पूर्व प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में और प्रकाश पड़े। सभापति को अधिकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्न, उसके अंश, या पूरक प्रश्न की पूछे जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी विभाग के सदस्य से वही प्रश्न किये जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उस का सम्बन्ध हो; ऐसे प्रश्न पूछे ज़ाने की सूचना कम से कम दस दिन पहिले देनी होती है।

प्रस्ताव—व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य नहीं होते। इस संस्था में निम्न लिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो सकते:—ब्रिटिश सरकार का, गवर्नर जनरल का, या कौंसिल युक्त गवर्नर जनरल का विदेशी राज्यों या देशी रियासतों से सम्बन्ध, देसी रियासतों का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई विषय, और ऐसे विषय जो सम्राट के अधिकार-गत किसी स्थान की अदालत में पेश हों।

निम्न लिखित विषयों के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता:—धार्मिक विषय या रीतियां; जल, स्थल, या आकाश की सेना, विदेशी राज्यों या देशी रियासतों से सरकार का सम्बन्ध, प्रान्तिक विषय का नियंत्रण, प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद् का कोई क़ानून रद्द या संशोधन करना, गवर्नर जनरल के बनाये किसी एक्ट या आर्डिनैंस को रद्द या संशोधन करना।

भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद् में प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं; (१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद करने के लिए सभा के साधारण कार्य को स्थागित करने के, और (२) भारत सरकार से किसी कार्य के करने की सिफ़ारिश के। पहिले प्रकार का प्रस्ताव सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर के बाद ही, सेक्रेटरी को सूचना देकर, किया जा सकता है। सभापति इस प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता है। यदि किसी सदस्य को प्रस्ताव करने की अनुमति देने में आपत्ति हो तो सभापति कहता है कि अनुमति देने के पक्ष वाले सदस्य खड़े

हो जांय। यदि राज्य परिषद् में १५, या व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े हो जांय तो सभापति यह सूचित कर देता है कि अनुमति है, और ४ बजे या इस से पहिले, प्रस्ताव पर विचार होगा।

दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए, प्रायः १५ दिन और कुछ दशाओं में इस से अधिक समय पहिले, सूचना देनी होती है। प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं, इस का निर्णय सभापति करता है। अधिवेशन से दो दिन पहिले एक क़ागज़ पर १, २, ३, आदि संख्यायें लिखकर उसे कार्यालय में रख दिया जाता है। जिन सदस्यों के प्रस्ताव उपस्थित किये जाने का निर्णय हो चुकता है, वे उन संख्याओं के सामने अपना नाम लिख देते हैं। तीसरे दिन क़ाग़ज के उतने टुकड़े लेकर उन पर क्रमशः १, २, ३ आदि संख्यायें लिखी जाती हैं, और उन्हें एक बक्स में डाल दिया जाता है। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो दिन नियत होते हैं, उन दिनों में जितने प्रस्ताव उपस्थित हो सकने की सम्भावना हो, उतने क़ाग़जों को, एक आदमी उक्त बक्स में से बिना विचारे एक एक करके निकालता है। जिस क्रम से कागज़ निकलते हैं, उसी क्रम से, नाम एक सूची में लिख लिये जाते हैं। * अधिवेशन में इस सूची के क्रम के अनुसार ही प्रस्ताव उपस्थित किये जाते हैं। सभापति की आज्ञा बिना किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं होता।

---

* नामों का क्रम निश्चय करने के इस ढंग को 'बेलट' (Ballot) पद्धति कहते हैं।

सभापति की अनुमति से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य सदस्य से उपस्थित करा सकता है और, वह चाहे तो उसे वापिस भी ले सकता है। प्रस्तावक के अनुपस्थित होने पर उसका प्रस्ताव रद्द समझा जाता है। प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई सदस्य संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर इस के लिए भी साधारणतः दो दिन पहिले सूचना देनी पड़ती है।

क़ानून किस प्रकार बनते हैं?—जब किसी सभा का कोई सदस्य किसी क़ानून के मसविदे (बिल) को पेश करना चाहता है तो वह नियमानुसार उस की सूचना देता है। यदि उस के पेश करने के लिए, नियम के अनुसार, पहिले ही गवर्नर जनरल की अनुमति लेने की आवश्यकता हो तो वह मांगी जाती है। अनुमति मिल जाने पर, निश्चित किये हुए दिन, मसविदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे मसविदे के सिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि आवश्यकता हो तो मसविदा साधारणतया उसी सभा की (जिसका सदस्य मसविदा पेश करता हो) या दोनों सभाओं की, विशेष कमेटी* में विचारार्थ भेजा जाता है। यह कमेटी उस के

* इस में सरकार का क़ानून सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करने वाला तथा तीन या अधिक अन्य सदस्य होते हैं।

हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखने वाले क़ानूनों के मसविदों पर विचार करने के लिए दो पृथक् पृथक् स्थायी समितियां हैं। इन समितियों में अधिकांश में उस उस जाति के ही सुधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं। उनके अतिरिक्त इन में उस उस जाति के क़ानूनी विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं।

सम्बन्ध में संशोधन, परिवर्तन, या परिवर्द्धन आदि करके अपनी रिपोर्ट देती है। पश्चात् बिल के वाक्यांशों (Clauses) पर एक एक करके विचार किया जाता है और वे आवश्यक सुधार सहित पास किये जाते हैं। फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत संशोधनों सहित, पास करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पास होजाने पर मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहां पर फिर इसी क्रम के अनुसार विचार होता है। यदि मसविदा यहां बिना संशोधन के पास होजाय तो उसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और स्वीकृति मिल जाने पर वह क़ानून बन जाता है। अगर दूसरी सभा में मसविदा संशोधनों सहित पास हो तो मसविदा इस निवेदन सहित लौटाया जाता है कि पहिली सभा उन संशोधनों पर सहमत होजाय। संशोधनों पर फिर वही कार्रवाई, सूचना देने, विचार करने, स्वीकृति या अस्वीकृति का समाचार भेजने आदि की, कीजाती है। अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लौटाया जाय कि दूसरी सभा ऐसे संशोधनों पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहिली सभा मानने को तैयार नहीं है तो वह सभा चाहे तो, (१) मसविदे को रोकदे, या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवर्नर जनरल के पास भेज दे। दूसरी परिस्थिति में, मसविदा और संशोधन दोनों सभाओं की ऐसी संयुक्त मीटिंग में पेश होंगे जो गवर्नर जनरल अपनी इच्छानुसार छः महिने के बाद करे। इसके अध्यक्ष राज्य परिषद् के सभापति होंगे। मसविदे और विचारणीय संशोधनों पर वादानुवाद होगा, जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होगा, वे स्वीकृत समझे जांयगे। इस प्रकार मसविदा, स्वीकृत संशोधनों सहित,

पास होगा और यह मसविदा दोनों सभाओं से पास हुआ समझा जायगा।

व्यवस्थापक सभा और राज्य परिषद् का सम्बन्ध– राज्य परिषद् ने भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत, शासन सुधारों के, तथा दमन कारी क़ानूनों को रद्द करने के, मसविदे अस्वीकार कर दिये तथा, नमक-कर सम्बन्धी ऐसे प्रस्ताव पास कर दिये जिनसे भरतीय व्यवस्थापक सभा का घोर विरोध था। भारतीय व्यवस्थापक सभा, राज्य परिषद् की अपेक्षा, कहीं अधिक निर्वाचकों की प्रतिनिधि सभा है। इस लिए राज्य परिषद् द्वारा, भारतीय व्यवस्थापक सभा के प्रस्तावों का अस्वीकृत हो जाना, अथवा उसके भावों के विरुद्ध अन्य प्रस्तावों का स्वीकृत हो जाना सर्व साधारण के हितों का घातक है। यद्यपि राज्य परिषद् में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकांश सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो लोकमत की परवाह नहीं करते। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, कारण कि उनके चुनने वाले प्रायः रईस, ज़मीदार, धनी, जागीरदार आदि हैं और, वे प्रायः ऐसे ही आदमी को चुनते हैं जो सरकार की ओर झुकने वाला हो। अधिकारी इस परिषद् की आड़ में अपनी मन मानी कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित सदस्यों का भारी बहुमत भी कुछ काम नहीं देता। इस लिए यह प्रश्न बहुत विचारणीय है कि भारतीय व्यवस्थापक मंडल में इस दूसरी संस्था का होना कहां तक उचित और हितकर है। हमारी सम्मति में, यदि इसके संगठन में सुधार

करके इसे जन साधारण की प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता तो इसका रखना ही व्यर्थ है।

गवर्नर जनरल के अधिकार—गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि वह राज्य परिषद् के सदस्यों में से किसी को सभापति नियुक्त करदे, अथवा, ख़ास हालतों में, किसी दूसरे सज्जन को सभापति का कार्य करने के लिए नियत करे। वह राज्य परिषद् तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सन्मुख भाषण कर सकता है, और इस काम के लिए उनके सदस्यों की मीटिंग करा सकता है। कई प्रकार के मसविदे उसकी अनुमति बिना, किसी सभा के पेश नहीं हो सकते। दोनों सभाओं में पास होने पर भी मसविदा उसकी स्वीकृति बिना क़ानून नहीं बनता। उसे यह अधिकार है कि वह दोनों सभाओं से पास हुए मसविदे को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, या सम्राट की स्वीकृति के लिए रख छोड़े। अन्तिम दशा में मस-विदे पर सम्राट की स्वीकृति मिलने से ही, वह क़ानून बन सकता है।

जब कोई सभा किसी क़ानून के मसविदे के उपस्थित किये जानेकी अनुमति न दे या, उसे गवर्नर जनरल की इच्छानुसार पास न करे तो यदि गवर्नर जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक़ करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरक्षा या हित की दृष्टि से इस मसविदे का पास होना आवश्यक है। उसे के ऐसा तसदीक़ कर देने पर, वह मसविदा क़ानून बन जायगा, चाहे कोई सभा उसे स्वीकार न करे। ऐसा हर एक क़ानून गवर्नर जनरल का बनाया हुआ सूचित किया जावेगा और, पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के सामने पेश होगा और, जब तक सम्राट की स्वीकृति

न मिले वह व्यवहार में नहीं लाया जायगा। जब गवर्नर जनरल यह समझे कि उक्त क़ानून को व्यवहार में लाने की अत्यन्त ही आवश्यकता है तो उस के ऐसा आदेश करने पर, वह अमल में आजायगा; केवल यह शर्त है कि सम्राट ऐसे क़ानून को नामंजूर कर सकता है। गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार है कि सूचना देकर और यह तसदीक़ करके कि यह मसविदा देश की रक्षा, शान्ति या हित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसविदे के सम्बन्ध में होने वाली कारवाई को रोकदे जो किसी सभा में पेश हो चुका हो, या होने वाला हो।

भारतीय आय व्यय के नियम—भारत सरकार के अनुमानित आय व्यय का विवरण (बजट) प्रतिवर्ष भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है। गवर्नर जनरल की सिफ़ारिश बिना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। निम्न लिखित व्यय की मद्दे कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत (वोट) के लिए नहीं रखे जाते, न सालाना विवरण के समय कोई सभा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक गवर्नर जनरल इसके लिए आज्ञा न देदे :—

(१) ऋण का सूद।

(२) ऐसा खर्च जिसकी रक़म क़ानून से निर्धारित हो।

(३) उन लोगों की पैंशन या तनख्वाहें, जो सम्राट या भारत मंत्री द्वारा, या सम्राट की स्वीकृति से, नियुक्त किये गए हों।

(४) चीफ़ कमिश्नरों या जुडिशल कमिश्नरों का वेतन।

(५) वह ख़र्च, जिसे कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल ने (अ) धार्मिक, (आ) राजनैतिक, या (इ) रक्षा अर्थात् सेना सम्बन्धी ठहराया हो।

इन मद्दों को छोड़कर आय व्यय के अन्य विषयों के ख़र्च के लिए कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल के अन्य प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत के वास्ते, मांग के स्वरूप में रखे जाते हैं। * सभा को अधिकार है कि वह किसी मांग को स्वीकार करे या, न करे. अथवा घटाकर स्वीकार करे, परन्तु कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल सभा के निश्चय को रद्द कर सकता है। विशेष दशाओं में गवर्नर जनरल ऐसे ख़र्च के लिए स्वीकृति दे सकता है जो उसकी सम्मति में देश की रक्षा या शान्ति के लिये आवश्यक हो।

× × × × × ×

गवर्नर जनरल के इन अधिकारों के होते हुए, वास्तव में भारतीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों का कुछ महत्व नहीं।

---

* बजट राज्य परिषद में भी पेश होता है, पर उसे घटाने या किसी मांग को अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल भारतीय व्यवस्थापक सभा को ही है। राज्य-परिषद अपने प्रस्ताव आदि से, सरकार की आर्थिक नीति या साधनों की आलोचना कर सकती है और किसी कर के प्रस्ताव को संशोधित, या रद्द कर सकती है। व्यवस्थापक सभा से करों के प्रस्ताव बाक़ायदा प्रस्ताव के रूप में आते हैं, उनका दोनों सभाओं से पास होना ज़रूरी है। यद्यपि राज्य-परिषद रुपये सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को प्रारम्भ नहीं कर सकती, परन्तु उसके वादानुवाद और निपटारे में भाग ले सकती है।

सातवां परिच्छेद

प्रान्तिक सरकार

प्रान्तिक सरकार वह संस्था है जो भारत सरकार के नियंत्रण में, ब्रिटिश भारत के किसी प्रान्त का शासन करती है। ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की संख्या, सीमा, और शासन पद्धति में समय समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता रहा है। अन्तिम विशेष परिवर्तन १९१२ में हुआ। इस समय यहां छोटे बड़े सब १५ प्रान्त हैं। इनका क्षेत्रफल, जन संख्या, और इनके अन्तर्गत ज़िलों की संख्या पहिले परिच्छेद में दी जा चुकी है।

शासन पद्धतियां—१९१९ के सुधारों के कार्य रूप में आने से पूर्व यहां पांच प्रकार की शासन पद्धतियां प्रचलित थीं :-(१) मद्रास, बम्बई, और बंगाल में गवर्नर, तथा प्रबन्धकारिणी सभा और व्यवस्थापक परिषद्। (२) बिहार-उड़ीसा में लैफ्टिनैंट गवर्नर, प्रबन्धकारिणी सभा और व्यवस्थापक परिषद्। (३) संयुक्त प्रान्त, पंजाब, और बर्मा में लैफ्टिनैंट गवर्नर और केवल व्यवस्थापक परिषद्। (४) आसाम, और मध्यप्रान्त-बरार में चीफ़ कमिश्नर और व्यवस्थापक परिषद्। (५) शेष छः प्रान्तों में केवल चीफ़ कमिश्नर।

१९१९ के सुधार एक्ट के अनुसार यहां प्रान्तों के दो भेद किये गये हैं, बड़े प्रान्त, और छोटे प्रान्त। बड़े प्रान्तों में बंगाल,

बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार-उड़ीसा, मध्य-प्रान्त-बरार, बर्मा और आसाम रखे गये हैं। इन्हीं नौ प्रान्तों में उत्तरदायी शासन पद्धति का श्री गणेश करके, स्वराज्य का बीज बोया गया है। शेष प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते हैं। बड़े प्रान्तों में गवर्नर, प्रबन्धकारिणी सभायें और व्यवस्थापक परिषदें हैं। छोटे प्रान्तों का शासन चीफ़ कमिश्नर करते हैं, जो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त, और भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन प्रान्तों के लिए क़ानून भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये जाते हैं; केवल कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद् है। *

द्वैध शासन—बड़े प्रान्तों में सुधारों के अनुसार प्रान्तिक सरकारों से सम्बन्ध रखने वाले विषय दो भागों में विभक्त हैं, (१) रक्षित या 'रिज़र्वेड' (Reserved), और (२) हस्तान्तरित या ट्रांसफ़र्ड (Transferred)। रक्षित विषयों के प्रबन्ध करने का अधिकार गवर्नर और उसकी प्रबन्धकारिणी सभा को है। ये भारत सरकार और भारत मन्त्री द्वारा ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति, और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश मत दाताओं के प्रति, उत्तरदायी हैं। हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर अपने मंत्रियों के परामर्श से करता है। ये प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद् के प्रति, अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रकार प्रान्तिक सरकार के दो भाग हैं। एक भाग में गवर्नर और उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य होते हैं। दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मन्त्री होते हैं। [साधारणतया प्रान्तिक सरकार इकट्ठी ही किसी

* लैफ्टिनैंट गवर्नर अब किसी प्रान्त में नहीं है।

विषय का विचार करती है, तथापि यह गवर्नर की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी विषय का अपनी सरकार के केवल उस भाग से ही विचार करले जो उसका प्रत्यक्ष उत्तरदायी है।] जिस व्यवस्था में शासन कार्य ऐसे दो भागों में विभक्त होता है, उसे द्वैध शासन या डायर्की (Diarchy) कहते हैं।

रक्षित विषय—भिन्न भिन्न प्रान्तों में कुछ अन्तर होते हुए भी साधारणतया जो विषय रक्षित रखे गये हैं, उनमें से निम्न लिखित मुख्य हैं :—(१) आबपाशी व नहर, (२) ज़मीन की मालगुज़ारी, (३) अकाल-निवारण, (४) सरकारी कार्यों के लिए ज़मीन हासिल करना, (५) न्याय विभाग, (६) अदालती तथा ग़ैर-अदालती टिकट, (७) उन खनिज सम्पत्तियों की की उन्नति जिन पर सरकार का अधिकार है, (८) औद्योगिक विषय, जिन में कारखाने, मज़दूरी सम्बन्धी वाद विवाद, बिजली, बोयलर्स, गैस या धूएँ का कष्ट और मज़दूरों की कुशल सम्मिलित है, (९) छोटे प्रान्तिक बन्दरगाह (१०) रेलवे पुलिस को छोड़ कर अन्य पुलिस, (११) समाचार पत्रों और छापेखानों का नियंत्रण, (१२) जरायम पेशा जातियां और आवारा घूमने वाले योरपियन, (१३) कैदखाने और सुधार गृह, (१४) प्रान्तिक सरकारी छापाखाना, (१५) भारतीय तथा प्रान्तिक व्यवस्थापक संस्थाओं के लिए मत देने और निर्वाचित होने की व्यवस्था, (१६) डाक्टरी तथा अन्य पेशों की योग्यता का निर्णय, (१७) अखिल भारतीय तथा अन्य सरकारी नौकरियां जो प्रान्त के अन्दर हों, (१८) नये प्रान्तिक कर, (१९) रुपया उधार लेना, (२०)

विविध, (अ) जूए सम्बन्धी नियम, (आ) पशुओं पर होने वाली निर्दयता रोकना, (इ) जङ्गली पशुओं की रक्षा, (ई) विषैले पदार्थों का नियंत्रण, (उ) मोटर सवारियों का नियंत्रण, (ऊ) नाटक गृह और सिनेमैटोग्राफ़ों का नियंत्रण, (२१) ऐसे विषय जो कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल द्वारा, या किसी क़ानून से, प्रान्तिक सरकार के लिए निर्धारित कर दिये गये हों।

हस्तान्तरित विषय—निम्न लिखित विषय प्रायः हस्तान्तरित किये गये हैं:—(१) स्थानीय स्वराज्य, (२) चिकित्सा विभाग, (३) सार्वजनिक स्वास्थ, (४) शिक्षा, [योरपियनों और एंग्लो इंडयनों की शिक्षा छोड़ कर] (५) निर्म्माण कार्य विभाग [अर्थात् सड़कें, इमारतें] और ट्रामवे, (६) कृषि विभाग, (७) सहकारी समितियां, (८) जंगल (९) आबकारी, (१०) दस्तावेज़ों की रजिस्टरी का विभाग (११) जन्म मृत्यु और शादियों का उल्लेख विभाग (१२) धार्मिक और दान वाली संस्थायें, (१३) औद्योगिक विभाग तथा शिल्प शिक्षा, (१४) खाद्य तथा अन्य पदार्थों में मिलावट, (१५) तोल और माप, (१६) अजायबघर, चिड़ियाघर, और पुस्तकालय, (१७) हस्तान्तरित विषयों के लिए आवश्यक स्टोर और स्टेशनरी, (१८) ब्रिटिश भारत की सीमा में यात्रा।

गवर्नर और उनके अधिकार—बड़े प्रान्तों के शासन कार्य में गवर्नरों का पद मुख्य है। उन्हीं पर प्रान्तिक शासन, शान्ति, सुव्यवस्था, तथा विविध प्रकार की उन्नति का उत्तरदायित्व है। इसके सम्बन्ध में उन्हें सम्राट की ओर से

कुछ हिदायतें रहती हैं। सब गवर्नरों का वेतन और दर्जा बराबर नहीं है। बंगाल, बम्बई, और मद्रास के गवर्नर ऊँचे माने जाते हैं। सब गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है, परन्तु उक्त तीन प्रान्तों के गवर्नर, इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों में से, भारत मंत्री की सिफ़ारिश से नियत होते हैं*। अन्य गवर्नर प्रायः भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों में से, गवर्नर जनरल के परामर्श से, चुने जाते हैं।

यदि किसी विषय के सम्बन्ध में यह संदेह हो कि वह हस्तान्तरित है या नहीं, तो उसका निर्णय करने का अधिकार गवर्नर को है। ऐसे विषयों को जिनका सम्बन्ध हस्तान्तरित और रक्षित दोनों प्रकार के विषयों से हो, गवर्नर कुछ दशाओं में प्रान्तिक सरकार के दोनों भागों के विचारार्थ उपस्थित करता है। यदि उनमें मत भेद रहे तो वह स्वयं उसका निपटारा करता है। जो विषय हस्तान्तरित किया जा चुका हो उसे कौंसिल-युक्त भारत मंत्री की स्वीकृति बिना वापिस लिया (रक्षित बनाया) नहीं जा सकता। अगर कौंसिल-युक्त भारत मंत्री की आज्ञानुसार, किसी प्रान्त की प्रबन्ध कारिणी सभा मनसूख़ या मुलतवी करदी जाय तो गवर्नर को कौंसिल-युक्त गवर्नर के सब अधिकार होते हैं। बंगाल, बम्बई, और मद्रास के गवर्नर भारत मंत्री से सीधा पत्र व्यवहार कर सकते हैं, अन्य प्रान्तों के गवर्नरों को यह कार्य भारत सरकार

* अगर कभी गवर्नर जनरल का पद ख़ाली हो, तो इनमें से जो सीनियर (अधिक समय से काम करने वाला) होता है, वह उसका कार्य सम्पादन कर सकता है।

की मारफत करना होता है। गवर्नर, भारत सरकार की आज्ञाओं के प्रतिकूल, भारतमंत्री के यहां पुनः विचारार्थ दरख़ास्त दे सकते हैं, और अपनी इच्छानुसार अपने नीचे के कुछ बड़े बड़ ओहदों पर नियुक्तियां कर सकते हैं।

कुछ दशाओं में गवर्नर अपनी प्रबन्धकारिणी सभा के निर्णय के विरुद्ध काम कर सकता है। वह उसके सदस्यों में से एक को उसका उपसभापति नियत करता है और ऐसे नियम बना सकता है तथा ऐसी आज्ञायें दे सकता है जिनसे प्रबन्ध कारिणी सभा का संचालन सुविधा पूर्वक हो और, उस का मंत्रियों से नियमित सम्बन्ध बना रहे। गवर्नर को मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी कार्य करने का अधिकार है। यदि मंत्रियों और प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों में इस विषय का मत भेद हो कि प्रान्तिक सरकार की एकत्रित आय में से सरकार के किस भाग को कार्य संचालन के लिए कितनी रक़म मिले तो गवर्नर ही इसका निश्चय करता है।

प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य और मंत्री मंडल—गवर्नर अपने प्रान्त का शासन अपनी प्रबन्धकारिणी सभा और मंत्री मंडल की सहायता से करता है। प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होते हैं। इनकी, अधिक से अधिक चार तक, ऐसी संख्या होती है जो कौंसिल-युक्त भारत मंत्री नियत करे। इन सदस्यों में से कम से कम एक ऐसा होना चाहिये जिसे नियुक्ति के समय कम से कम बारह वर्ष का, सरकारी नौकरी का अनुभव हो। मंत्री मंडल में दो या अधिक मंत्री होते हैं। इन्हें गवर्नर अपने प्रान्त की

व्यवस्थापक परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से, जितने समय के लिए वह चाहे, नियुक्त करता है। ये सरकारी कर्मचारियों में से नहीं हो सकते। सुधार क़ानून ने इनका पद और वेतन प्रबन्ध कारिणी सभा के सदस्यों के समान ही रखा है, परन्तु उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए व्यवस्थापक परिषदों को उनका वेतन घटाने का अधिकार दिया है। ये गवर्नर को परामर्श देने वाले हैं, परन्तु गवर्नर इनके परामर्श के अनुसार ही कार्य करने को वाध्य नहीं है।

सेक्रेटरी—प्रत्येक मंत्री, तथा प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य की सहायतार्थ प्रायः एक एक सेक्रेटरी, सरकारी अफ़सरों या प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से, नियत किया जाता है। जो सेक्रेटरी व्यवस्थापक परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से नियत होते हैं, उन्हें कौंसिल सेक्रेटरी कहते हैं। उनका वेतन व्यवस्थापक परिषद् के मत से निश्चय होता है, इसलिए ये मंत्रियों की भांति परिषद् के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

प्रान्तिक शासन में भारत सरकार और भारत मन्त्री का सम्बन्ध—प्रान्तिक सरकारों का मुख्य कार्य क्षेत्र प्रान्तीय विषय, रक्षित या हस्तान्तरित, हैं। पर उन्हें अपने अपने प्रान्त में भारत सरकार के केन्द्रीय विषयों के सम्बन्ध में भी कुछ कर्तव्य पालन करना होता है, जैसे आय कर वसूल करना आदि। प्रान्तिक सरकार, ये कार्य भारत सरकार के एजन्ट की तरह और उसके सुभीते के लिए करती है। इस वास्ते भारत सरकार जब चाहे, इन कामों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर उनका संचालन अपने कर्मचारियों द्वारा करा सकती है।

प्रान्तों के रक्षित और हस्तान्तरित विषयों में, भारत सरकार और भारत मंत्री को विविध अधिकार हैं। प्रान्तिक स्वराज्य का श्री गणेश, हस्तान्तरित विषयों का उत्तरदायित्व मंत्रियों को देकर, किया गया है। इन विषयों में भारत सरकार का नियंत्रण कम कर दिया गया है। इस नियंत्रण का उद्देश्य केन्द्रीय विषयों की सुरक्षा, और ऐसे प्रश्नों का निपटारा करना है, जिनका सम्बन्ध दो या अधिक प्रान्तों से हो। ऋण लेने, और भारतीय सिविल सर्विस के कर्मचारियों के अधिकार, वेतन आदि के सम्बन्ध में भी भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। प्रान्तिक सरकारों को बहुत से पदों की सृष्टि, वेतन वृद्धि आदि के लिए भारत मंत्री की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

प्रान्तिक शासन सुधारों की आलोचना—रक्षित विषयों की अपेक्षा हस्तान्तरित विषयों का महत्व बहुत कम है। पुनः यह वर्गीकरण भी ठीक नहीं हुआ। उदाहरणवत्, खेती हस्तान्तरित विषय है, परन्तु उसकी उन्नति आबपाशी बिना नहीं होसकती, जो कि रक्षित रख लिया गया है। इसी प्रकार बिजली तथा मज़दूरी आदि के हस्तान्तरित हुए बिना उद्योग धन्धों की उन्नति नहीं होसकती। इस लिए जब तक किसी हस्तान्तरित विषय से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषय हस्तान्तरित न किये जांय, उसकी यथेष्ट उन्नति नहीं हो सकती। पुनः, प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों और मंत्रियों के कार्य विभाग में भी बड़ी त्रुटि है। मंत्रियों को प्रायः 'फाइनैंस' और 'होम' विभाग नहीं सौंपा जाता। क्या वे इन विभागों के उत्तरदायित्व को संभालने योग्य नहीं होते?

द्वैध शासन पद्धति में मन्त्रियों की दशा बड़ी नाज़ुक रहती है। यदि वह कुछ उन्नति न करें, जैसा काम चल रहा है, वैसा ही चलने दें, तो वे जनता के प्रिय नहीं होते। यदि वे उन्नति का प्रयत्न भी करें तो, गवर्नर उनके परामर्श के अनुसार कार्य करने को वाध्य न होने के कारण, वे (मन्त्री) बहुधा असफल रह जाते हैं। मंत्रियों को अपना कार्य भली भांति पूरा करने में यह भी एक बड़ी वाधा है कि उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारियों पर पूर्ण अधिकार नहीं है।

आर्थिक असुविधायें—शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, उद्योग धंधे आदि विषय प्रायः ऐसे हैं जिनमें ख़र्च की बहुत आवश्यकता होती है और मंत्रियों को किसी भी विभाग में नवीन ख़र्च करने के लिए अर्थ सदस्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जो मंत्री मंडल में न रहने के कारण जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि उक्त विषयों के लिए यथेष्ट द्रव्य नहीं मिल पाता।

सुधारों के अनुसार प्रान्तिक आय में, सबसे पहिले भारत सरकार को मिलने वाला निर्धारित भाग दिया जाकर, पहिले रक्षित विषयों का अधिकार है। पश्चात् जो आय शेष रहे, उसी में हस्तान्तरित विषयों के लिए मंत्रियों को सन्तोष करना पड़ता है। हां, अगर वह चाहें तो नया कर लगा सकते हैं, परन्तु भारतीय जनता पर पहिले ही इतने कर लगे हुए हैं कि अब और कर बढ़ाना लाभप्रद नहीं होता। यदि मंत्री हस्तान्तरित विषयों की उन्नति न करें तो उनके प्रबन्ध को पसन्द नहीं किया जाता और, यदि वे उन्नति के लिए कर बढावें तो जनता अप्रसन्न होती है।

प्रान्तिक स्वराज्य की आवश्यकता—इस प्रकार वर्तमान पद्धति में व्यवस्थापक परिषदों का बार बार मंत्रियों की निन्दा करने, और उनकी वेतन घटाने या बिल्कुल न देने का प्रस्ताव करना स्वाभाविक है। इस दशा में मंत्रियों को त्याग पत्र देना होता है, फिर जो नये मंत्री आते हैं, उनके सामने भी वही समस्यायें रहती हैं। निदान, ये सुधार स्वयं अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। बंगाल और मध्य प्रान्त के उदाहरण विद्यमान हैं। इस परिस्थिति का सुधार प्रान्तिक स्वराज्य से ही हो सकता है; सब प्रान्तिक विषय हस्तान्तरित हों, प्रबन्ध-कारिणी सभा के सब सदस्य व्यवस्थापक परिषदों के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी हों और उन्हें आय व्यय का यथेष्ट अधिकार हो।

आठवां परिच्छेद

प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदें

मार्ले-मिन्टो सुधार--प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों का आधुनिक संगठन सन् १९०९ ई० के मार्ले-मिन्टो सुधारों से हुआ है। इन सुधारों से निर्वाचन के सिद्धांत की क़ानूनन स्वीकृति हुई, प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदें विस्तृत की गयीं, और भिन्न भिन्न प्रान्तों में सदस्यों की संख्या २० से ५३ तक रखी गयी। इन सुधारों से पूर्व, सरकारी सदस्यों की अधिकता रहती थी, अब ग़ैर-सरकारी सदस्यों की अधिकता की गयी। परिषदों को प्रान्तीय आय व्यय के अनुमानित हिसाब (बजट)

पर बहस करने, तथा सार्वजनिक विषयों के प्रस्ताव उपस्थित करने का भी अधिकार मिला।

इन सुधारों से केवल परिमित निर्वाचक संघ, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ही लक्ष्य रखा गया। ख़ास ख़ास निर्वाचक संघ बनाये गये, म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों के अतिरिक्त मुसलमानों, वाणिज्य सभा, खान वालों तथा चाय और नील की खेती वालों को चुनाव का अधिकार दिया गया। इन में से जाति विशेष या समाज विशेष के पृथक् निर्वाचन संघों को छोड़ कर, और कहीं मूल निर्वाचक का और परिषद् में चुने हुए सदस्य का वास्तव में कोई सम्बन्ध न होता था।

मान्ट-फोर्ड सुधार—सन् १९१९ ई० के सुधारों से बड़े प्रान्तों में ऐसी परिवर्द्धित व्यवस्थापक परिषदें बनायी गयीं जिनमें बहुसंख्यक निर्वाचक संघों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, प्रतिनिधियों का आधिक्य रहे। पृथक् पृथक् जातियों के प्रतिनिधित्व का खंडन किया गया है, परन्तु मुसलमानों को, और पंजाब में सिक्खों को भी अपने विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है।

निर्वाचक कौन हो सकता है? साधारण निर्वाचक संघ में—जिन व्यक्तियों में निर्वाचक की अयोग्यतायें न हों (ये अयोग्यतायें छटे परिच्छेद में दी जाचुकी हैं।), और जिन में निम्न लिखित योग्यतायें हों,* वे ही साधारण निर्वाचक

* भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचकों की साम्पत्तिक योग्यता सम्बन्धी नियमों में भेद है। स्थानाभाव से हमने यहां संयुक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त के ही मुख्य मुख्य नियमों का उल्लेख किया है।

संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं :—

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों; और

२-(क)जो ऐसे मकान के मालिक हों जिसका वार्षिक किराया ३६) रु० या उससे अधिक हो,

या (ख)—जो ऐसे शहर में जहां पर म्युनिसिपैलिटी द्वारा हैसियत-कर लिया जाताहो, २००) रु० की वार्षिक आय पर कर देते हो,

या(ग)—जो भारत सरकार को आय-कर देते हों,

या(घ)—जो ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी आय निर्धारित रक़म या उससे अधिक हो,

[युक्त प्रान्त में, कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों में ज़मीन के सब मालिक तथा अन्य स्थानों में २५) रु० वार्षिक माल-गुज़ारी वाली ज़मीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं। मध्य प्रान्त में जो व्यक्ति किसी ऐसी इस्टेट या महाल के ठेकेदार या मालिक, हों, जिसकी वार्षिक मालगुज़ारी १००) रु० से कम न हो, निर्वाचक हो सकते हैं]

या (च)—जिनके अधिकार में निर्धारित आय या उससे अधिक की ज़मीन हो,

[युक्त प्रान्त में ५०) रु० या अधिक वार्षिक लगान, और मध्य प्रान्त के भिन्न भिन्न ज़िलों में ३० रु० से ५० रु० या अधिक तक का वार्षिक लगान या मालगुज़ारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या(छ)--जो भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी छोड़ चुकने वाले अफ़सर या सिपाही हों।

विशेष निर्वाचक संघ में--किसी विश्व विद्यालय के निर्वाचक संघ में मत देने का अधिकार उनही व्यक्तियों को होता है जो उसकी 'कोर्ट' या 'सीनेट' सभा के सदस्य हों, या जिन्हों ने सात वर्ष पहिले बी. ए. की परीक्षा पास की हो, या जिन्हों ने एम. ए. की डिगरी हासिल कर रखी हो और उसी प्रान्त में रहने वाले हों, जिस में उपर्युक्त निर्वाचक संघ है।

संयुक्त प्रान्त के ज़मीदार निर्वाचक संघ में, वह व्यक्ति निर्वाचक होसकता है जो अवध की ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन का सदस्य हो, या जो आगरा प्रान्त में रहता हो और ऐसी ज़मीन का मालिक हो जिसकी वार्षिक मालगुज़ारी ५००० रु० से कम न हो। मध्य प्रान्त में ३००० रु० या अधिक वार्षिक मालगुज़ारी देने वाले व्यक्ति ज़मींदार निर्वाचक संघ में निर्वाचक हो सकते हैं।

वर्तमान परिषदें--अब प्रत्येक बड़े प्रान्त में एक व्यवस्थापक परिषद् है, जिसकी आयु साधारणतः तीन वर्ष होती है। प्रत्येक परिषद् में उस प्रान्त की प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य गवर्नर से नामज़द किये हुए सदस्य, तथा भिन्न भिन्न निर्वाचक संघों द्वारा निर्वाचित सदस्य, रहते हैं। इनका ब्यौरा अगले पृष्ठ में दिये हुए नक्शे से विदित होगा।

प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य

प्रान्त	निर्वाचित													नामज़द			
	ग़ैर मुसलमान		मुसलमान														
	ग्राम्य	नागरिक	ग्राम्य	नागरिक	योरपियन	ऐंग्लो इंडियन	ज़मींदार	विश्व विद्यालय	खान और खेती	उद्योग और वाणिज्य	सिक्ख	इसाई	योग	प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों सहित, सरकारी	ग़ैर—सरकारी	योग	समस्त योग
बंगाल	३५	११	३३	६	५	२	५	१	...	१५	...	...	११३	१८	८	२६	१३९
मद्रास	५६	९	११	२	१	१	६	१	१	५	...	५	९८	१९	१०	२९	१२७
बम्बई	३५	११	२२	५	२	...	३	१	...	७	...	...	८६	१६	९	२५	१११
संयुक्त प्रान्त	५२	८	२५	४	१	...	६	१	...	३	...	...	१००	१६	७	२३	१२३
विहार-उडीसा	४२	६	१५	३	...	...	...	१	३	...	...	...	७६	१८	९	२७	१०३
मध्य प्रांत	३१	९	६	१	...	...	३	१	१	२	...	...	५४	८	८	१६	७०
पंजाब	१३	७	२७	५	...	...	४	१	...	३	१२	...	७१	१४	८	२२	९३
आसाम	२०	१	१२	...	...	...	...	...	५	१	...	...	३९	७	७	१४	५३

किसी परिषद् के सदस्यों में २० फ़ी सदी से अधिक सरकारी, और ७० फ़ी सदी से कम निर्वाचित, नहीं होते। मद्रास में अ-ब्राह्मणों के लिए २८, और बम्बई में मरहटों के लिए ८ सीट (जगहें) सुरक्षित रखी गयी हैं। १७ सदस्य बरार (जो क़ानूनन ब्रिटिश प्रान्त नहीं है) के निर्वाचन में आने पर नामज़द किये जाकर, मध्य प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद् के निर्वाचित सदस्य समझे जाते हैं। आसाम में एक सदस्य, जो नक्शे में ग़ैर-मुसलमान नागरिक दिखाया गया है वह साधारण निर्वाचक संघ से चुना जाता है, जिस में मुसलमान भी सम्मिलित हैं।

आधुनिक परिषदों में विशेष तथा जाति-गत प्रतिनिधित्व है, इससे देश की बड़ी हानि होती है [इस विषय में हम अपने विचार पहिले प्रकट कर चुके हैं]; इसे हटाया जाना चाहिये। पुनः प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों में नामज़द सदस्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब सदस्य निर्वाचित होने चाहियें।

सदस्यता—व्यवस्थापक परिषदों के लिए सदस्यता के नियम उसी प्रकार के हैं, जैसे राज्य परिषद के प्रसंग में, हम छटे परिच्छेद में बता आये हैं; हां परिषदों के लिए खड़े होने वाले उम्मेदवारों की, जमा की जाने वाली अमानत की रक़म २५०) रु० निर्द्धारित की गयी है।

मताधिकार—सन् १९२३ ई० में, बर्मा को मिलाकर, ब्रिटिश भारत में ७४,१४,००० पुरुषों तथा १,६५,००० स्त्रियों

को मताधिकार प्राप्त था। * सब प्रान्तों में बर्मा के मताधिकारियों की संख्या अधिकतम अर्थात १७,६३,००० थी। इस के बाद संयुक्त प्रान्त का नम्बर था, इस प्रान्त में १५,५४,००० मताधिकारी थे।

भिन्न भिन्न प्रान्तों में कुल पुरुष मताधिकारियों में से निम्न लिखित फ़ी सदी निर्वाचकों ने उक्त वर्ष के निर्वाचन में अपना मत दिया था:—मध्य प्रान्त ५७·४; बिहार उड़ीसा ५२·१; बम्बई ४८·५; पंजाब ४९·१; संयुक्त प्रान्त ४३·५; आसाम ४२, बंगाल ३९, मद्रास ३८, और बर्मा ७। मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रान्त में, निर्धारित गुण होने पर, स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त था, इनमें से क्रमशः १०, १८, और २·५ फ़ी सदी स्त्रियों ने ही अपने अधिकार का उपयोग किया।

सभापति और उपसभापति—व्यवस्थापक परिषद् का सभापति परिषद् द्वारा निर्वाचित होकर गवर्नर से नियुक्त

---

* इस वर्ष सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में बीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या ६,५६,४७,००० थी। इस प्रकार, उन में से केवल ११·२ फ़ीसदी पुरुषों को मत देने का अधिकार था। अर्थात् हमारी प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदें, अधिक से अधिक, ११·२ फी सदी पुरुषों (और उन से बहुत ही कम स्त्रीयों) की प्रतिनिधि हैं। इस से स्पष्ट है कि निर्वाचन नियम बहुत संकुचित हैं, शीघ्र ही इन में ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि व्यवस्थापक परिषदें वास्तव में जनता की प्रतिनिधि कही जासकें। निर्वाचन सुधार के विषय में विशेष रूप से, भारतीय ग्रन्थ माला की 'निर्वाचन नियम' पुस्तक में विवेचन किया गया है।

होता है। उपसभापति परिषद् के सदस्यों में से ही, परिषद् द्वारा चुना जाता है। सभापति और उपसभापति का वेतन परिषद् द्वारा निश्चय होता है।

परिषदों के नियम—व्यवस्थापक परिषदों की कार्य प्रणाली के नियम बहुत विस्तृत हैं। हम यहां उनमें से कुछ ख़ास ख़ास का उल्लेख मात्र कर सकते हैं। गवर्नर को अधिकार है कि ग़ैर-सरकारी कार्य के लिए समय और क्रम निश्चय करे। सभापति को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति, इस आधार पर देने से इनकार करदे कि यह प्रान्तिक सरकार से विशेष सम्बन्ध नहीं रखता। कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर परिषद में विचार नहीं हो सकता, उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गवर्नर को है। सार्वजनिक महत्व के किसी ख़ास विषय की बहस करने के लिए परिषद् के अधिवेशन को कुछ शर्तों के साथ मुलतवी करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। काम प्रायः अंगरेज़ी में होता है, अंगरेज़ी न जानने वाले सदस्य अपने प्रान्त की प्रधान भाषा में भाषण कर सकते हैं। सभापति को अधिकार है कि वह किसी सदस्य के भाषण में पुनरुक्ति या अप्रासंगिक विषय का उल्लेख करे और, उसको बोलने से रोके।

परिषदों के अधिकार—व्यवस्थापक परिषदों को प्रश्न पूछने और प्रस्ताव करने का वैसा ही अधिकार है, जैसा भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में, हम छटे परिच्छेद में बता आये हैं। इन परिषदों में किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग के उपस्थित किये जाने से रोकने का अधिकार, उस प्रान्त के गवर्नर को होता है।

प्रत्येक प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद् को, कुछ नियमों का पालन करते हुए, यह अधिकार है कि वह अपने प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति अथवा सुप्रबन्ध के लिए सार्वजनिक महत्व का क़ानून बनावे या अपने प्रान्त सम्बन्धी उन क़ानूनों का संशोधन करे जो ब्रिटिश भारत के अन्य अधिकारी या संस्था ने बनाये हों। परिषदों को पार्लिमेंट के बनाये किसी क़ानून के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। कुछ विषयों के क़ानून बनाने या उन पर विचार करने के पूर्व, गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है, उनमें से मुख्य ये हैं :—

(१) ऐसा नया कर लगाना जिस के लिए सुधार क़ानून के अनुसार स्वीकृति लेनी आवश्यक हो, (२) भारत का सरकारी ऋण, आयात निर्यात कर या दूसरा कर जो कौंसिल-युक्त गर्वनर जनरल ने केन्द्रीय सरकार के लिए लगाया हो (३) सम्राट की सेना के रखने या उसकी क़वायद के सम्बन्ध में, (४) विदेशी रियासतों या नरेशों सम्बन्धी, (५) किसी केन्द्रीय विषय के सम्बन्ध में, (६) ऐसे प्रान्तिक विषय के सम्बन्ध में जो अंशतः अथवा पूर्णतः भारतीय व्यवस्थापक मंडल के अधीन हो, (७) ऐसे अधिकार के सम्बन्ध में जो उस समय प्रचलित क़ानून के अनुसार कौंसिल-युक्त गर्वनर जनरल के अधीन हो, (८) भारतीय व्यवस्थापक सभाओं के क़ानून के किसी उपनियम का परिवर्तन या संशोधन, जो उस क़ानून के अनुसार पूर्व, स्वीकृति बिना बदला या संशोधित किया न जा सके।

परन्तु, प्रान्तिक परिषदों का बनाया हुआ कोई क़ानून,

जिस पर गर्वनर जनरल पीछे से स्वीकृति दे दे, केवल इस कारण नाजायज़ क़रार नहीं दिया जा सकता कि उसके लिए पहिले गर्वनर जनरल की स्वीकृति की आवश्यकता थी।

क़ानून कैसे बनते हैं ?—प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह परिषद् में विचारार्थ किसी विषय के क़ानून का मसविदा उपस्थित करे जो प्रान्तिक परिषद् के अधिकार-सीमा के अन्दर हो; सरकारी मसविदा सरकार के उस सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता है जो मसविदे के विषय का अधिकार रखता हो। जब कोई ग़ैर-सरकारी सदस्य कोई मसविदा उपस्थित करना चाहता है तो उसे अपने इस विचार की, पहिले सूचना देनी होती है। जब कोई मसविदा नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है तो वह प्रायः विशेष कमेटी में भेजा जाता है। इस कमेटी का चेयरमैन वह सरकारी सदस्य होता है जो इस विषय का अधिकार रखता हो। उसकी रिपोर्ट परिषद् में पेश की जाती है। पश्चात् मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर, पृथक पृथक विचार किया जाता है। यदि बहुमत अनुकूल हो तो मसविदा पास किया जाता है और, गवर्नर तथा उसके पश्चात् गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिलने पर, वह क़ानून बन जाता है।

गवर्नर के अधिकार—गवर्नर, व्यवस्थापक परिषद् के अधिवेशन के लिए समय और स्थान नियत करता है। उसे परिषद् के सन्मुख भाषण करने का अधिकार है और इस कार्य के लिए वह परिषद् के सदस्यों को बुला सकता है। वह परिषद् को उसकी साधारण अवधि (तीन वर्ष) से पहिले

बर्ख़ास्त कर सकता है अथवा, यदि वह, विशेष दशाओं में, उचित समझे तो उसे एक साल तक बढ़ा सकता है। बर्ख़ास्त करने की दशा में उसे परिषद् के अगले अधिवेशन की तारीख़, उसको बर्ख़ास्त करने के समय से छः महीने तक की, अथवा भारत मंत्री की अनुमति से नौ महीने तक की, नियत करनी होती है। अगर गवर्नर यह तसदीक़ करदे कि किसी क़ानून का मसविदा या उस का कोई अंश या संशोधन ऐसा है जो उसके प्रान्त या अन्य किसी प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति में बाधक होगा और, वह (गवर्नर) यह हिदायत करदे कि उक्त मसविदे या उसके किसी अंश या संशोधन पर परिषद् में विचार नहीं होना चाहिये तो उसकी हिदायत के अनुसार काम होता है। गवर्नर किसी मसविदे या उसके किसी अंश को अपने संशोधनों सहित परिषद् में पुनः विचारार्थ भेज सकता है। वह परिषद् के स्वीकृत मसविदे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, अथवा उसे गवर्नर जनरल के विचारार्थ भी रख सकता है।

यदि परिषद् किसी रक्षित विषय सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे को उपस्थित किये जाने की अनुमति न दे अथवा उसे उस रूप में पास न करे, जिसमें गवर्नर ने पास कराने की सिफ़ारिश की हो तो गवर्नर यह तसदीक़ कर सकता है कि उक्त विषय सम्बन्धी उत्तरदायित्व-पालन के लिए उसका पास होना आवश्यक है। इस पर वह पास समझा जाता है। गवर्नर के हस्ताक्षर पर वह उसी रूप में क़ानून बन जायगा, जिस रूप में वह उपस्थित किया जाने वाला था, अथवा

गवर्नर ने उसे पास कराने की सिफ़ारिश की थी। ऐसा क़ानून गवर्नर का बनाया हुआ क़ानून समझा जाता है। गवर्नर इसकी एक प्रति गवर्नर जनरल को भेज देता है और गवर्नर जनरल इसे सम्राट की स्वीकृति के लिए रख छोड़ता है। जब सम्राट अपनी प्रिवी कौंसिल की सम्मति से उसे स्वीकार कर लेता है, तब गवर्नर जनरल इसकी सूचना प्रकाशित कर देता है। ऐसा क़ानून प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद् से पास हुए क़ानून के समान समझा जाता है। अत्यन्त आवश्यकता होने की दशा में गवर्नर जनरल, गवर्नर के भेजे हुए क़ानून की, स्वयं स्वीकृति दे देता है, जब तक सम्राट की अस्वीकृति प्राप्त न हो, यह क़ानून समझा जायगा। इस प्रकार बना हुआ क़ानून यथा सम्भव शीघ्र ही पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के अधिवेशनों में ८ दिन तक रखा जाता है, इसके पहिले वह सम्राट की स्वीकृति के लिए उपस्थित नहीं किया जाता।

प्रान्तीय आय व्यय के नियम—प्रत्येक प्रान्त की आय व्यय का अनुमान नक्शे की शक्ल में, प्रति वर्ष परिषद् के सन्मुख उपस्थित किया जाता है, और आय को ख़र्च करने के लिए प्रान्तीय सरकार के प्रस्तावों पर (जो माँग के स्वरूप में होते हैं,) परिषद् का मत लिया जाता है। परिषद् किसी मांग को स्वीकार कर सकती है, या उसे पूर्णतया अथवा उसके किसी अंश को अस्वीकार कर सकती है। इस विषय में इन नियमों पर ध्यान दिया जाता है—

(१) व्यय की निम्नलिखित मद्दों के प्रस्तावों पर परिषद् के मत नहीं लिये जाते—

(क) जो रक़म प्रान्तीय सरकार की ओर से कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल को देनी होती है, (यह निश्चित की हुई है)

(ख) सरकारी ऋण और उस पर व्याज।

(ग) जो ख़र्च किसी क़ानून से निश्चित हो चुका है।

(घ) उन लोगों का वेतन जो सम्राट द्वारा या उनकी पसंद से, अथवा कौंसिल-युक्त भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त किये गये हों।

(ङ) प्रान्त के हाईकोर्ट के जजों तथा एडवोकेट जनरल का वेतन।

(२) अगर कोई मांग रक्षित विषय सम्बन्धी हो और गवर्नर यह निर्णय कर दे कि उस विषय सम्बन्धी उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए उसकी आवश्यकता है तो प्रान्तीय सरकार, परिषद् के निर्णय को रद्द कर सकती है।

आवश्यकता के समय गवर्नर ऐसे ख़र्च के किये जाने का अधिकार दे सकता है जो उसकी सम्मति में प्रान्त की शान्ति या सुरक्षा के लिए, अथवा किसी विभाग के संचालन के लिए ज़रूरी हो। जब तक, गवर्नर, परिषद् को इस बात की सिफ़ारिश न करे, कोई रक़म किसी कार्य के लिए व्यय करने का प्रस्ताव नहीं होता।

× × ×

यह स्पष्ट है कि गवर्नरों (तथा गवर्नर जनरल) के

वर्तमान अधिकारों के रहते हुए प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषदों की शक्ति का कुछ विशेष महत्व नहीं है। अनेक भुक्त भोगी सज्जन इन से निराश हैं और विविध प्रकार से यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इनके स्थान पर ऐसी शक्तिशाली परिषदों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करें जो शासन कार्य को जनता के मतानुकूल बनाये रखने के लिए शासकों का यथेष्ट नियंत्रण कर सकें। शुभम् भूयात्।

नवां परिच्छेद

ज़िले का शासन

प्रान्तों के भाग; कमिश्नरियां—मद्रास प्रान्त को छोड़ कर, प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार पांच कमिश्नरियां होती हैं। कमिश्नरी के अफसर को कमिश्नर कहते हैं। यह शासन सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं करता, केवल अधीन शासकों (ज़िला अफ़सरों) के काम की जांच पड़ताल करता है। ज़िलों से जो रिपोर्ट या पत्रादि प्रान्तिक सरकार के पास जाते, हैं, वे सब कमिश्नरों के हाथ से गुज़रते हैं। कमिश्नर माल (Revenue) के मुक़द्दमों की अपील भी सुनता है। मालगुज़ारी के बन्दोबस्त में इसका काम केवल परामर्श देना है, पर विशेष दशाओंमें मालगुज़ारीकी वसूलयाबी रोकने का इसे अधिकारहै।

मद्रास प्रान्त में कमिश्नरियां नहीं हैं, ज़िले ही हैं। वहां कमिश्नरों के बिना भी सब काम सुचारू रूप से होरहा है।

अन्य प्रान्तों में भी कमिश्नरों की विशेष आवश्यता प्रतीत नहीं होती। ये हटा दिये जाने चाहियें।

शासन व्यवस्था में ज़िले का स्थान—प्रत्येक कमिश्नरी में तीन या अधिक ज़िले होते हैं। ब्रिटिश भारत में ज़िलों की कुल संख्या २६७ है। प्रत्येक ज़िले का औसत क्षेत्रफल ४११२ वर्ग मील है, तथा उसकी औसत मनुष्य संख्या ९ लाख २६ हज़ार है। कोई ज़िला छोटा है, कोई बड़ा। इसी प्रकार, कहीं की मनुष्य संख्या कम है, कहीं की बहुत अधिक। ज़िलों की सीमा निश्चित करने में प्रायः यह विचार रखा जाता है कि वहां के शासक को मालगुज़ारी तथा प्रबन्धादि का काम अन्य ज़िलों के शासकों के समान ही करना पड़े।

ब्रिटिश भारत में शासनकी इकाई ज़िला ही है। राज्य की कल जैसी एक ज़िले में चलती दिखायी पडती है, वैसी ही प्रायः अन्य ज़िलों में भी हैं। जैसे अफसर एक में काम करते हैं, वैसे ही औरों में भी हैं। जनता के काम काज का मुख्य स्थान और लोक-व्यवहार का केन्द्र ज़िला है। जो मनुष्य अन्य प्रान्तों तथा दूसरे शहरों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा ज़िले में काम पड़ जाता है। यहां की ही शासन-व्यवस्था को देखकर जनसाधारण समस्त देश के राज्य-प्रबन्ध का अनुमान किया करते हैं।

ज़िला मेजिस्ट्रेट—प्रत्येक ज़िला एक जिला मेजिस्ट्रेट के अधीन रहता है, उसे साधारण बोल चाल में कलेक्टर ('Collector) कहते है। (पंजाब, बर्मा, अवध और मध्य प्रान्त में वह डिप्टी कमिश्नर कहलाता है)।

ज़िले के लोगों के लिए ज़िला-मेजिस्ट्रेट ही सरकार का प्रतिनिधि है। उच्च कर्मचारियों को वह भले ही न जानें, पर ज़िला-मेजिस्ट्रेट से तो उन्हें बहुधा काम पड़ता रहता है। इसी की योग्यता पर सरकार के नियमों से प्रजा का यथेष्ट लाभ होना अथवा न होना निर्भर है और जैसा इसका बर्ताव रहता है, उसी से अधिकांश जन-समाज सरकार की नीति का अन्दाज़ा लगाते हैं। जैसा कि आगे लिखे इसके कर्तव्यों से विदित होगा, यह केवल सरकार का हाथ मुंह ही नहीं, वरन आंख कान भी है।

ज़िले के अन्य कार्य कर्ता—ज़िले में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं यथा :- शान्ति रखना, झगड़ों का फ़ैसला करना, मालगुज़ारी वसूल करना, सड़क पुल अदि बनवाना, अकाल में लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, म्युनिसिपेल व लोकल बोर्डों की निगरानी रखना, जेलख़ाना व पाठशाला आदि का निरीक्षण करना, इत्यादि। इन विविध कार्यों के लिए ज़िले में कई एक अफ़सर रहते हैं, जैसे पुलिस सुपरिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, मुन्सिफ़, एग्ज़ैक्टिव इंजिनियर, सिविल सर्जन, जेल सुपरिंटेंडेंट तथा स्कूल-इन्स्पेक्टर आदि

ये अफ़सर अपने पृथक् पृथक् विभागों के उच्च कर्मचारियों के अधीन होते हैं परन्तु शासन के विचार से ज़िला-जज व मुन्सिफ़ आदि को छोड़ सब पर ज़िला-मेजिस्ट्रेट ही प्रधान होता है। ज़िले के हाकिम से उसका ही संकत होता हैं। इस के कार्य में सहायता देने के लिए डिप्टी व सहायक मैजिस्ट्रेट भी रहते है।

ज़िले के कार्य क़र्ताओं को क़ानून बनाने का अधिकार नहीं

होता। इनका मुख्य काम यह है कि ये सरकार के बनाये क़ानून को व्यवहार में लावें तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हां, क़ानून बनाने में अप्रकट रूप से इतना भाग इनका अवश्य रहता है कि इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार स्थानीय परिस्थिति का अनुमान करती है और तद्नुसार क़ानून बनाती है।

ज़िला-मेजिस्ट्रेट के अधिकार और कर्तव्य—उसकी संयुक्त उपाधि 'कलेक्टर-मेजिस्ट्रेट' उसके डबल कार्य की बोधक है। क्लेक्टर की हैसियत से वह ज़िले की मालगुज़ारी वसूल करता है और मेजिस्ट्रेट की हैसियत से वह ज़िले का शासन करता है। अपनी अमलदारी के भूमि सम्बंधी मामलों पर वह विचार करता है, सरकार और प्रजा के सम्बन्ध का वह ध्यान रखता है और ज़मीदारों और किसानों आदि के झगड़े का वह फ़ैसला करता है। दुर्भिक्ष अथवा अन्य आवश्यकता के समय कृषकों को सरकारी सहायता उसकी सम्मति के अनुसार मिलती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय आबकारी, इन्कम-टैक्स, स्टाम्प-ड्यूटी तथा आय के अन्य श्रोत भी उसी के सुपुर्द हैं। ज़िले के ख़ज़ाने का वही उत्तरदाता है। उसे म्यूनिसिपैलिटियों तथा ज़िला बोर्डों की निगरानी का अधिकार है। उसे अव्वल दर्जे की मेजिस्ट्रेटी के भी अधिकार प्राप्त हैं, जिन से वह एक एक अपराध पर साधारणतः दो साल की क़ैद और एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। ज़िले की सब प्रकार की सुख शांति का वही उत्तरदाता है। वही अपने अधीन पदाधिकारियों के विरुद्ध अपील सुनता है और स्थानीय पुलिस की निगरानी भी करता है। इस

गया है कि वे पुलिस का पक्ष लेते हैं। इससे न्याय नहीं होने पाता। इस लिए न्याय कार्य को शासन कार्य से पृथक् रखना चाहिये, इसका बहुत वर्षों से आन्दोलन हो रहा है।

ज़िले के भाग और उनके अधिकारी—प्रायः प्रत्येक ज़िले के कुछ भाग होते हैं, उन्हे सब-डिविज़न कहते हैं। हर एक सब-डिविज़न एक डिप्टी कलेक्टर अथवा एक्सट्रा ऐसिस्टैंट कमिश्नर के अधीन रहता है। अपनी अपनी अमलदारी में सब-डिविजनों के अफ़सरों के अधिकार थोड़े बहुत भेद से कलेक्टर-मेजिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं।

बंगाल को छोड़ अन्य प्रान्तों में, प्रत्येक ज़िले के अन्तर्गत ५,६ तहसीलें (या ताल्लुक़े) हैं। इन्हें आसाम में 'सर्कल' और बर्मा में 'टाउनशिप' कहते हैं। ज़िलों के ये विभाग आसाम में सब-डिप्टी कलेक्टरों, बर्मा में माइउकों, बम्बई में मामलतदारों, पंजाब व संयुक्तप्रान्त में तहसीलदारों और सिन्ध में मुख्त्यारकरों के अधीन हैं; जो प्रायः सब देशी अफ़सर होते हैं। तहसीलदार आदि कर्मचारी प्रजा और सरकार के बीच मानों मध्यस्थ रूप हैं। उनका काम दोनों को एक दूसरे के विषय में आवश्यक सूचना देते रहना है। ये अपने इलाक़े के माल व फ़ौजदारी के ही काम के उत्तरदाता नहीं हैं, वरन् ये म्यूनिसिपैलिटियों और देहाती बोर्डों में भी यथोचित कार्य करते हैं। इनके सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, क़ानूगो, रेवन्यू-इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। प्रायः एक तहसील में कई सर्कल या हल्क़े होते हैं।

गांवों के अधिकारी—हर एक हल्क़े में एक या अधिक

गांव होते हैं। हलक़ा पटवारी के अधीन रहता है, बड़े हल्क़ों में एक से अधिक भी पटवारी रहते हैं। यह कर्मचारी अपने हल्क़े के किसानों व ज़मींदारों के हक़ हकूक़ के काग़ज़ों को, सरकार की ओर से रखता है और, सरकार में प्रत्येक परिवर्तन की रिपोर्ट करके 'खेवट', 'खतौनी' आदि रखता है। इसे बम्बई में कारकुन कहते हैं। पटवारी के अतिरिक्त गांव में निम्न लिखित कार्यकर्त्ता रहते हैं :—

१—लम्बरदार। यह मालगुज़ारी व आबपाशी की रक़म एकत्र करके तहसील में भेज देता है, जहां से वह ज़िले में भेजी जाती है।

२—चौकीदार। यह पहरा देता व चौकसी करता है, पुलिस में प्रति सप्ताह मृतकों व नवजात बालकों की खबर देता है और, चोरी, क़त्ल तथा अन्य अपराधों की रिपोर्ट करता है।

३—मुखिया (या मुक़द्दम); यह चौकीदारों का अफ़सर एवं पुलिस का प्रतिनिधि है और पुलिस को आवश्यक विषयों की सूचना देता रहता है।

दसवां परिच्छेद

स्थानीय स्वराज्य

स्वाधीन राष्ट्रों की शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों में है।
—डी० टोकविल

प्राक्कथन—भारतवर्ष स्वराज्य-प्राप्त देश नहीं है। यहां की जनता को अपने देश या प्रान्त के शासन में बहुत थोड़े अधिकार हैं। उन्हें सरकार द्वारा केवल अपने अपने स्थानों अर्थात् देहातों या नगरों के सुधार या प्रबन्ध सम्बन्धी ही कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए जो संस्थायें बनायी गयी हैं, वे स्थानीय स्वराज्य सस्थायें कहलाती हैं। इनके भेद ये हैं:—(१) कारपोरेशन, म्युनिसिपैलिटियां, और नोटीफ़ाइड एरिया, (२) पोर्ट ट्रस्ट, (३) इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट; (४) बोर्ड या यूनियन कमेटियां, और (५) पञ्चायत।

प्राचीन व्यवस्था—पहिले यहां प्रत्येक गांव (या नगर), देश का एक स्वावलम्बी भाग होता था। उसमें एक प्रभावशाली पंचायत रहती थी, जो स्थानीय रक्षा कार्य के लिए अपनी पुलिस रखती, स्वयं भूमिकर वसूल करके राजकोष में भेजती, और छोटे मोटे दीवानी और फ़ौजदारी के झगड़ों का निपटारा करती थी। राज वंश बदले, क्रान्तियां हुईं, बारी बारी से हिंदू, पठान, मुग़ल, मराठे, और सिक्खों का प्रभुत्व हुआ। परन्तु

सब विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए ग्राम्य संस्थाओं ने अपना अस्तित्व और स्वतंत्रता बनाये रखी।

आधुनिक स्थिति—अंगरेज़ों के प्रारम्भिक समय में ग्राम्य संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा लिए जाने पर, ग्राम्य संगठन का क्रमशः ह्रास होगया। यद्यपि अब भी पञ्चायती मन्दिर और धर्मशाला आदि बनते हैं, ये प्राचीन व्यवस्था के स्मृति-चिन्ह मात्र हैं। अब पुनः नवीन रूप से पञ्चायतें स्थापित कराने का उद्योग होरहा है। इसका विवेचन आगे किया जायगा।

आधुनिक काल की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का श्री गणेश विशेष रूप से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। परन्तु, उन्नति की गति बहुत मन्द रही। नवीन सुधारों के सम्बन्ध में विचार करने के समय भारत सरकार का भारत मंत्री से इस विषय पर पत्र व्यवहार हुआ; अन्ततः १९१८ में उसने अपना नया मंतव्य प्रकाशित कराया। इसमें बतलाया गया कि किस किस प्रकार से प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय स्वराज्य की उन्नति का उद्योग करना चाहिये; स्थानीय स्वराज्य संस्थायें अपने अपने क्षेत्र के निवासियों की अधिक से अधिक रूप में प्रतिनिधि हों; जो काम उन्हें सौंपे जांय, उनमें उनका अधिकार नाम मात्र का ही न होकर वास्तविक हो; उनके कामों का नियंत्रण नामज़द सरकारी सदस्यों द्वारा न हो, वरन् ज़िला मेजिस्ट्रेट द्वारा हो, जो इन संस्थाओं का सदस्य न हो। उसका भी नियंत्रण क्रमशः कम होता रहे और वह कर लगाने, वार्षिक आय व्यय का अनुमान-पत्र तैयार करने, सड़कें, इमारतें आदि बनवाने में अधिक हस्तक्षेप न करे।

निसंन्देह, बातें खासी अच्छी हैं, क्या इन के अनुसार कार्य्य हो रहा है ?

अब हम क्रमशः एक एक प्रकार की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का वर्णन करते हैं।

कारपोरेशन—कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास शहर की म्यूनिसिपैलिटियां 'म्यूनिसिपेल कारपोरेशन' या केवल 'कारपोरेशन' कहलाती हैं। इन के सदस्यों (कमिश्नरों) को कौंसिलर, और सभापति को 'मेयर' कहते हैं। अन्य म्युनिसिपैलटियों से इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय व्यय तथा कार्य क्षेत्र अधिक, होता है।

म्यूनिसिपैलिटियां—म्यूनिसिपैलिटियों का कार्यक्षेत्र नगर या शहर है। इनके दो उद्देश्य हैं, नगर का सुधार होना और जन साधारण को सार्वजनिक कार्य करने की व्यवहारिक शिक्षा मिलना।

सन् १८४२ ई० में बंगाल में, और सन् १८५० ई० में समस्त भारतवर्ष में म्युनिसिपैलिटियां स्थापित करने के विचार से क़ानून बनाया गया। इनकी कुछ वास्तविक उन्नति सन् १८७० ई० में, लार्ड मेयो के समय में हुई। सन् १८८४ ई० में लार्ड रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्रचार हुआ है। अब स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त है। नया निर्वाचन तीन साल में होता है।

म्युनिसिपैलटियों को जाति-गत प्रतिनिधित्व दिया गया

है। यह, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के लिए तो बहुत ही अहितकर है। यह शीघ्र दूर किया जाना चाहिये।

अधिकांश ब्रिटिश भारत में, प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचित सदस्य उनकी कुल संख्या के आधे से दो तिहाई तक, रहते हैं। सभापति सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उप-सभापति सदस्यों में से ही निर्वाचित होता है। म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों में सेक्रेटरी का पद बड़े महत्व का होता है।

निर्वाचक कौन हो सकता है?—प्रत्येक प्रान्त में, म्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचकों के योग्यता सम्बन्धी साधारण नियम समान हैं, पर कुछ ब्यौरेवार नियमों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता है। स्थानाभाव के कारण, हम यहां युक्त प्रान्त के मुख्य मुख्य नियमों का ही उल्लेख करते हैं।

युक्त प्रान्त में किसी म्युनिसिपैलिटी के एक निर्वाचक संघ की सूची में वे ही व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:—

१—जो म्युनिसिपैलिटी को निर्धारित या उससे अधिक 'हाउस-टैक्स' (गृह-कर) आदि म्युनिसिपेल कर देते हों। इस कर में चुङ्गी या महसूल की रक़म शामिल नहीं होती,

[भिन्न भिन्न म्युनिसिपैलिटियों में इस म्युनिसिपेल-कर की मात्रा पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी है, उदाहरणार्थ बलिया म्युनिसिपैलिटी में वार्षिक ४ रु०, फैज़ाबाद में

वार्षिक ६ रु० और मसूरी में वार्षिक २४ रु० या इससे अधिक कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या २—जो निर्वाचक सूची तैयार होने के निर्धारित दिन तक, म्युनिसिपैलिटी की सीमा में कम से कम बारह महिने रहे हों।

और (क)—जो किसी विश्व विद्यालय के ग्रेजुएट हों,

या (ख)—जो भारत सरकार को आय-कर देते हों,

या (ग)—जो म्युनिसिपेल सीमा के अन्दर ऐसे मकान के मालिक या उसमें रहने वाले हों जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित रक़म या उससे अधिक हो,

[प्रायः कम से कम ३६ रु० वार्षिक किराये वाले मकान के मालिक, या उसमें रहने वाले निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (घ)—जो ऐसी ज़मीन के मालिक (या मौरूसी काश्त-कार) हों, जिसकी मालगुज़ारी (या लगान) एक निर्धारित रक़म या उससे अधिक हो,

[प्रायः २५ रु० या अधिक वार्षिक मालगुज़ारी या लगान देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

या (च)—जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित रक़म या उससे अधिक हो,

[भिन्न भिन्न म्युनिसिपैलिटियों में इस आय की मात्रा पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी है। उदाहरणार्थ वृन्दावन में

३६० रु० या अधिक वार्षिक, और फ़ैज़ाबाद में ३०० रु० या अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

नोट १–किसी म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचकों की किसी विषय सम्बन्धी योग्यता, युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के निर्वाचकों की उस विषय सम्बन्धी योग्यता से, ऊँची नहीं हो सकती।

२–म्युनिसिपैलिटी के लिए निर्वाचकों की अयोग्यताएँ वही हैं, जो भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रसंग में, हम छटे परिच्छेद में बता आये हैं।

म्युनिसिपैलिटियों के कार्य्य—भिन्न भिन्न स्थानों में कुछ भेद होते हुए, साधारणतः म्युनिसिपैलिटियों के मुख्य कार्य ये हैं :–(१) सर्व साधारण की सुविधा की व्यवस्था करना, सड़कें बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना और वृक्ष लगवाना, डाक बंगला या सराय आदि सार्वजनिक मकान बनवाना, कहीं आग लग जाय तो उसे बुझाना, अकाल, जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना। (२) स्वास्थ रक्षा, अस्पताल या औषधालय खोलना, चेचक और प्लेग के टीके लगाने तथा मैले पानी के बहने का प्रबन्ध कराना, और छूत की बीमारियों को बंद करने के लिए उचित उपाय काम में लाना। पीने के लिए स्वच्छ जल (नल आदि) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलाई गयी है, इसका निरीक्षण करना। (३) शिक्षा, विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा प्रचार के लिए, पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था

करना, मेले और नुमायशें कराना। (४) बिजली की रोशनी, ट्रामवे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता देना।

आमदनी के साधन—इन संस्थाओं की आमदनी के मुख्य मुख्य साधन ये हैं :—

(१) चुंगी, [अधिकतर उत्तर भारत बम्बई और मध्य प्रान्त में]; यह इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आने वाले माल तथा जानवरों पर लगती है। संयुक्त प्रान्त में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्यूनिसिपैलिटियों का नाम ही 'चुंगी' पड़ गया है। (२) मकान और ज़मीन पर कर [विशेषतया बर्मा, आसाम, बिहार उड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रान्त और बंगाल में] (३) व्यापार और पेशों पर कर, [विशेषतया मद्रास, संयुक्त प्रान्त, बम्बई, मध्य प्रान्त और बंगाल में] (४) सड़कों और नदियों के पुलों पर कर, [विशेषतया मद्रास, बम्बई और आसाम में], (५) सवारियों, गाड़ी, इक्का, बग्गी, साइकल, मोटर और नाव पर कर। (६) पानी, रोशनी, नालियों की सफ़ाई, हाट बाज़ार, क़साई-ख़ाने, पायख़ाने, आदि पर कर। (७) हैसियत, जायदाद और जानवरों पर कर। (८) यात्रियों पर कर। यह कर एक निर्धारित दूरी से अधिक के फ़ासले से आने वालों पर लगता है और प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वसूल कर लिया जाता है। (९) म्युनिसिपेल स्कूलों की फ़ीस। (१०) सरकारी सहायता या ऋण।

कुछ प्रान्तों में शिक्षा, अस्पतालों और पशु चिकित्सा के लिए म्युनिसिपैलिटियों को सरकारी सहायता मिलती है। जब किसी म्युनिसिपैलिटी को मैले पानी के बहाव के

लिए नालियां बनानी होती हैं अथवा, जल प्रबन्धके लिए शहर में नल आदि लगाने होते हैं तो वह ऋण लेती है। यदि उचित समझा जाय, तो इस खर्च का कुछ हिस्सा सरकार, कुछ शर्तों से, अपने ऊपर लेलेती है।

संख्या और आय व्यय—म्यूनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों की संख्या ७५१ है। उनकी वार्षिक आय लगभग १२ करोड़ रु० है *। विदित हो कि उनकी कुल आय का ४० फ़ीसदी भाग कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और रंगून, इन चार शहरों से ही वसूल हुआ। कई प्रान्तों में म्यूनिसिपैलिटियां अपना बजट या नया कर सरकार (या कमिश्नरों) से मंजूर कराती हैं।

जन संख्या—कुल म्युनिसपैलिटियों और कारपोरेशनों की सीमा में १ करोड़ ८० लाख से अधिक, अर्थात् ब्रिटिश भारत की कुल जन संख्या के लगभग ७ फ़ीसदी से कुछ अधिक आदमी रहते हैं। ६८३ म्युनिसिपैलिटियों में पचास पचास हज़ार से कम, और शेष में पचास पचास हज़ार या अधिक आदमी हैं।

कर की मात्रा—म्युनिसिपैलिटियों की सीमा में, प्रत्येक आदमी पर म्युनिसिपेल कर की औसत भिन्न भिन्न है। सन् १९२०-२१ में यह कर बम्बई शहर में १४ रु० ८ आने, बम्बई प्रान्त में (बम्बई शहर छोड़कर) ३ रु० १३ आने, संयुक्त प्रान्त में २ रु० ५ आने, बिहार उड़ीसा में १ रु० ९ आने, मध्य प्रान्त बरार में २ रु० १५ आने, था।

* म्युनिसिपैलिटियों तथा अन्य स्वराज्य संस्थाओं के आय व्यय का विशेष ब्योरेवार विवरण हमारी ' भारतीय राजस्व ' में दिया गया है।

नोटीफाइड एरिया—ये अधिकतर पँजाब और संयुक्त प्रान्त में हैं। इन्हें म्युनिसिपैलिटियों के थोड़े थोड़े से अधिकार होते हैं। ये उसी क्षेत्रफल में होते हैं, जहां बाज़ार या क़स्बा अवश्य हो, और जन संख्या दस हज़ार से अधिक न हो। म्युनिसिपैलिटियों की अपेक्षा इनकी आय (एवं व्यय) कम रहती है। इनके अधिकांश सदस्य नामज़द होते हैं।

पोर्ट ट्रस्ट—अदन (जो शासन प्रबन्ध के लिए बम्बई प्रान्त में समझा गया है), कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, चटगांव, करांची और रंगून बन्दरों का स्थानीय प्रबन्ध करने वाली संस्थाएँ पोर्ट ट्रस्ट कहाती हैं। ये ट्रस्ट घाटों पर माल गोदाम बनाते हैं, और व्यापार के सुभीते के अनुसार, नाव और जहाज़ की व्यवस्था करते हैं। समुद्र तट, नगर के निकटवर्त्ती समुद्र भाग, या नदी पर इन का पूरा अधिकार रहता है। इनकी पुलिस अलग रहती है। ट्रस्ट के सभासद कमिश्नर या ट्रस्टी कहाते हैं। सभासदों में चेम्बर-आफ़-कामर्स जैसी व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। कलकत्ते और करांची में म्युनिसपैलिटियों के भी प्रतिनिधि इनमें लिये जाते हैं। कलकत्ते के अतिरिक्त सब पोर्ट ट्रस्टों में निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा नामज़द ही अधिक रहते हैं। अधिकांश सदस्य योरोपियन होते हैं। म्युनिसिपैलिटियों की अपेक्षा पोर्ट ट्रस्टों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। ये ही ऐसी स्वराज्य संस्थाएँ हैं जिनके सभासदों को कुछ भत्ता मिलता है। माल लदाई, और उतराई, गोदाम के किराए, तथा जहाज़ों के कर से जो आमदनी होती है, वही इनकी आय है। इन्हें आवश्यक कार्य्यों के लिए कर्ज़ लेने का अधिकार है।

पांच प्रधान पोर्ट ट्रस्टों—कलकत्ता, बम्बई, करांची, मद्रास और रंगून—की कुल आय ५ करोड़ रुपये है। पोर्ट ट्रस्टों पर लगभग ३२ करोड़ रुपये से अधिक ऋण चढ़ा हुआ है।

इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट—बड़े बड़े शहरों की उन्नति या सुधार के लिए कभी कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे संकुचित सड़कों को चौड़ी करना, घनी बस्तियों को हवादार बनाना, ग़रीबों और मज़दूरों के लिए मकानों की व्यवस्था करना, आदि। इन कामों को म्युनिसिपैलिटियां नहीं कर सकतीं, उन्हें तो अपना रोज़मर्रा का काम ही बहुत है। अतः इनके वास्ते 'इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट' बनाये जाते हैं। ये कलकत्ता, बम्बई, रँगून, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर आदि में हैं। इनके सदस्य सरकार, म्यूनिसिपैलिटी या व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते हैं। ये अपने अधिकार-गत भूमि आदि का किराया, तथा आवश्यकतानुसार ऋण या सहायता लेते हैं।

बोर्ड या यूनियन—देहातों में स्थानीय स्वराज्य का आरम्भ, म्युनिसिपैलिटियों के स्थापित होने के बहुत दिनों बाद हुआ। यहां स्वास्थ, सफ़ाई प्रारम्भिक शिक्षा तथा औषधादि का प्रबन्ध रखने के उद्देश से 'ग्राम्य बोर्ड' संगठित किये गये हैं। इनके अधिकार तथा आय यथेष्ट न होने से इनका कार्य भी बहुत परिमित है।

बोर्डों के तीन भेद हैं:— (१) 'लोकल' या ग्राम्य बोर्ड [एक बड़े गांव या छोटे गांवों के समूह में], (२) ताल्लुक़ा

अथवा सब-डिविज़नल बोर्ड, (३) ज़िला बोर्ड। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में बोर्डों की व्यवस्था एकसी नहीं है। मद्रास और मध्यप्रान्त में इनकी स्थापना अधिक हुई है। मद्रास में प्रत्येक बड़े गांव का, अथवा कई गांवों को मिलाकर उन सब का, एक 'यूनियन' बना दिया गया है। बम्बई में बोर्डों के केवल दो ही भेद हैं:—ज़िला बोर्ड और ताल्लुक बोर्ड। बँगाल, पँजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में ज़िला बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं। लोकल बोर्डों के बनाने का अधिकार प्रान्तिक सरकारों को दे दिया गया है। आसाम में ज़िला बोर्ड नहीं है, वहां केवल सब-डिवीज़नल बोर्ड ही हैं। संयुक्त प्रान्त में सब-डिवीजन बोर्ड अनावश्यक समझे जाकर हटा दिये गये हैं बर्मा और बिलोचिस्तान में न ज़िला बोर्ड हैं और न छोटे बोर्ड। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को छोड़, ज़िला व लोकल बोर्डों में प्रायः चुने हुए सदस्यों की संख्या ही अधिक है।

ज़िला-बोर्ड का सभापति चुना हुआ रहे या नियुक्त किया जाया करे, यह प्रत्येक प्रान्त के ज़िला बोर्डों के क़ानून से निश्चित किया हुआ होता है। संयुक्त प्रान्त में सभापति चुना हुआ एवं साधारणतया ग़ैर-सरकारी रहता है।

भारतवर्ष में २१९ ज़िला बोर्ड, और उनके अधीन ५४३ अधीन-जिला-बोर्ड है। इनके अतिरिक्त ८०० यूनियन कमेटियां हैं। बोर्डों के सदस्यों की संख्या सन् १९२०-२१ ई० में तेरह हज़ार से अधिक थी इनमें से ५८ फ़ीसदी निर्वाचित और १३ फ़ीसदी सरकारी कर्मचारी, तथा शेष नामज़द थे।

निर्वाचक कौन हो सकता है?—भिन्न भिन्न प्रान्तों

में ज़िला-बोर्डों के निर्वाचकों के योग्यता-सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ पृथक्ता है। स्थानाभाव से हम यहां युक्त प्रान्त के ही नियम देते हैं।

युक्त प्रान्त में ज़िला-बोर्डों के लिए वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं :—

१—जो, कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों में, ज़मीन के मालिक हों और कुछ मालगुज़ारी देते हों,

या २—जो, कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों को छोड़ कर, युक्त प्रांत के अन्य स्थानों में, ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी वार्षिक मालगुज़ारी २५) रु० या इससे अधिक हों या जो संयुक्त परिवार के ऐसे सदस्य हों जो सरकारी काग़ज़ों में ऐसी ज़मीन के मालिक दर्ज हों, जिसकी उनके हिस्से की वार्षिक मालगुज़ारी २५) रु० या इससे अधिक हो,

या ३—जो काश्तकार ऐसी ज़मीन जोतता हो जिसका वार्षिक लगान ५० रु० या इससे अधिक हो,

या ४—जो साधारणतया ग्राम्य क्षेत्र में रहता हो और भारत सरकार को आय-कर (इनकम टैक्स) देता हो,

या ५—जो ज़िला बोर्ड को हैसियत कर (Tax on circumstances and property) देता हो,

या ६—जो साधारणतया ग्राम्य क्षेत्र में रहता हो और जिसने स्कूल लीविंग या मेट्रीक्यूलेशन (ऐन्ट्रेन्स) की परीक्षा

अथवा हिन्दी, उर्दू, संस्कृत या फ़ार्सी की निर्धारित परीक्षा पास करली हो।

प्रान्तीय सरकार की आज्ञानुसार संयुक्त प्रान्त की प्रायः सब म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों में जाति-गत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी है। ऐसी म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों में निर्वाचक संघ, मुसलमान निर्वाचक संघों और ग़ैर-मुसलमान निर्वाचक संघों में विभक्त किये गये हैं। मुसलमान निर्वाचक संघों में मुसलमान ही निर्वाचक हो सकते हैं, और ग़ैर-मुसलमान निर्वाचक संघों में ग़ैर-मुसलमान।

बोर्डों की आय के साधन—बोर्डों की अधिकतर आय उस महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है और जो सरकारी वार्षिक लगान या मालगुज़ारी के साथ ही प्रायः एक आना फ़ी रुपये के हिसाब से वसूल करके इन बोर्डों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए सरकार कुछ रक़म, कुछ शर्तों से प्रदान कर देती है। आय के अन्य श्रोत तालाब घाट, सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा और स्कूलों की फ़ीस, कांजी हाउस की आमदनी, मेले नुमायशों पर कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं। (आसाम प्रान्त को छोड़कर) अधीन-ज़िला-बोर्डों का कोई स्वतंत्र आय श्रोत नहीं, उन्हें समय समय पर ज़िला बोर्डों से ही कुछ मिल जाता है।

बोर्डों का कर्तव्य पालन—बोर्डों को अपने ग्राम्य क्षेत्र में वैसे सब कार्य करने होते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटियों को नगरों में करने होते हैं, उनके अतिरिक्त इन्हें कृषि और पशुओं

की उन्नति के लिए भी विविध कार्य करने चाहियें। इस प्रकार उनका कर्तव्य कितना महान है, यह स्पष्ट ही है। इसे देखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि बोर्ड प्रायः कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि उनकी आय बहुत थोड़ी है। सन् १९२१-२२ ई० में ब्रिटिश भारत के बोर्डों की कुल आय लगभग ११ करोड़ रु० थी, जब कि उनके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या २१ करोड़ से अधिक थी। नये करों से बोर्डों की आय म यथेष्ट वृद्धि नहीं हो सकती। यदि सरकार उन्हें वास्तव में उपयोगी बनाना चाहती है, तो उसे चाहिये कि इन्हें मालगुज़ारी में से आधा हिस्सा दिया करे। तभी हमारे ग्रामों का—अधिकांश भारत का—हित साधन हो सकता है।

पंचायतें—पंचायतों की स्थापना और उन्नति का कार्य, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिए, प्रान्तिक सरकारों पर छोड़ा गया है। उनसे भारत सरकार ने १९१८ के प्रस्ताव में इसे बढ़ाने का अनुरोध किया था। प्रायः बर्मा और मध्य प्रान्त में यह कार्य बहुत अवनत दशा में, और पंजाब, मद्रास, बिहार-उड़ीसा, आसाम और संयुक्त प्रान्त में यह अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में है। भारत सरकार निम्न लिखित सिद्धान्तों के अनुसार पंचायतें स्थापित करने के पक्ष में है:-

१—साधारणतः एक पंचायत का क्षेत्र एक गांव या एक से अधिक ऐसे गांवों का समूह हो, जिनका परस्पर में घनिष्ट सम्बन्ध हो।

२—प्रत्येक गांव में पंचायतों के कर्त्तव्य कार्य, चाहे वे

प्रबन्ध विषयक हों या न्याय सम्बन्धी हो, एकसा होने की आवश्यकता नहीं है।

३—जहां पंचायतों को प्रबन्ध और न्याय, दोनों कार्यों के सम्बन्ध में अधिकार देना अभीष्ट हो, वहां दोनों काम एक ही संस्था को दिये जांय।

४—जहां कहीं शिक्षा या सफ़ाई के लिए कोई कमेटी आदि बनी हो, वहां पंचायत स्थापित हो जाने पर वह पंचायत के अन्तर्गत करदी जाय।

५—साधारणतः लोगों को यह अधिकार रहे कि किसी मामले का फ़ैसला पंचायत से करावें या न करावें। पर, जो लोग पंचायत से अपने मामलों का फ़ैसला करावें, उनको उत्साहित करने के लिए कुछ उचित सुभीते कर दिये जांय, जैसे यदि कोर्ट फ़ीस लगे तो बहुत कम, न्याय पद्धति में बारीकियों से बचा जाय, और डिग्री जल्दी जारी हो।

६—जहां अभीष्ट हो, वहां प्रान्तिक सरकार के नियंत्रण में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया जाय, परन्तु पंचायत पद्धति की उन्नति के साथ ही करों की भरमार न हो।

पंचायतों की कार्य प्रणाली के कुछ विशेष परिचय के लिए, संयुक्त प्रान्त का उदाहरण दिया जाता है।

संयुक्त प्रान्त का ग्राम-पंचायत-एक्ट—यह एक्ट सन् १९२० ई० के अन्त में बना। इसके अन्तर्गत विविध नियम अप्रेल १९२१ में बनाये गये। इसके अनुसार कलेक्टर किसी ग्राम या ग्राम-समूह में पंचायत स्थापित कर सकता है।

जिस ग्राम में पंचायत न हो, उसके निवासियों को वहां पंचायत स्थापित करनी चाहिये, इसके लिए कलेक्टर को दरख़्वास्त देनी होगी।

पञ्च और सरपञ्च—पंचों की संख्या ५ से कम, और ७ से अधिक नहीं होती। ग्राम वालों की इच्छा मालूम करके कलेक्टर पंच नियत करता है। दो पंच ऐसे होने चाहियें जो पढ़ लिख सकें। ऐसा व्यक्ति पँच नियुक्त होने के योग्य नहीं होता, (१) स्त्रियां, (२) जो ऐसा दिवालिया हो जो बरी न किया गया हो, (३) जिस की आयु २५ वर्ष से कम हो, (४) जो सरकारी अथवा ग्राम सम्बन्धी नौकरी करता हो, (५) जिसे गत ५ वर्ष में किसी अपराध के लिए क़ैद की सज़ा हुई हो, (६) जो पंचायत के क्षेत्र में न रहता हो। पंच तीन वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, परन्तु कोई व्यक्ति दुबारा नियुक्त हो सकता है। जब तक पंचों की संख्या तीन से कम न हो जाय, पंचायत का काम ग़ैर-क़ानूनी नहीं समझा जाता।

पंचों तथा ग्राम-निवासियों की सम्मति लेकर कलेक्टर एक पंच को सरपंच नियत करता है, उसे लिखना पढ़ना अवश्य आना चाहिये। वह पंचायत का सभापति होने के अतिरिक्त ग्राम कोष और उसका हिसाब तथा अन्य आवश्यक काग़ज़ और रजिस्टर रखता है, सम्मन की तामील करवाता है, और समय समय पर कलेक्टर को रिपोर्ट देता रहता है। पंचायत के काग़ज़ और रजिस्टर रखने के लिए, कलेक्टर की अनुमति से, एक क्लर्क नियत किया जा सकता है।

पंचायतों के अधिकार—निम्न लिखित मामले पंचायतों

के सामने पेश किये जा सकते हैं:—(१) चल सम्पति सम्बन्धी दीवानी मामले जो २५) से कम के हों, (२) भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत, जान बूझ कर या अनजान में चोट पहुंचाने के कुछ मामले, (३) ऐसी चोरी के मामले जो १०) से अधिक के न हों; इन मामलों में १०) रु० तक या जो हानि हुई हो, उससे दुगना जुर्माना करने का अधिकार है। (४) कांजी हाउस पहुंचाने के लिए आवारा मवेशियों को पकड़ने में वाधा पहुंचाने के मामले; इनमें ५) तक जुर्माना करने का अधिकार है। (५) संयुक्त प्रान्तीय गांवों की सफ़ाई के क़ानून के अन्तर्गत कुछ अपराधों के मामले; इनमें १) तक जुर्माना करने का अधिकार है।

पंचायतों के विशेष अधिकार उपर्युक्त अधिकारों के दुगने तक हो सकते हैं। पंचायतें सरकारी कर्मचारियों पर मुक़द्दमा नहीं चला सकती। कोई स्त्री अपनी इच्छा के विरुद्ध पंचायत के सन्मुख उपस्थित होने के लिए वाध्य नहीं की जा सकती।

अन्य नियम—पंचायतों में पेश होने वाले मुक़द्दमों में किसी पक्ष की ओर से कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता। चौकीदार का यह कर्तव्य है कि आवश्यकता होने पर पंचायती सम्मन की तामील करे, ओर पंचायत या सरपंच की आज्ञा माने। प्रत्येक सम्मन की तामील करने पर चौकीदार को ग्राम-कोष से दो आने मिलते हैं। अगर पंचायत की कोई डिग्री एक मास तक जारी न हो तो डिग्रीदार पंचायत को, सालभर तक, उसे जारी कराने के लिए दर्ख़ास्त दे सकता है और पंचायत कलेक्टर द्वारा डिग्री जारी करा सकती है। अगर पंचायत का किया हुआ कोई जुर्माना दस दिन तक

वसूल न हो तो पंचायत से सूचना पाकर, उसे कलेक्टर वसूल करा देता है और पंचायत को भेज देता है।

ग्राम कोष— ग्राम कोष में फ़ीस, जुर्माना, और सरकार, स्थानीय संस्थाओं या व्यक्तियों से दी हुई रक़म होती है। फ़ीस का नियम इस प्रकार है:—१०) तक के दीवानी मामले में ।); १०) से अधिक २५) तक ॥); २५ से अधिक ५०) तक ॥।); फ़ौजदारी मामले में ।) । पंचायत कलेक्टर की अनुमति से ग्राम कोष की कोई रक़म अपने क्षेत्र की उन्नति या उसके निवासियों की सुविधा के लिए ख़र्च कर सकती हैं। पंचायतों का यह कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ, और पीने के पानी की व्यवस्था, तथा कच्ची सड़कों और सार्वजनिक उपयोगिता के कामों का प्रबन्ध करें।

पंचायतों के विषय में यह स्पष्ट है कि अंगरेज़ों ने प्राचीन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की, वरन् उनके स्थान पर नवीन पौदों का बीज बोया है, तथा उन पर कलेक्टर आदि का नियंत्रण-अंकुश विशेष रूप से रक्खा है। ये नामज़द सदस्यों की संस्थायें हैं, प्रतिनिधियों की नहीं। इनकी आय के साधन भी बहुत कम हैं। इस लिए ये बहुत कम काम कर पाती हैं। इसीसे ये यथेष्ट फली फूली नहीं। इनकी वृद्धि और विस्तार आदि की बड़ी आवश्यकता है।

स्थानीय स्वराज्य सँस्थाओं का सुधार—यह पहिले कहा जा चुका है कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की उन्नति की गति बहुत मँद एवं असन्तोषप्रद रही है। इस समय इस विषय का अधिक विचार होने लगा है। कुछ समय से कहीं

कहीं म्युनिसिपैलिटियों के तथा ज़िला बोर्डों के सम्मेलन होने लगे हैं। आशा है कि सभी प्रान्तों में, और प्रति वर्ष, ऐसे सम्मेलन हुआ करेंगे। निस्संदेह ये सम्मेलन ग़ैर-सरकारी ढंग से, तथा इनका कार्य देशी भाषाओं द्वारा होने पर ही, विशेष लाभ होगा। ये संस्थायें अपने अपने क्षेत्र में व्याख्यानों या ट्रेक्टों द्वारा प्रचार करके लोकमत को शिक्षित करने का यत्न करें तो बहुत उत्तम हो।

इन संस्थाओं के सुधार सम्बन्धी मूल बात यह है कि ये सरकारी सहायता और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हों। इसका उपाय—जैसा कि स्व० श्री० देशबन्धु दास ने अपनी स्वराज्य योजना में बताया है—यह है कि समस्त स्थानीय आय (भूमि-कर आदि) स्थानीय संस्थाओं को दी जाय, और वे उसका निर्धारित अंश सरकार को केन्द्रीय या प्रान्तीय विभागों के लिए दिया करें। ऐसा होने से स्थानीय संस्थायें बात बात में सरकार का मुंह देखती न रहेंगी; वे स्वावलम्बी, एवं सरकार पर प्रभाव डालने वाली होंगी। तभी भारतवर्ष को सच्चा स्थानीय स्वराज्य मिल सकेगा।

ग्यारहवां परिच्छेद

सरकारी आय व्यय

"राजस्व वह धुरी है जिस पर शासन चक्र घूमता है।"

भारतवर्ष का दो सौ करोड़ से अधिक रुपया प्रति वर्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष करों* से वसूल किया जाकर, प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। इससे सरकारी आय व्यय के महत्व का अनुमान हो सकता है। वास्तव में ऐसे महत्व पूर्ण विषय का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक के एक परिच्छेद में नहीं हो सकता। इसके लिए तो स्वतंत्र पुस्तक की ही आवश्यकता है। इस लिए हमने 'भारतीय राजस्व' पुस्तक में एक मात्र इसी विषय का वर्णन किया है उस में करों (टैक्सों) के नियमादि और भारतीय राजस्व

---

*प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी आदमी से लिया जाता है, जिस पर उसका भार डालना अभीष्ट हो। यह कर देते समय कर-दाता यह भली भांति जान लेता है कि उसने अपनी आय में से इतना रुपया इस रूप में सरकारी कोष में दिया। उदाहरणवत् ज़मीन का लगान, आय-कर, आदि प्रत्यक्ष कर हैं।

परोक्ष कर, उस कर को कहा जाता है जिसका भार, उसके चुकाने वाले, औरों पर डाल देते हैं। व्यापारी आयात और निर्यात पर जो महसूल देते हैं उसे माल बेचने के समय, वह अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं। कपड़े, नमक, शराब, अफ़ीम आदि के कर सभी परोक्ष कर हैं।

व्यवस्था के विवेचन के पश्चात्, यह ब्यौरेवार बतलाया गया है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें प्रति वर्ष कितना अधिक रुपया खर्च करती हैं, किफ़ायत कमेटी ने भिन्न भिन्न मद्दों में कितनी थोड़ी किफ़ायत के लिए सिफ़ारिश की, किस किस मद्द में कितनी अधिक किफ़ायत होनी चाहिये, एवं किन किन मद्दों की आय अनुचित है और कहां कहां उसके बढ़ने की गुंजायश है। उसी पुस्तक में भारत के सरकारी ऋण की (जो अब एक हज़ार करोड़ रुपये से अधिक है), आलोचना, तथा आर्थिक स्वराज्य पर विचार प्रगट किये गये हैं। निर्धन भारत का आर्थिक उद्धार चाहने वाले पाठकों को चाहिए कि राजस्व सम्बन्धी ब्यौरेवार बातें जानने के लिए इस पुस्तक को अवलोकन और मनन करें * यहां पर हम कुछ थोड़ी सी मुख्य मुख्य बातों का दिग्दर्शन मात्र कराते हैं।

सरकारी हिसाब—सरकारी हिसाब के लिए किसी वर्ष की एक अप्रेल से अगले वर्ष की ३१ मार्च तक, एक साल समझा जाता है। वर्ष आरम्भ होने के पूर्व, उसके सब आय व्यय का अनुमान किया जाता है। इसे बजट, बजट-ऐसटीमेट

*दो सौ चौदह पृष्ट की यह पुस्तक, भारतीय ग्रन्थ माला, वृन्दावन से चौदह आने में मिलती है। माला के स्थायी ग्राहकों को तो केवल सात आने में ही दी जाती है।

हिंदी अंगरेज़ी के विविध पत्रों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। 'बर्मा समाचार' रंगून, लिखता है कि "भारत की इस निर्धन दशा में, ऐसी पुस्तकों का धर्म ग्रन्थों के समान आदर होना चाहिये। चौदह आने मूल्य बहुत कम है।"

(Budget Estimate) या आय व्यय का अनुमान कहते हैं। आगामी वर्ष का अनुमान व्यवस्थापक संस्थाओं में उपस्थित करते समय गत वर्ष के आय व्यय के अनुमान का संशोधन भी कर लिया जाता है। उस समय लगभग ११ मास का असली हिसाब और साल के शेष समय का अनुमानित हिसाब रहता है। इसे संशोधित अनुमान (Revised Estimate) कहते हैं। कुछ समय पीछे वर्ष भर के आय व्यय के ठीक अंक मिल जाने पर वास्तविक हिसाब (Accounts) प्रकाशित होता है।

राज्य साधारणतया पहिले यह विचार करता है कि उसे देश में क्या क्या काम करने हैं, उनमें कितना ख़र्च होगा। इस ख़र्च के लिए वह अपनी आय-प्राप्ति के मार्ग निकालता है और विविध कर निश्चय करता है। इस लिए यहां सरकारी व्यय का विचार पहले किया जायगा, और सरकारी आय का पीछे।

केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का ख़र्च—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विषयों के लिए, और प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय विषयों के लिए, ख़र्च करती हैं। कौन कौन विषय केन्द्रीय हैं और कौन कौन प्रान्तीय, यह हम पहिले बता आये हैं। अब हम केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का सन् १९२५-२६ ई० का अनुमानित व्यय देते हैं। संक्षिप्त करने के अभिप्राय से, सब प्रान्तों का ख़र्च इकट्ठा ही जोड़ कर दे दिया जाता है। विदित हो कि छः छोटे प्रान्तों का (प्रान्तीय विषयों में किया गया) ख़र्च भी केन्द्रीय सरकार के हिसाब में शामिल किया जाता है; कारण, इन का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार को ही करना पड़ता है।

ख़र्च (लाख रुपयों में); १९२५-१९२६ का अनुमान

संख्या	मद्द	केंद्रीयसरकार	प्रांतीय सरकार
१	कर वसूल करने का खर्च	५, २९	१०, ९०
२	रेल	२८, ६६	... ...
३	आबपाशी	१८	४, ७९
४	ऋण का सूद	१८, १८	३, ९५
५	शासन		१०, ७८
६	न्याय, पुलिस और जेल		२२, ०२
७	शिक्षा		१०, ४९
८	स्वास्थ्य और चिकित्सा	१०, ९८	५, ०५
९	कृषि और उद्योग		२, ७०
१०	अन्य विभाग		५६
११	सिविल निर्म्माण कार्य	१, ६८	८, ०६
१२	सैनिक व्यय	६०, २६	... ...
१३	विविध	४, ७२	७, ७३
१४	केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों की परस्पर में देनी	...	६, ४८
	योग	१,२९,९५	९३, ९६

खर्चों की मद्दों का ब्यौरा—(१), कर वसूल करने के खर्च में आयात निर्यात कर, आय-कर, मालगुज़ारी, स्टाम्प, जंगल, रजिस्टरी, अफ़ीम, नमक और आबकारी आदि विभागों के खर्च के अतिरिक्त, अफ़ीम और नमक तैयार करने का खर्च भी, सम्मिलित है।

(२) और (३), इनमें क्रमशः रेलों और नहरों में लगायी हुई पूंजी का सूद है।

(४), सेविंग बैंकों या प्रोविडेन्ट फ़ंड की जिन रक़मों पर सरकार सूद देती है, उन के अस्थायी ऋण के अतिरिक्त भारत सरकार को भारतवर्ष के सरकारी (पब्लिक) ऋण पर सूद देना होता है।

(५), (६), (७), (८) और (९), ये मद्दें स्पष्ट हैं।

(१०), इस में विज्ञान सम्बन्धी, तथा बन्दरगाह आदि का खर्च सम्मिलित है।

(११), सिविल निर्म्माण कार्य के व्यय में सरकारी मकान और सड़कें बनवाने तथा उनकी मरम्मत आदि करवाने का खर्च शामिल है।

(१२), सेना की मद्द में स्थल सेना, जल सेना, और आकाश सेना का व्यय है।

(१३), विविध व्यय में अकाल-पीड़ितों की सहायता, पेंशन, स्टेशनरी और छपाई आदि का खर्च गिना जाता है। इसी में करैंसी के दफ्तर और टकसालों का खर्च शामिल है।

(१४) सुधार एक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष ९८३ लाख रुपये देती हैं । आलोचनीय वर्ष में बंगाल अपना हिस्सा देने से मुक्त रहा ।

अन्तिम मद्द की रक़म के सम्बन्ध में पहिले यह विचार हुआ था कि भिन्न भिन्न प्रान्तों से मिलने वाले हिस्से का अनुपात छः वर्ष तक एक निर्धारित क्रम के अनुसार बदलता रहे और १९२७-२८ से वह स्थायी रूप से निश्चित होजाय। यह बात स्वीकृत नहीं हुई और प्रान्तों से मिलने वाली रक़म इस प्रकार निश्चित की गयी:—मद्रास ३४८ लाख, बम्बई ५६ लाख, बंगाल ६३ लाख, संयुक्त प्रान्त २४० लाख, पंजाब १७५ लाख, बर्मा ६४ लाख, मध्य प्रान्त बरार २२ लाख, आसाम १५ लाख। यदि किसी वर्ष कौंसिलयुक्त गवर्नर जनरल गत वर्ष की अपेक्षा कम रुपया लेना चाहे, तो केवल उन प्रान्तिक सरकारों से लिए जाने वाले हिस्से में कमी की जाती है जिन्होंने गत वर्ष में, इस वर्ष की निर्धारित रक़म के निम्न लिखित अनुपात से अधिक दिया हो; जितना जिस प्रान्त ने इससे अधिक दिया होगा, उतना उसके लिए कम कर दिया जायगा:—मद्रास १७/९०, बम्बई १३/९०, बंगाल १९/९०, संयुक्त प्रान्त १८/९०, पंजाब ९/९०, वर्मा ६॥/९०, मध्यप्रान्त बरार ५/९०, आसाम २॥/९० ।

खर्च का विचार कर चुकने पर अब हम आय का विचार करते हैं ।

आय (लाख रुपयों में); १९२५-२६ का अनुमान

संख्या	मद्द	केंद्रीय सरकार	प्रांतीय सरकार
१	आयत निर्यात कर	४६, ३५	... ...
२	आय कर	१७, ३५	२३
३	नमक	६, ९५	... ...
४	अफ़ीम	३, ५६	... ...
५	मालगुज़ारी	... ...	३६, ३३
६	आबकारी	... ...	१९, ७४
७	स्टाम्प	... ...	१२, ९७
८	रजिस्टरी	... ...	१, २९
९	अन्य आय	२, २३	३२
१०	रेल	३३, ८९	... ...
११	आबपाशी	१०	६, १४
१२	जंगल	... ...	५, ३७
१३	डाक और तार	६८	... ...
१४	सूद की आय	३, ६०	२, १७
१५	सिविल शासन	७३	३, ३७
१६	मुद्रा, टकसाल और विनिमय	४, ०८	... ...
१७	सिविल निर्माण कार्य	१०	६५
१८	सैनिक आय	४, ०१	... ...
१९	विविध	८२	१, ९८
२०	प्रान्तीय सरकारों से लेनी	६, ४८	... ...
	योग	१३०, ९३	९०, ५६

आय की मद्दों का ब्यौरा—(१) से (८) तक, ये मद्दें स्पष्ट हैं। इन मद्दों में जो ख़र्च होता है, उसकी अपेक्षा आय की जितनी अधिकता होती है, वही यहां दिखायी गयी है।

(९), अन्य आय में, केन्द्रीय सरकार तो रजवाड़ों से जो नज़राना लेती है और प्रान्तिक सरकार सिनेमा आदि खेल तमाशों का जो कर लेती है, वह रक़म सम्मिलित है।

(१०), (११), (१२), और (१३), ये मद्दें स्पष्ट हैं।

(१४), इस मद्द में सरकार जो रुपया किसानों को, तथा म्युनिसिपैलिटियों आदि संस्थाओं को, उधार देती है, उसके सूद की आय है।

(१५) सिविल शासन की आय में न्याय, जेल, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ चिकित्सा, कृषि और उद्योग धन्धों आदि विभागों से होने वाली आय सम्मिलित है।

(१६) मुद्रा, टकसाल और विनिमय की मद्द में सरकार के 'पेपर करेंसी रिज़र्व' नामक कोष में जो सिक्यूरिटियां रखी जाती हैं, उनकी रक़म का सूद तथा भारत के लिए पैसा इकन्नी आदि सिक्के, एवं कुछ अन्य देशों के सिक्के ढालने का लाभ सम्मिलित है। [रुपये ढालने का लाभ 'गोल्ड स्टेन्डर्ड रिज़र्व', अर्थात् मुद्रा-ढलाई-लाभ-कोष में डाला जाता है।]

(१७), सिविल निर्माण कार्य की आय में सरकारी मकानों का किराया, तथा उनकी बिक्री आदि से होने वाली प्राप्ति सम्मिलित है।

(१८), सैनिक आय में सैनिक स्टोर, कपड़े, दूध, मक्खन तथा पशुओं की बिक्री से होने वाली आय सम्मिलित है।

(१९), विविध मद्द में पेन्शन सम्बन्धी आय के अतिरिक्त, सरकारी स्टेशनरी और रिपोर्टों आदि की बिक्री की आय भी सम्मिलित है।

(२०), इस मद्द का उल्लेख व्यय की मद्दों में हो चुका है।

बारहवां परिच्छेद

देशी रियासतें

" प्रजा को संतुष्ट और शिक्षित करने से ही देशी नरेश सुरक्षित रह सकते हैं।"

साधारण परिचय—देशी रियासतों से भारतवर्ष के उन भागों का प्रयोजन है जिनका आन्तरिक शासन यहां के ही राजा या सरदार, विविध संधियों के अनुसार, सम्राट की अधीनता में रहते हुए, करते हैं। छोटी बड़ी सब रियासतों की संख्या ७०० के लगभग है। इन का कुछ ब्यौरेवार परिचय अगले पृष्ट में दिये हुए नकशे से विदित होगा। रियासतों की तीन श्रेणियां हैं।

श्रेणी	संख्या	देशी रियासतें	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन संख्या (१९२१)
प्रथम	१	हैदराबाद	८२,६९८	१,२४,५३ ६२७
	२	मैसूर	२९,४४४	५९,७६,६६०
	३	बड़ौदा	८,०९९	२१,२१,८७५
	४	कशमीर	८०,९००	३३,२२,०८०
	५	सिक्कम	२,८१८	८१,७२२
	६	गवालियर	२६,३८०	३१,९५,०२२
द्वितीय	लगभग १७५ रियासतें	राजपूताना एजन्सी	१,२७,५४१	९८,५७,०१२
		बिलोचिस्तान एजन्सी	८६,५११	३,७८,९९९
		पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ए०	२५,५००	२८,२८,०५५
		मध्य भारत एजन्सी	७८,७७२	९१,८०,४०३
तृतीय	लगभग ५०० रियासतें	पंजाब में	३६,५३२	४४,१५,४०१
		बिहार उड़ीसा में	२८,६४९	३९,६५,४३१
		बंगाल में	३२,७७३	८,९६,१७३
		बम्बई में	६५,७६१	७४,१२,३४१
		मध्य प्रान्त में	३१,१८८	२०,६८,४८२
		आसाम में	८,४५६	३,८३,६७२
		मद्रास	९,९९६	५४,६०,०२९
		संयुक्त प्रान्त में	५,०७९	११,३४,८२४
		बर्मा में	६०,५९३	१४,९७,३९२
		योग	७,३७,६६७	७,६६,२९,२००

प्रथम श्रेणी में बड़ी बड़ी अथवा ऊंचे दर्जे की पृथक् पृथक् रियासतें हैं। इनमें गवालियर की गणना थोड़े समय से ही होने लगी है। इन रियासतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है; इनमें से प्रत्येक में एक रेज़ीडेंट (सरकारी प्रतिनिधि) रहता है।

दूसरी श्रेणी में उन रियासतों के समूह हैं जो पास पास स्थित हैं। प्रत्येक समूह ' एजेन्सी ' कहलाता है, उसमें वायसराय का एक एजन्ट रहता है।

तीसरी श्रेणी में सैकड़ों छोटी छोटी रियासतें हैं जो सरकारी प्रान्तों या ज़िलों के बीच में स्थित हैं। ये प्रान्तिक सरकारों के अधीन हैं। इनमें से कुछ में पृथक् पृथक् पोलिटिकल अफ़सर रहते हैं, शेष की देख भाल का काम ज़िलों के कलेक्टरों के ही सुपुर्द है। बम्बई, पंजाब, और राजपूताने की अधिक महत्व वाली रियासतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध रखने के विषय में विचार हो रहा है। काठियावाड़ के राजाओं का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध होगया है। [रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तिक सरकारों से हटकर भारत सरकार से होने में कोई वास्तविक उन्नति नहीं है। प्रान्तिक सरकारों पर अब जन-प्रतिनिधियों का प्रभाव पड़ने लग गया है। सम्भवतः इसी लिए, सरकार देशी रियासतों को भारत सरकार के अधीन करने की नीति काम में ला रही है।]

हैदराबाद—यह देशी रियासतों में प्रधान है। यहां का शासक निज़ाम कहलाता है। उसकी सहयतार्थ सात सदस्यों की प्रबन्धकारिणी सभा रहती है। इस रियासत में ९ सूबे और

८८ ताल्लुके हैं। क़ानून बनाने के लिए एक व्यवस्थापक सभा है, जिसमें १२ सरकारी और ११ ग़ैर-सरकारी सभासद हैं। रियासत के अन्तर्गत निज़ाम के डाक, स्टाम्प और टकसाल विभाग स्वतन्त्र हैं। कुल वार्षिक आय लगभग पांच करोड़ रुपये हैं। सेना में सोलह हजार सैनिक हैं; १२७४ सैनिक भारतीय राज्य सेना के हैं। यहां 'उसमानिया' युनिवर्सिटी विविध विषयों की उच्च शिक्षा, उर्दू भाषा में देती है*। निज़ाम कालिज मद्रास यूनिवर्सिटी से संलग्न है। १९२३-२४ में यहां ४०४० शिक्षा संस्थाए थीं, प्रारम्भिक स्कूलों में विशेष उन्नति हुई है।

सन् १९२३ में निज़ाम ने वायसराय को लिखा था कि सन् १९०२ ई० में वर्तमान निज़ाम के पिता ने ब्रिटिश सरकार को बरार का स्थायी पट्टा दे दिया था, परन्तु यह कार्य लार्ड कर्ज़न के दवाब से हुआ था; अब बरार वर्तमान निज़ाम को वापिस मिलना चाहिये। भारत मंत्री और वायसराय ने निज़ाम के इस दावे को ना-मंजूर कर दिया।

मैसूर—यहां नरेश की निरीक्षणता में दीवान तथा कौंसिल के तीन सदस्य शासन कार्य करते हैं। न्याय कार्य के लिए तीन जजों का एक चीफ़ कोर्ट है। राज्य ८ ज़िलों और ६८ ताल्लुक़ों में बटा हुवा है। ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर और ताल्लुक़ों में 'आमिलदार' शासन कार्य करता है। व्यवस्थापक सभा में १२ सरकारी और १८ ग़ैर-सरकारी प्रतिनिधि बैठते हैं, इस सभा को राज्य सम्बन्धी प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार है। यहां प्रति वर्ष प्रतिनिधि सभा की भी बैठक

* हिंदू यूनिवर्सिटी और हिंदी भाषा भाषी इस उदाहरण से शिक्षा लें।

होती है, जिसमें दीवान साल भर के आय व्यय का लेखा, तथा दरबार के क़ानून पेश करते हैं और प्रतिनिधियों का मत सुनते हैं। यह सभा प्रजा के कष्टों की ओर, सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। सन् १९२३-२४ ई० में इस रियासत की आय तीन करोड़ चौबीस लाख रुपये थी। शिक्षा प्रचार, स्वास्थ रक्षा, कृषि, ग्राम संगठन, उद्योग, बैंकिंग, आमोद्प्रमोद के साधनों में उन्नति होरही है। कुछ क़स्बों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है। ग्राम्य पाठशालाओं की संख्या बढ़ रही है। सन् १९२२-२३ ई० में यहां ७८३९ सार्वजनिक और ९५३ प्राईवेट संस्थायें थीं। इस प्रकार औसत से ३·३५ वर्ग मील के क्षेत्रफल में, अथवा ६६६ निवासियों का, एक स्कूल था।

बड़ौदा—यहां बड़े बड़े अफ़सरों की एक प्रबन्धकारिणी सभा गायकवाड़ महाराज के निरीक्षण में राज्य प्रबन्ध करती है। इस कार्य में दीवान से भी सहायता मिलती है। कुछ चुने हुए तथा नामज़द सदस्यों की एक व्यवस्थापक सभा है। न्याय कार्य के लिए एक हाईकोर्ट भी है। राज्य चार प्रान्तों में विभक्त है। यहां ४ कृषी बैंक, तथा ५३९ सहकारी समितियां हैं। ग्राम्य संस्थाओं का पुनरुद्धार करने, शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने, अन्त्यजों (दलितों) और जङ्गली जातियों के लिए शिक्षा संस्थायें स्थापित करने में पिछले दिनों इस राज्य का कार्य प्रशंसनीय रहा है। यहां लगभग तीन हज़ार पाठशालायें हैं, जिनमें से ६६ में अंगरेज़ी पढ़ायी जाती है। बड़ौदे में एक कालिज है जो बम्बई विश्वविद्यालय से संलग्न है। रियासत की सेना में ९ हज़ार सैनिक हैं। १९२२-२३ में यहां की आय २ करोड़ २१ लाख रुपये थी।

कश्मीर–इस रियासत की प्रबन्धकारिणी सभा में चार सदस्य तथा महाराजा (सभापति) होते हैं। ब्रिटिश रेज़ीडैन्ट का हैड-क्वार्टर श्रीनगर है। गिलगिट में एक पोलिटिकल एजंट रहता है, जो पास की छोटी रियासतों के शासन के लिए भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है। लेह में एक ब्रिटिश अफ़सर रहता है, यह मध्य एशिया के व्यापार की देख रेख में सहायता करता है। शिक्षा प्रचार में यह रियासत बहुत पीछे है। यहां दो कालिज हैं। कुल शिक्षा संस्थाएं आठ सौ से भी कम हैं। वार्षिक आय सवा दो करोड़ रुपये हैं।

सिक्कम—यह एक छोटी सी रियासत है। सड़कों और व्यापार में उन्नति होरही है। वार्षिक आय चार लाख रुपये हैं। यहां का शासक 'महाराजा' कहलाता है।

ग्वालियर—यह पहिले मध्य भारत एजन्सी के अन्तर्गत थी, अब इसकी पृथक व्यवस्था है। यहा का शासक 'महाराजा' कहलाता है, यह सिंधिया (मराठा) है। यहां की 'मजलिस ख़ास' में नौ सदस्य हैं जिन्हें विविध शासन विभाग सौंपे हुए हैं। व्यवस्था कार्य के लिए 'मजलिस आम' संगठित है। प्रारम्भिक शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के प्रचार, ज़मींदार सभाओं तथा पंचायत बोर्डों की स्थापना, निर्माण कार्य आदि में रियासत उन्नतशील है। राजधानी में एक कालिज है। वार्षिक आय दो करोड़ रुपये हैं। इस समय यहां का शासक नाबालिग़ है। इस लिए शासन कार्य के वास्ते एक रिजेन्सी स्थापित की हुई है; महाराणी (राजमाता) उसकी प्रधान है।

राजपूताना एजन्सी—इस एजन्सी में बीस रियासतें हैं

राजपूताना एजन्सी के भाग	रियासत	शासक का पद	वार्षिक आय (रुपये)	जन संख्या (हज़ार)
एजन्ट गवर्नर जनरल से सीधा सम्बन्ध रखने वाली	बीकानेर	महाराजा	८० लाख	७००
	सिरोही	महाराव	९ लाख	१८७
	झालावाड़	महाराजराना	७ लाख	९६
पूर्वी राजपूताना एजन्सी	भरतपुर	महाराजा	३२ लाख	२२४
	धौलपुर	महाराजराना	*	१०३
	करौली	महाराजा	*	६०
	अलवर	महाराजा	४० लाख	३२९
पश्चिमी राजपूताना रेज़ीडैन्सी	जोधपुर	महाराजा राव	१२० लाख	१८४८
	जैसलमेर	महारावल	४ लाख	८८
हारावती–टोंक एजन्सी	बून्दी	महाराव राजा	१० लाख	१९७
	टोंक	नवाब	२० लाख	२८७
	शाहपुरा	राजाधिराज	५ लाख	४९
जैपुर रेजीडैन्सी	जैपुर	महाराजा	६५ लाख	२३३९
	किशनगढ़	महाराजाधिराज	६ लाख	७८
	लावा	ठाकुर	२० हज़ार	२
कोटा एजेन्सी	कोटा	महाराव	४६ लाख	६३०
मेवाड़ रेज़ीडैन्सी	उदयपुर	महाराना	४६ लाख	१४०७
	बांसवाड़ा	महारावल	८ लाख	१९०
	डूंगरपुर	महारावल	५ लाख	१८९
	प्रतापगढ़	महारावल	६ लाख	६७

* ये अंक ज्ञात नहीं हो सके। —लेखक.

इन रियासतों में से एक (टोंक) मुसलमान, दो (भरतपुर, धौलपुर) जाट, और शेष राजपूत हैं। इस एजन्सी की कई रियासतें इतिहास-प्रसिद्ध हैं। गवर्नर जनरल का एजन्ट अजमेर में रहता है। शासन प्रबन्ध की सुगमता के लिए यह एजन्सी कई भागों में विभक्त है, उनका परिचय पिछले पृष्ठ में दिया जा चुका है।

राजपूताने में शिक्षा, सभ्यता और उद्योग धन्धों की शोचनीय कमी है। यद्यपि कुछ नरेश क्रमशः उदारता की नीति से काम लेने लगे हैं, अधिकांश प्रबन्धकर्ताओं में स्वेच्छाचार की भावना बनी हुई है। प्रजा अपने अधिकारों से प्रायः अनभिज्ञ, संकुचित विचार वाली और नवयुग की लहर से बिल्कुल बेख़बर है। कुल रियासतों में केवल १५७६ मील रेल है।

बिलोचिस्तान एजन्सी—इसमें क़िलात, खरां और लसवेला की रियासतें शामिल हैं। यह एजन्सी ब्रिटिश बिलोचिस्तान के चीफ़ कमिश्नर की निगरानी में है।

पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एजन्सी—इसमें चित्राल, दीर, बजौर की छोटी छोटी रियासतें हैं। यह पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के चीफ़ कमिश्नर के निरीक्षण में है।

मध्यभारत एजन्सी—इसमें डेढ़सौ के लगभग रियासतें हैं, जिनमें कुछ तो बिल्कुल ही छोटी या कम महत्व की हैं। एजन्ट इन्दौर में रहता है। शासन कार्य के लिए यह एजन्सी कुछ विभागों में विभक्त हैं। आगे की तालिका में उनके नाम, तथा अन्तर्गत रियासतों की संख्या, एवं मुख्य रियासत के शासक और आय आदि का परिचय दिया गया है।

पिछले दिनों महाराजा इन्दौर पर, एक मुक़द्दमे के सम्बन्ध में, वायसराय ने एक कमीशन बैठाना चाहा। इस पर महाराज ने 'स्वेच्छा' से गद्दी छोड़दी। उनका लड़का नाबालिग़ है, शासन प्रबन्ध के लिए एक कौंसिल स्थापित की हुई है।

भोपाल में बहुत समय से स्त्रियां ही शासक होती थीं। कुछ समय हुआ, वहां की बेगम ने सरकार से स्वीकृति लेकर, गद्दी छोड़दी और अपने लड़के को राज सिंहासन पर बैठा दिया।

अंगरेज़ी राज्य के अन्तर्गत छोटी छोटी रियासतें—पंजाब में बहावलपुर, पटियाला, नाभा,* जींध कपूर्थला, मंडी, चम्बा, सिरमौर, फ़रीदकोट मुख्य हैं, तथा २५ और हैं। बिहार उड़ीसा में कई छोटी छोटी रियासतें हैं। बंगाल में कूचबिहार त्रिपुरा, मोरभंज मुख्य हैं तथा २५ और हैं। बम्बई में बीजापुर, कोल्हापुर, कच्छ, ख़ैरपुर, ईदर, भावनगर, सांगली, मोर्वी, धारवार, काठियावाड़, जूनागढ़ मुख्य हैं तथा ३०० और हैं। मद्रास में ट्रावंकोर, कोचीन, पद्दूकोटा मुख्य हैं तथा २ और हैं। मध्यप्रान्त में वस्तर, रायगढ़, सिरगुज्जा, मुख्य हैं तथा १२ और हैं। संयुक्त प्रान्त में रामपुर, टेहरी और बनारस हैं। आसाम में मनीपुर, टिपरा, खासी और जैंतिया मुख्य हैं तथा २३ और हैं। बर्मा में शान रियासतों के अतिरिक्त आठ और हैं।

देशी रियासतों के अधिकार—देशी रियासतों के निवासी अपने अपने नरेश की प्रजा हैं। साधारणतया इन पर

* यहां के महाराज 'स्वेच्छा से' पदच्युत किये जाकर, अब नज़रबन्द हैं।

अथवा इन के शासकों पर ब्रिटिश भारत का क़ानून नहीं लग सकता। हां, देशी रियासतों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा पर, तथा रेज़ीडेन्सी, छावनी, रेल या नहर की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान (गुजरात) जैसे स्थानों में जहां व्यापार आदि के कारण बहुत से अंगरेज़ रहते हों, अंगरेज़ी सरकार के ही क़ानून का व्यवहार होता है। ब्रिटिश भारत का यदि कोई अपराधी किसी देशी रियासत में भाग जाय तो वह उस नरेश की आज्ञा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता हैं। देशी रियासतों की प्रजा अपनी रियासत की सीमा के बाहर के ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है।

साधारणतः देशी नरेश अपनी प्रजा से कर लेते व उसके दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का फ़ैसला करते हैं। कुछ नरेश अपने यहां आने वाले माल पर चुंगी लेते हैं। कुछ अभी तक अपने रुपये आदि सिक्के ढालते हैं। परन्तु, इन सब को अंगरेज़ी रुपये को अपने यहां वही स्थान देना पड़ता है जो उसे ब्रिटिश भारत में मिला है।

सरकारी नीति—देशी रियासतों के प्रति सरकार की नीति यह है कि जब तक वे सरकार अंगरेज़ी के प्रति राजभक्ति बनायी रक्खें और पहिले की की हुई संधि की शर्तों का यथोचित पालन करते रहें तब तक सरकार उनकी रक्षा करेगी और उनका अस्तित्व बनाये रखेगी। साधारण दशा में देशी नरेश अपनी रियासतों का स्वयं प्रबन्ध करते हैं। परन्तु, वे सरकार के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकते *। सरकार

* खेद है कि सरकार नरेशों से कभी कभी ऐसाभी अनुरोध करती है कि वे अपनी सन्तान का किसी ख़ास राजघराने में ही विवाह करें अथवा,

जिस नरेश को अयोग्य या असमर्थ समझे, उसे गद्दी से उतार कर, उसके किसी सम्बन्धी को पदारूढ़ कर देती है। यदि किसी नरेश के सन्तान न हो तो उसे उत्तराधिकारी या वारिस गोद लेने की इजाज़त दीजाती है। वारिस की नाबालग़ी (अल्पावस्था) की हालत में सरकार देशी राज्य के शासन का प्रबन्ध करती या रिजेन्सी द्वारा करवाती है। इन रियासतोंको इस बातकी अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना परस्पर एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से किसी प्रकार का राजनैतिक व्यवहार कर सकें अथवा किसी विदेशी को अपने यहां नौकर रख सकें। इन रियासतों की रक्षा का भार सरकार ने अपने ऊपर रखा है और इन्हें सरकार की सहायता के लिए कुछ सेना रखनी पड़ती है। इस के अतिरिक्त ये थोड़ीसी फ़ौज अपनी आन्तरिक शान्ति अथवा दिखावे के लिए रख सकती हैं, परन्तु किसी पर चढ़ाई करने, अथवा किसी की चढ़ाई से अपने को बचानेके लिये ये कोई फ़ौज नहीं रख सकतीं।

पिछले दिनों बरार के सम्बन्ध में निज़ाम हैदराबाद से पत्र व्यवहार करते समय लार्ड रीडिंग ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, उसका आशय यह है कि देशी नरेश अपने राज्यों के भीतरी प्रबन्ध के सम्बन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हैं, भारतवर्ष में, शान्ति और सुव्यवस्था रखना साम्राज्य सरकार का, किसी संधि पत्र से नहीं; स्वयं सिद्ध अधिकार है। फिर संधि पत्रोंका क्या मूल्य रहा? ब्रिटिश सरकार को जब जैसा जचे, वह किसी देशी रियासत के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप

उसे खास ढंगसे ही शिक्षा दिलावें क्या उन्हें एसे कार्यों में भी स्वतंत्र नहीं रहने देना चहिए?

कर सकती है। देशी नरेश अब तक अपने को स्वतंत्र और ब्रिटिश साम्राज्य के मित्र समझते थे। लार्ड रीडिंग के उक्त निर्णय से उनके कुल अधिकार बहुत संकुचित होजाते हैं।

जांच कमीशन—ऐसे झगड़ों के विषय में जो दो या अधिक रियासतों में, किसी रियासत और किसी प्रान्तिक सरकार में, या किसी रियासत और भारत सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई रियासत भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असन्तुष्ट हो, वायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है जो झगड़े वाले मामले की जांच करके उसके सामने अपना आवेदन करे। अगर वायसराय इस आवेदन को मंजूर न कर सके तो वह उस मामले को फ़ैसले के लिए भारत मंत्री के पास भेज देगा।

नरेन्द्र मंडल—मांट-फ़ोर्ड सुधारों के अनुसार १९२१ से बड़ी बड़ी रियासतों की एक नरेन्द्र मंडल (चेम्बर आफ़-प्रिंसेज़) नामक समिति बनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष रियासत से न हो, जिनका प्रभाव साधारणतः सब रियासतों पर पड़ता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत, और देशी रियासतों से हो, उन पर इस संस्था की सम्मति मांगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है, उसकी अनुपस्थिति में राजाओं में से ही कोई प्रधान का कार्य करता है। मंडल का अधिवेशन प्रायः साल में एक वार होता है, उस में वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही वादानुवाद होता है। मंडल के नियम, वायसराय नरेशों की सम्मति लेकर बनाता है। नरेन्द्र मंडल प्रति वर्ष एक छोटी सी स्थायी समिति बनाता है, जिस से वायस-

राय या सरकार का राजनैतिक विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व-पूर्ण विषयों में सम्मति लेता है।

नरेन्द्र मंडल का अधिवेशन होना या न होना सर्वथा वायसराय की इच्छा पर निर्भर है। मंडल की कार्रवाई सर्वथा गुप्त रखी जाती है, वायसराय का भाषण तक भी प्रकाशित नहीं किया जाता। कई नरेश इस में सम्मलित नहीं होते। नरेन्द्र मंडल अभीतक कोई स्वतंत्र या सन्तोषप्रद कार्य नहीं कर सका है।

देशी राज्यों के गुण दोष—देशी रियासतों में कई बात तो बहुत अच्छी हैं। ये हमारे स्वराज्य-भोगी प्रदेश हैं। यहां हमारे प्रबन्ध की परीक्षा होती है और स्वराज्य की शिक्षा मिलती है। जहां हमारे अनेक पुरुष-रत्न ब्रिटिश भारतमें 'कलेक्टर' जैसी नौकरियों को प्राप्त करने में सहज ही सफल नहीं होते, देशी रियासतों में योग्य भारतीय सज्जन दीवान जैसे उच्च पद को शोभित करते हैं। कई रियासतों में अनिवार्य शिक्षा प्रणाली व्यवहृत कर दी गई है। यहां कोई आर्म्स ऐक्ट नहीं, लोगों को हथियार रखने की मनाई नहीं। ब्रिटिश भारत पाश्चात्य सभ्यता दर्शाता है तो ये प्राचीन आचार विचार की छटा दिखाती हैं। परन्तु, इन रियासतों में बहुत से दोष भी हैं। कुछ उन्नतशील या सुधार-प्रिय रियासतों को छोड़कर उनकी प्रजा को सार्व-जनिक कार्य करने की उतनी स्वाधीनता नहीं, जितनी ब्रिटिश भारत की जनता को है। बहुधा उनमें सार्वजनिक मत को दर्शाने वाले समाचार पत्रों का अभाव ही है। अनेक स्थानों में राजा करे सो न्याय, और नरेश की इच्छा ही क़ानून है। कर लगाने की निश्चित नीति नहीं, प्रजा से कितने ही प्रकार से

धन संग्रह करके उसे स्वेच्छानुसार ख़र्च किया जाता है। प्रजा की सुनाई नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता।

देशी रियासतों का सुधार—निस्संदेह यह बातें बहुत बुरी हैं, तथापि इनका इलाज हो सकता है और, किसी हितेच्छु को इन दोषों के कारण इन रियासतों का क्षय अभीष्ट नहीं। इनके सुधार पर विचार होना चाहिये। अन्यान्य बातों में देशी नरेशों को यह जान लेना चाहिये कि संसार की नवीन भावना निरंकुश शासन को हटाकर उसकी जगह उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। जिन देशों में शासकों ने बुद्धिमता और उदारता से इस कार्य में योग दिया उनका ही कल्याण हुआ है। आशा है हमारे नरेश अपनी रक्षा और सहायता का प्रधान साधन अपनी प्रजा को ही समझेंगे तथा तन, मन, धन से उसकी शक्ति बढ़ाना अपना धर्म मानेंगे*।

कुछ समय से 'देशी राज्य प्रजा परिषद्' के बराबर वार्षिक अधिवेशन हो रहे हैं। इस परिषद् का उद्देश्य समस्त वैध और शान्त उपायों द्वारा, देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की है।

देशी रियासतों के सुधार का विचार करते हुए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन में एक तंत्र शासन की ही प्रधानता है। अतः इन रियासतों का बनना बिगड़ना बहुत कुछ इनके नरेशों पर निर्भर है। अतः और और बातों में राज-

---

* इस सम्बन्ध में हमने अपने विशेष विचार 'भारतीय चिंतन' के एक लेख में प्रकट किये हैं। —लेखक

कुमारों की शिक्षा की पद्धति में यथेष्ट संशोधन होना चाहिये। भारत सरकार द्वारा स्थापित राजकुमार-कालिजों में, अथवा विलायत में उन्हें जो शिक्षा दी जाती है उससे, उनमें बहुधा विलासिता और स्वेच्छाचारिता के भावों की वृद्धि होती है। क्या इस विषय में समुचित सुधारकिया जायगा ?

तेरहवां परिच्छेद

भारतीय सेना

"प्रत्येक मनुष्य का यह आजन्म स्वत्व है कि उसे अपने देश की रक्षा का अधिकार हो, फिर भारतवासियों के मार्ग में राजनैतिक रुकावटें क्यों डाली जा रही हैं ?"

—सर (अब लार्ड) एस. पी. सिंह

प्राक्कथन—अहा ! यह संसार कैसा सुखमय होगा, जब चहुं ओर स्वाधीनता और शान्ति का साम्राज्य होगा, कोई जाति या देश स्वार्थ अथवा अभिमान के वशीभूत होकर दूसरे पर शासन और अत्याचार न करेगा, तथा सब परस्पर में प्रेम और मित्रता का व्यवहार करेंगे। परन्तु ये सब भविष्य की आशायें हैं। इस समय किसी को तो यह लगन लगी हुई है कि अवसर पाते ही दूसरे को धर दबावे और, अनेकों को यह चिन्ता सता रही है कि अपनी रक्षा का समुचित प्रबन्ध रखें। इस प्रकार इच्छा से हो चाहे अनिछा से, सेना सभी राष्ट्र रखते हैं। सेना

तीन प्रकार की होती है:—स्थल सेना, जल सेना, और आकाश सेना।

भारत वर्ष की स्थल सीमा—भारतवष पर अधिकांश आक्रमण स्थल मार्ग से ही हुए हैं। स्थल सीमा में भी, यहां उत्तर तथा पूर्व की ओर से विशेष भय नहीं है। हिमालय की ऊंची दीवार एक अजेय सेना का काम कर रही है, इसमें तिब्बत तथा नेपाल के रास्तों को छोड़ कर और कोई मार्ग नहीं है। इन राज्यों से, एवं चीन से तथा स्याम आदि पूर्वी रियासतों से सरकार ने मित्रता की संधि कर रखी है। आसाम और बर्मा की सीमा पर की जातियां प्रायः कष्टदायक नहीं हैं।

भारतवर्ष पर उल्लेखनीय आक्रमण पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के रास्तों से हुए हैं, और अब भी इसी ओर से आशंका रहती है। परन्तु युद्ध की इस आशंका को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, इस से अधिकारियों को बहुत अधिक फ़ौज रखने, तथा उस पर मनचाहा ख़र्च करने, का अवसर मिलता है।

स्थल सेना—प्राचीन काल में सेना कहने से स्थल सेना का ही बोध होता था। इसके सैनिक संगीन, तलवार, बन्दूक़, और तोप आदि से लड़ते हैं।* इस सेना के तीन भेद हैं:— पैदल, रिसाला और तोपख़ाना। तोपख़ाना इतनी तरह का होता है:— मैदानी, घुड़सवार, पहाड़ी, भारी, घिराव का, और क़िले का। सेना सब भारत सरकार की निगरानी में रहती है और, प्रधान सेनापति (जंगी लाट) भारत सरकार में इसका

* कुछ समय से ज़हरीली गैसों (वायु) का भी प्रयोग होने लग गया है।

प्रतिनिधि होता है। कुछ सेना पूर्व और पश्चिम के सीमा प्रांतों में रहती है, और शेष यत्र तत्र ऐसी छावनियों में, जहां से आवश्यकतानुसार सुगमता से एकत्र की जा सके। सन् १८५७ के सिपाही-युद्ध से पहिले कुल योरोपियनों की संख्या सेना का प्रायः पांचवां हिस्सा होती थी, अब एक तिहाई रहती है।

संगठन—फ़ौज का वर्तमान संगठन लार्ड किचनर के सुधारों के अनुसार है। भारतीय सेना भाग का हेड कार्टर (या सदर) शिमला है। उसके मुख्य कर्मचारी हेड कार्टर्स स्टाफ़ कहलाते हैं। इस स्टाफ़ के छः विभाग होते हैं जो सैनिक शिक्षा, रंगरूटों की भरती, छावनियों के प्रबन्ध, गोले बारूद व फ़ौजी सामान तैयार करने, फ़ौजी इमारतें बनाने, तथा सेना की चिकित्सा आदि, का कार्य करते हैं।

सेना सम्बन्धी कार्यों में, विशेषतया युद्ध के समय प्रधान सेनापति को परामर्श देने के लिए कुछ सदस्यों की एक सभा रहती है। इसका सेक्रेटरी, युद्ध संचालक होता है वह भिन्न भिन्न सदस्यों से उस कार्य के सम्बन्ध में परामर्श लेता है जो उनके अधीन हों।

सेना का कार्य क्षेत्र उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी डिवीज़नों में विभक्त है। इन में से प्रत्येक में कई कई फ़ौजी ज़िले हैं। कुल फ़ौजी ज़िलों की संख्या १४ हैं। बर्मा का फ़ौजी ज़िला पृथक् रखा गया है।

सन् १९२५ में, ब्रिटिश भारत की सेना में ६९,७६८ ब्रिटिश, तथा १,७२,०२५ हिन्दुस्तानी अफ़सर और अन्य पदाधिकारी थे।

इनके अतिरिक्त कुछ सहायक ('ओग्ज़ीलियरी') और रिज़र्व सैनिक होते हैं। देशी रियासतों की इम्पीरियल सर्विस सेना १९२१ से भारतीय राज्य सेना (Indian States Troops) कहलाती हैं। इसके सैनिकों की संख्या उक्त वर्ष में ३१,२४१ थी। सीमा पर की फ़ौजी पुलिस और सीमान्त जातियों की 'मिलिशिया' (बे क़ायदा फ़ौज) की गिनती सेना में नहीं की जाती।

जल सेना—आधुनिक युग में उन्नत देशों के जल सेना बढ़ा लेने से देश पर समुद्र के रास्ते आक्रमण होने का नवीन भय उपस्थित होगया है। इससे भारतवर्ष में भी जल सेना रखी जाने लगी है। इस सेना की शक्ति लड़ाऊ जहाज़ों से जानी जाती है। भारतवर्ष की जल सेना के नाम समय समय पर बदलते रहे हैं। सन् १८९२ ई० से इसे 'रायल इंडियन मेरीन' कहते हैं। इसका काम सैनिक, तथा युद्ध का सामान लाना लेजाना, भारतीय समुद्र में पहरा देना, समुद्री डाकुओं का दमन, बन्दरगाहों की रक्षा और समुद्री नाप जोख करना है।

१८६९ से भारतवर्ष ब्रिटिश सरकार को उसकी राजकीय जलसेना की सेवा के लिए प्रतिवर्ष विविध मात्रा में धन देता रहा है। १८९६-९७ से 'ईस्ट इन्डीज़ स्काडरन' के कुछ जहाज़ों के लिए वार्षिक एक लाख पौंड देना निश्चित हुआ।

फ़रवरी १९२६ से भारतवर्ष में ऐसी जल सेना संगठित करने का निश्चय किया गया है, जिससे यहां की जल शक्ति की अवस्था उन्नत हो। इसका नाम 'शाही जल सेना' है। इसके कर्मचारियों में केवल एक तिहाई भारतवासी रखने का

निश्चय हुआ है। कुछ सज्जनों का अनुमान है कि इसके द्वारा भारत का हित न होगा। यह ब्रिटिश जहाज़ी बेड़े का ही अंग रहेगी, और इसकी सहायता से ब्रिटिश सरकार सिंगापुर के अड्डे की शक्ति बढ़ाकर, सुदूर-स्थित पूर्वीय देशों में अपना आतंक बढ़ावेगी।

आकाश सेना—आकाश सेना की शक्ति का हिसाब वायुयानों (हवाई जहाज़ों) से लगाया जाता है। यह ऊपर से बम या गोले बरसा कर अपना संहार कर्तव्य पूरा करती है। इसे 'रायल एअर फ़ोर्स' और इसके संचालक को 'एअर कामोडोर' कहते हैं। यह प्रधान सेनापति की परामर्शदातृ (एडवीज़री) सभा का सदस्य होता है। हवाई जहाज़ों पर बैठकर उड़ने की शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों में 'मिलिटरी फ़्लाईंग स्कूल' खोले गये हैं।

सैनिक शिक्षा—भारतवर्ष के लिए ब्रिटिश सिपाहियों और अफ़सरों की शिक्षा प्रायः इंग्लैंड में होती है। उसके लिए भारत को ही धन देना पड़ता है। हाल में कुछ हिन्दुस्तानियों को भी वहां शिक्षा पाने की अनुमति मिली है। कुछ समय से यहां देहरादून में सैनिक शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होने लगी है कि इंग्लैंड के सैंढर्स्ट कालिज में प्रवेश होने के लिए, नवयुवक यहां आवश्यक योग्यता प्राप्त कर सकें।

भयंकर सैनिक व्यय—भारतवर्ष में वेतन भोगी सेना की भरमार है। यहां ऐसी व्यवस्था नहीं कि सैनिक शिक्षा-प्राप्त अन्य ऐसे नवयुवक यथेष्ट संख्या में रहें, जो आवश्यकता

पड़ने पर रणक्षेत्र में आवें और मातृ-भूमि की रक्षा करें। स्वराज्य प्राप्ति के लिए इस बात की बड़ी ही ज़रूरत है। पुनः यहां के सैनिक व्यय का लक्ष्य केवल भारत रक्षा ही न होकर, एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, होता है। यही कारण है कि यहां प्रति वर्ष पचास साठ करोड़ रुपये इस मद्द में ख़र्च कर दिये जाते हैं। १९२५-२६ के लिए ६०.२६ करोड़ रुपये का अनुमान है। सैनिक ख़र्च का ब्यौरा और आलोचना हमारी 'भारतीय राजस्व' में दी गयी है। वहीं हमने यह भी बताया है कि दरिद्र भारत के लिए यह व्यय कितना भयंकर है, तथा किन किन उपायों से इसे घटाना चाहिए।

चौदहवां परिच्छेद

भारतीय पुलिस

" पुलिस हमारी रक्षक होवे, भक्षक बनकर घूस न लेय।
" झूठे मूठे जाल बांधकर, व्यर्थ मुक़द्दमा गांठ न देय॥
" लाल दुपट्टा देख सीस पर, उन्हें न समझें हम जमदूत।
" थर थर कंपें न अपने मनमें, जिनको समझ गड़ैता भूत॥
" बल्कि देखकर उन्हें प्रेम से, मनमें प्रजा समस्त सिहाय।
" जान माल का समझ पहरुआ, सब विधि देय मदद हर्षाय॥
—बेनी माधव तिवारी

जिस प्रकार सेना का कर्तव्य देश को बाहर के शत्रुओं से बचाना है, उसी भांति पुलिस रखने का अभिप्राय यह होता है

कि देश के अन्दर शान्ति रहे, चोर डाकू उपद्रव न मचावें, अपराधियों की खोज की जाय, और उन्हें न्यायालय पहुंचाया जाय।

संक्षिप्त इतिहास—ब्रिटिश सरकार की स्थापना से पूर्व, प्रत्येक गांव या शहर अपनी रक्षा का स्वयं प्रबन्ध करता था। शहरों में कोतवाल और गांवों में चौकीदार और लम्बरदार नियत थे। जहां बड़े बड़े ज़मींदार थे, वहां उनके अधीन छोटे किसान यह कार्य सम्पादन करते थे। कम्पनी के शासन काल में ज़मीदारों से यह कार्य हटाकर, उनकी जगह योरोपियन मेजिस्ट्रेट नियत किये गये और, पुलिस के प्रबन्धार्थ ज़मीदारों पर कुछ भूमि-कर बढ़ाया गया। बीस बीस मील के थाने बनाकर उनपर दारोग़ा नियत किये गये, जिन्हें सरकारी खर्च से कुछ कान्स्टेबल, हथियार बन्द सिपाही, और चौकीदार रखने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार वेतन-भोगी पुलिस रखने की पद्धति आरम्भ हुई।

संगठन—समय समय पर भिन्न भिन्न प्रान्तों में पुलिस संगठन सम्बन्धी कई परिवर्तन हुए। वर्तमान संगठन सन् १८६० ई० के कमिशन की सूचनाओं के आधार पर है और इस में १६०२ के कमिशन की सूचनाओं के अनुसार कुछ फेर बदल हुए हैं। अब प्रत्येक प्रान्त की पुलिस एक अफ़सर के अधीन रहती है जो इन्स्पेक्टर जनरल कहलाता है। उस के अधीन डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल होते हैं। ये एक 'रेंज' का नियंत्रण करते हैं, जिसमें आठ दस ज़िले होते हैं। प्रत्येक ज़िले में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस रहता है। यह ज़िले की

शान्ति के लिए ज़िला मेजिस्ट्रेट के, तथा अपराधों की खोज और निवारण के लिए डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन होता है। इस के नीचे एक या अधिक सहायक या डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट रहते हैं।

प्रत्येक ज़िला तीन चार सर्कलों या हल्क़ों में, और एक हल्क़ा ४, ५ पुलिस स्टेशन या थानों में, विभक्त रहता है। थानों का औसत क्षेत्रफल २०० वर्ग मील है, इन के अन्तर्गत पुलिस चौकियां होती हैं। प्रत्येक हल्क़ा एक इन्स्पेक्टर के, और थाना सब-इन्स्पेक्टर के अधीन होता है। सब-इन्स्पेक्टर अपराधोंकी खोज तथा जांच करता है, और अपने क्षेत्र की शान्ति का उत्तरदाता है; इन्स्पेक्टर का काम केवल निरीक्षण सम्बन्धी है। सब-इन्सपेक्टर के नीचे एक हैड-कान्स्टेबल और कई कान्स्टेबल रहते हैं। शहरों में एक एक कोतवाल भी होता है।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और रंगून में पृथक् पृथक् पुलिस, कमिश्नरों तथा उन के दो या अधिक सहायकों के अधीन रहती है। बड़े शहरों में सड़कों की भीड़ का प्रबन्ध करने के लिए गोरी पलटनोंके जवान नियुक्त होते हैं, जो सार्जेन्ट कहाते हैं। रेलवे पुलिस का संगठन पृथक् है। इसका ज़िला-पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

खुफ़िया पुलिस—पहिले ठगी और डकैती रोकने के लिए पुलिस का एक पृथक् विभाग था, उसे हटाकर अब अपराधों की खोज के लिए सी. आई. डी. (Criminal Investigation Dept.) नामक विभाग बनाया गया है। अन्य पुलिस की वर्दी की तरह इसकी कोई विशेष वर्दी नहीं होती। इसे खुफ़िया पुलिस कहते हैं। इसका संगठन प्रान्तवार किया गया है। इस का प्रधान एक योरोपियन अफ़सर होता है जिसका दर्जा डिप्टी

इन्सपेक्टर जनरल के समान होता है। इसके अधीन कुछ इन्स्पेक्टर और सब-इन्स्पेक्टर होते हैं।

खुफ़िया पुलिस का काम षडयन्त्र, जालसाज़ी, राजद्रोह, नकली सिक्का बनाने की, तथा डकैती आदि तथा ऐसे अपराधों की, खोज करना है जिनका सम्बन्ध एक से अधिक ज़िलों से हो, या जो ऐसे महत्व के हों कि ज़िला-पुलिस को न सौंपे जा सकें। जन साधारण पर इसका बड़ा आतंक जमा हुआ है; अनेक बार भोले भाले निर्दोष आदमी भी, केवल शंका के आधार पर इसके चंगुल में फंस जाते हैं।

सन् १९२३-२४ ई में भारतवर्ष में पुलिस के अफ़सर और अन्य कर्मचारी २,०३,००० थे। इनके अतिरिक्त ३०,००० अफ़सर और कर्मचारी सैनिक पुलिस में थे, इनमें से आधे से अधिक बर्मा में थे।

पुलिस का काम—ज़िला-पुलिस के दो भाग हैं, सशस्त्र और अशस्त्र। सशस्त्र पुलिस के काम ख़ज़ानों का पहरा देना, ख़ज़ानों और क़ैदियों के साथ जाना और डाकुओं के दल पर चढ़ाई करना है। इसलिए उसे शस्त्र दिये जाते हैं, और फ़ौजी ढंग पर क़वायद करना और गोली चलाना सिखाया जाता है। बर्मा, आसाम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में फ़ौजी पुलिस विशेष रूप से रखी जाती है। अशस्त्र पुलिस के काम जुर्माना वसूल करना, सम्मन या वारंट की तामील करना, सड़कों की भीड़ का बन्दोबस्त करना, आवारा कुत्तों को मार डालना, आग बुझाना, और जिन अपराधों के लिए बिना वारंट वह गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनकी जांच करना है। मामूली मामलों में इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर पैरवी करता है यदि मुक़द्दमा सङ्गीन होता है तो सरकारी वकीलों के

परामर्श से काम किया जाता है। अपराधियों के पकड़ने के सिवा, पुलिस का काम अपराध रोकना भी है। इस लिए वह पुराने अपराधियों और सन्देह-जनक पुरुषों पर दृष्टि रखती है। थानों में बदमाश, गुण्डे व दाग़ियों का रजिस्टर, रखा जाता है।

सन् १९२३ ई० में सब प्रान्तों की पुलिस में कुल मिलाकर १७,०२,०८८ अपराधों की रिपोर्ट हुई। कुल २१,८९,८४१ आदमियों पर मुक़द्दमा चला, इनमें से १०,४१,६०७ बरी होगये या छोड़ दिये गये। ९,९६,४९६ को सज़ा हुई। २६,८६६ आदमी अपराध लगाया जाकर, उच्च अधिकारियों के पास भेजे गये। ६,४१८ मरगये या गिरफ्तारी से बच गये या अन्य प्रान्तों में बदल दिये गये। वर्ष के अन्त में जिन पर मुक़द्दमा चलता रहा उनकी संख्या १,१८,४१४ थी। इस वर्ष के मुख्य मुख्य अपराधियों का ब्यौरा आगे दिया जाता है,। स्मरण रहे कि यहां जन साधारण की आजीविका की समुचित व्यवस्था होजाय तो अपराधों की संख्या में बड़ी कमी हो जाने की आशा है।

अभियुक्त का अपराध	रिपोट हुई	सज़ा हुइ
राजद्रोह या शान्ति भंग	१४,७७१	४,९१३
हत्या	५,८०३	१,५३६
मारपीट के घोर अपराध	५४,११३	१४,५२८
डैती	४,४०८	८७७
मवेशियों की चोरी	[illegible],८७८	६,४३३
साधारण चोरी	१,६९,५८९	३७,७३४
अपराध करने की नीयत से दूसरे के घर में घुसना या घर को तोड़ना	१,९३,११२	२०,४०५

पुलिस का ख़र्च और सुधार—सन् १९२५-२६ ई० के बज़ट में, नौ बड़े प्रान्तों में पुलिस का ख़र्च सवा ग्यारह करोड़ रुपये था। अकेले संयुक्त प्रान्त के बजट में पुलिस का ख़र्च १६२ लाख रुपये था। सुधार के नाम पर यह ख़र्च बढ़ता ही जारहा है, परन्तु प्रजा का पुलिस पर अब भी विश्वास नहीं है। यद्यपि शासक समय समय पर पुलिस की प्रशंसा करते रहते हैं, जन साधारण की उससे सहानुभूति तो दूर रही, उलटा वे उसे देख कर ही घबरा जाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पुलिस कर्मचारी अपने आप को प्रजा-सेवक न समझ कर, प्रजा को ही अपना सेवक समझते हैं और इस अधिकार मद में बहुधा अनुचित कार्य करते रहते हैं। पुलिस विभाग का ख़र्च कम करने, तथा इस का समुचित सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विशेष विचार हम अपनी 'भारतीय राजस्व' पुस्तक में प्रकट कर चुके हैं।

पन्द्रहवाँ परिच्छेद

न्याय और जेल

"क़ानून सरल, न्याय सस्ता और दंड सुधारक होना चाहिये"

—लेखक

पुलिस अपराधियों को केवल तलाश व गिरफ्तार कर सकती है; परन्तु अभियुक्तों के लिए दंड निश्चय करने का

काम न्यायालयों का है, जो देश के क़ानून के अनुसार उनका विचार करते हैं।

भारतवर्ष का लिखित क़ानून—हिन्दुओं और मुसलमानों के क़ानूनों को छोड़कर, भारतवर्ष के अन्य क़ानून ब्रिटिश सरकार के बनाये हुए हैं। यही भारतवर्ष का लिपिवद्ध क़ानून है। यह तीन भागों में बांटा जा सकता है:—(१) पार्लिमेंट के बनाये क़ानून, (२) भारत में बने क़ानून, चाहे शासकों ने या व्यवस्थापक संस्थाओं ने बनाये हों; और (३) 'बाई ला' (Bye law) उपनियम, हुक्म, इत्यादि जो सरकार के बनाये क़ानूनों का उपयोग करने के लिए, स्थानीय विशेषताओं और आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हुए बनाये जाते हैं।

सन् १८३३ ई० में कलकत्ते में एक "ला (क़ानून) कमीशन बैठाया गया था। इस कमिशन ने 'पीनल कोड' (ताज़ीरात हिन्द, या फ़ौजदारी दंड विधान) तैयार किया। सन् १८५३ ई० में दूसरा कमिशन इंगलैंड में बैठा। इस कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार 'सिविल प्रोसिजर कोड' (दीवानी कार्य्य विधान) और 'क्रिमिनल प्रोसिजर कोड' (फ़ौजदारी कार्य्य विधान) पास हुए।

सैनिकों से फ़ौजी क़ानून के अनुसार—अंगरेज़ सैनिकों से इंगलैंड के फ़ौजी क़ानून के अनुसार, और भारतीय सिपाहियों से गवर्नर जनरल के बनाये हुए फ़ौजी क़ानून के अनुसार-व्यवहार होता है।

हाई कोर्ट का जन्म—सन् १८६१ ई० में एक क़ानून

पास हुआ जिसके अनुसार कलकत्ता, मद्रास और बम्बई एवं कुछ वर्ष पश्चात् इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थापित हुए। बिहार-उड़ीसा को १९१४ में हाईकोर्ट मिला और, पंजाब का चीफ़ कोर्ट सन् १९१९ में हाईकोर्ट बन गया। हाईकोर्टों के जजों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है, उनकी वेतन व पेन्शन आदि के नियम भारत मन्त्री ने बनाये हैं, और वही उनका संशोधन कर सकता है। इस प्रकार, हाईकोर्ट भारत सरकार के अधीन नहीं हैं।

हाईकोर्टों के अधिकार—हाईकोर्टों के क्षेत्र और अधिकार क़ानून से निश्चित हैं और सम्राट की आज्ञा से ही उन में परिवर्तन हो सकता है। हाईकोर्ट में दो भाग होते हैं, 'ओरिजिनल' और 'अपीलेट'। साधारणतया ओरिजिनल भाग का कार्य्यक्षेत्र हाईकोर्ट वाले नगर की सीमा से बाहर नहीं होता। इस भाग में उस स्थान के सब दीवानी मामले जाते हैं जो 'स्माल काज़ कोर्ट' अर्थात् अदालत ख़फीफा में नहीं जा सकते, तथा ऐसे सब फ़ौजदारी मुक़द्दमे जाते हैं जो अन्य स्थानों में ज़िला या सेशन जज की अदालतों में फ़ैसल हों। इसी भाग में फ़ौजदारी मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है जिनका मुफ़स्सिल अदालतों में नहीं हो सकता। हाईकोर्ट वादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर, अथवा न्याय के विचार से, मुक़द्दमों को सब-जजों की अदालतों से उठाकर अपने इस (ओरिजिनल) भाग में ले सकते हैं।

'अपीलेट' भाग में 'ओरिजिनल' भाग तथा मुफ़स्सिल अदालतों की अपील सुनी जाती हैं।

हाईकोर्ट अपने नियमित सीमा की सब दीवानी व फ़ौजदारी अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं। प्रान्तिक सरकारों की स्वीकृति से वे उनकी कार्य प्रणाली के नियम बना सकते हैं; 'अटर्नी', व अमीन, मोहर्रिर आदि की फ़ीस का निर्ख़ ठहरा सकते हैं। वे किसी मुक़द्दमे को या उसकी अपील को, एक अदालत से दूसरे उसके समान या बड़े अदालत में बदल सकते हैं, एवं कोर्ट की 'रिटर्न' अर्थात् लेखा माँग सकते हैं। प्रायः माल (लगान) सम्बन्धी मुक़द्दमों का, हाईकोर्ट के 'ओरिजिनल' भाग में फ़ैसला होने का रिवाज नहीं है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट को ओरिजनल भाग में केवल उन मुक़द्दमों के सुनने का अधिकार है जो योरोपियन ब्रिटिश प्रजा के विरुद्ध हों।

हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस को मिलाकर जजों की कुल संख्या २० तक हो सकती है। फ़ौजदारी मुक़द्दमों में नौ जजों की जूरी से फ़ैसला होता है और नियमानुसार क़ैद, जुर्माने, देश-निकाला आदि की विविध सज़ायें हो सकती हैं।

चीफ़ कोर्ट आदि—दक्षिणी बर्मा और अवध में चीफ़ कोर्ट हैं, तथा मध्यप्रान्त, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, उत्तरी बर्मा, कुर्ग व सिंध में जुडीशल कमिश्नरों के कोर्ट हैं। इनके अधिकार कुछ वैसे ही हैं, जैसे हाईकोर्टों के।

रेवन्यू कोर्ट—मालगुज़ारी सम्बन्धी सब बातों का फ़ैसला करने के लिए कहीं कहीं रेवन्यू कोर्ट और कहीं कहीं सेटलमेंट (बन्दोबस्त) कमिश्नर है। इनके अधीन कमिश्नर, मेजिस्ट्रेट, तहसीलदार आदि रहते हैं, जिन्हें मालगुज़ारी सम्बन्धी मामलों का फ़ैसला करने के निर्धारित अधिकार हैं।

दीवानी की अदालतें—हाईकोर्टों के नीचे दीवानी व फ़ौजदारी की अदालतें होती हैं। प्रायः हर एक ज़िले में एक ज़िला जज होता है जो वहां की सब कचहरियों का नियंत्रण करता है। उसकी अदालत ज़िले में सब से बड़ी दीवानी अदालत है, जिसमें नीचे की अदालतों के फ़ैसलों की अपील हो सकती है। ज़िला-जज के नीचे 'सबार्डिनेट' (Subordinate) जज या सब-जज होते हैं। सब-जज को सदरआला भी कहते हैं। इनके नीचे मुन्सिफ़ों का दर्जा है। मुन्सिफ़ों के पास साधारणतः १०००) रु० तक के मुक़द्दमे पेश होते हैं, परन्तु उन्हें ५०००) रु० तक का अधिकार मिल सकता है। सब-जज की अदालत में बड़ी से बड़ी रक़म तक का मामला दायर हो सकता है। यद्यपि ज़िला-जज का दर्जा इससे बड़ा है तथापि इसकी अदालत में १०,०००) रु० से अधिक का मुक़द्दमा दायर नहीं हो सकता। ज़िला-जज के यहां मुन्सिफ़ों और सब-जजों के फ़ैसले किये हुए छोटे मुक़द्दमों की अपील हो सकती है। सब-जजों और ज़िला-जजों के फ़ैसला किये हुए १०,०००) रु० से अधिक के तथा ज़िला-जजों के फ़ैसला किये हुए सब मुकद्दमों की अपील हाईकोर्ट में होती है।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कुछ अन्य स्थानों में 'स्माल-काज़ कोर्ट' (Small Cause Court) या अदालत ख़फ़ीफ़ा स्थापित हैं, जो छोटे छोटे मामलों में जल्दी व कम ख़र्च से अन्तिम निर्णय सुना देती हैं। इन्हें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में २०००) रु०, तथा अन्य स्थानों में ५००) रु० तक का मामला सुनने का अधिकार है।

फ़ौजदारी की अदालतें—प्रत्येक ज़िलों में या ज़िलों के

एक समूह में एक 'सेशन्स (Sessions) कोर्ट' रहता है। इस का प्रधान भी ज़िला-जज ही होता है जो फ़ौजदारी के अधिकार रखने से, सेशन जजी का कार्य सम्पादन करता है। उसे अन्य सहकारी सेशन जजों से इस काम में सहायता मिल सकती है। फ़ौजदारी मामले में सेशन्स कोर्टों के अधिकार हाईकोर्टों सरीखे ही हैं, हां मृत्यु सम्बन्धी हुक्म हाईकोर्ट से अनुमोदित (Confirm) होना चाहिए। इनमें फ़ैसला जूरी (Jury) या असेसरों (Assessors) की सहायता से होता है। असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिए वाध्य नहीं कर सकते।

मेजिस्ट्रेट और उनके अधिकार—सेशन जजों के नीचे प्रथम, द्वितीय, और तृतीय श्रेणियों के मेजिस्ट्रेट रहते हैं। बम्बई कलकत्ता और मद्रास में 'प्रेसीडेन्सी मेजिस्ट्रेट,' छावनियों में 'छावनी-मेजिस्ट्रेट,' एवं कुछ शहरों में आनरेरी (Honorary) अर्थात् अवैतनिक पहिले, दूसरे, या तीसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेट रहते हैं। इनमें से छावनी-मेजिस्ट्रेट फ़ौजी अफ़सर ही होते हैं।

प्रेसीडेन्सी-मेजिस्ट्रटों तथा अव्वल दर्जे के मेजिस्ट्रेटों को दो साल तक की क़ैद और एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना करने का अधिकार होता है। जिन मुक़द्दमों का फैसला प्रेसीडेन्सी मेजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, उन्हें वे हाईकोर्ट में भेज देते हैं। अव्वल दर्जे के मेजिस्ट्रेट जिन मुक़द्दमों का फ़ैसला नहीं कर सकते, उन्हें वे सेशन जज के यहां भेज देते हैं। दूसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेट छः मास तक की क़ैद और दो सौ रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। तीसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेट एक मास की

क़ैद और पचास रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। छावनी-मेजिस्ट्रेट फ़ौजदारी मामलों का प्रारम्भिक स्थिति में विचार करते हैं। कतिपय प्रान्तों में छोटे मामलों का निपटारा गांव के मुखिया ही मेजिस्ट्रेट की हैसियत से, कर देते हैं। प्रायः सब प्रान्तों में पंचायतों को कुछ दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का फ़ैसला करने का अधिकार है।

अपील पद्धति—यहां के वर्तमान क़ानून में अपील की गुंजाइश बहुत रहती है। दूसरे और तीसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेटों के फ़ैसले के विरुद्ध, ज़िलों के मेजिस्ट्रेट के सामने अपील हो सकती है, और अव्वल दर्जे के मेजिस्ट्रेट के फ़ैसले की अपील सेशन्स कोर्ट में चल सकती है। जिन मनुष्यों को मुक़द्दमे की प्रारम्भिक दशा में सेशन्स कोर्ट ने दोषी ठहराया हो, उनकी अपील उस प्रान्त के चीफ़-कोर्ट या हाई कोर्ट में हो सकती है। जब मृत्यु का हुक्म देदिया जाता है तो प्रान्त के शासक या वायसराय के पास दया के लिए अपील हो सकती है। ख़ास ख़ास हालतों में अपील इङ्गलैण्ड की प्रिवी कौंसिल तक भी पहुंच सकती है। दीवानी के मुक़द्दमों में भी अपील के लिए कम स्थान नहीं है। साधारणतया स्माल काज़ कोर्ट, और पंचायतों के फ़ैसलों की अपील नहीं होती, अन्य सबके फ़ैसलों की होती है। मुन्सिफ़ के फ़ैसलों की अपील ज़िला-जज के पास हो सकती है, जो यदि चाहे तो उसे सब-जज के पास भेज सकता है। सब-जज या ज़िला-जज के फ़ैसलों की अपील कुछ दशाओं में जुडीशल कमिश्नर्स कोर्ट में, या हाई कोर्ट में हो सकती है।

प्रिवी कौंसिल—ख़ास ख़ास हालतों में भारतवर्ष के

हाईकोर्ट, चीफ़ कोर्ट और जुडीशल कमिश्नर्स कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इंगलैंड की प्रिवी कौंसिल में अपील हो सकती है। उसके कुछ क़ानून में निपुण सदस्यों की एक जुडीशल कमेटी अपील सुनती है। इसका निर्णय सम्राट का निर्णय समझा जाता है, इसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। इस में प्रायः दीवानी ही के मामले पहुंचते हैं, फ़ौजदारी के बहुत कम जाते हैं। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि अपील की अन्तिम अदालत इंगलैंड में न होकर भारतवर्ष में रहे।

भारतवर्ष में मुक़द्दमेबाज़ी—एक समय था कि भारतवर्ष में लोग मुक़द्दमेबाज़ी को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। अब यह घरों को बरबाद करने वाला खर्चीला काम दिनों दिन बढ़ता ही जारहा है। दीवानी के मुक़द्दमों की वार्षिक औसत २० लाख से ऊपर बैठती है, फ़ौजदारी के इससे कम हैं। सन् १९२३ ई० में दीवानी मुक़द्दमों की संख्या २१,२१,९०८ थी। ये मुक़द्दमे कुल मिलाकर ६७,७८,३४,७७७ रु० की मालियत के थे। विचारना चाहिये कि इस भयंकर मुक़द्दमेबाज़ी की वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, एवं इसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय अवलम्बनीय हैं, जिससे दरिद्र लोगों का इससे छुटकारा हो। यह बात अब छिपी नहीं है कि यहां न्याय बहुत महँगा है और कोर्ट फ़ीस आदि का खर्च बहुत अधिक है। साथ ही वर्तमान शैली से मुक़द्दमों के फ़ैसलों में बड़ी देर लगती है, साधारण छोटे छोटे मामले मुद्दतों तक लटकते रहते हैं। मुक़द्दमेबाज़ी के कष्टदायक अनुभव का अनुमान वे ही कर सकते हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से कचहरियों में काम पड़ा हो। सरकारी अदालतों में बहुधा धनवानों की ही विजय होती है। राजनैतिक मामलों में

तो प्रायः न्याय होता ही नहीं। अब लोगों का विश्वास इन अदालतों पर से उठता जारहा है। सरकारी अदालतों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना करना आवश्यक है। तभी न्याय उत्तम और सस्ता होगा, तथा मुक़द्दमेबाज़ी भी घटेगी।

न्यायालयों के बारे में इतना कह कर अब हम जेलों का वर्णन करते हैं।

× × × × × ×

जेल—न्यायालयों द्वारा अपराधी ठहराये हुए व्यक्तियों को दंड स्वरूप, निर्धारित समय तक, बन्दी या क़ैद रखने के लिए जिन मकानों की व्यवस्था की जाती है, उन्हें जेल कहते हैं। कुछ दशाओं में जिन व्यक्तियों पर मुक़द्दमा चल रहा हो, उन्हें भी जेल में रहना पड़ता है।

दंड देने के उद्येश्य और भेद—प्रायः दंड देने के तीन उद्येश्य होते हैं:— (१) जिस व्यक्ति को दंड मिले, उसके आचरण का सुधार करना, (२) दूसरों को शिक्षा देना, जिससे वे ऐसे कार्य न करें, और (३) जिसके प्रति कुव्यवहार हुआ हो, उसे या उसके सम्बंधियों को सन्तोष दिलाना।

भारतवर्ष में प्रायः निम्न लिखित दंड दिये जाते हैं :—
(क) जुर्माना, (ख) बेत या कोड़े लगाना, (ग) सादी क़ैद, (घ) सख़्त क़ैद जिसमें कुछ समय की एकान्त की क़ैद भी सम्मिलित है, (च) देश-निकाला या काला पानी, (छ) प्राण दंड या फांसी।‡

‡ फांसी से अपराधी का तो कोई सुधार होता ही नहीं। इस दंड से

जेलों के भेद—यहां जेलों के तीन भेद हैं—(१) सेन्ट्रल जेल; इनमें साल भर या अधिक के क़ैदी रहते हैं। (२) ज़िला-जेल; इनमें पन्द्रह दिन से लेकर साल भर तक के क़ैदी रहते हैं। (३) छोटे जेल या हवालात; इनमें वे आदमी रहते हैं जिन्हें १५ दिन से कम की सज़ा हुई हो या, कुछ दशाओं में जिनपर मुक़द्दमा चल रहा हो। कुछ समय हुआ, इन जेलों की संख्या क्रमशः ४१; १८८ और ५२४ थीं। सन् १९२३ ई० में इनका व्यय १,९४,२०,२३२ रुपये था। क़ैदियों द्वारा बनाये हुए सामान आदि से इनकी आय ३६,३४,८७७ रु० रही।

जेलों का संगठन—सन् १८९४ ई० से पहिले भिन्न भिन्न स्थानों के जेलों के नियम तथा प्रबन्ध आदि में बहुत अन्तर था। उस वर्ष के क़ानून से सब जेलों में मोटी मोटी बातों में समानता लायी गयी। अब प्रत्येक प्रान्तिक सरकार के अधीन एक इन्स्पेक्टर-जनरल रहता है जो अपने प्रान्त के सब जेलों की निगरानी रखता है।

ज़िला-जेल के कर्मचारियों के चार भेद होते हैं। १—सुपरिंटेन्डेंट, जो साधारण प्रबन्ध, ख़र्च, तथा कैदियों की मेहनत और सज़ा की निगरानी करता है; २—मेडिकल अफ़सर, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखता है। ३—सहायक मेडिकल अफ़सर; और ४—जेलर। इन में से सुपरिन्टेन्डेन्ट और मेडिकल अफ़सर के काम बहुधा एक ही कर्मचारी के सुपुर्द होते हैं। बहुधा ज़िला-

अन्य उद्देश्यों की सिद्धी होने में भी बहुत संदेह है। इसलिये बहुत से सुधारक इस दंड को बिल्कुल उठा देने के पक्ष में हैं। हमने अपने 'नागरिक शास्त्र' में इस विषय पर विशेष विचार किया है।

जेल तथा कुछ अन्य जेल भी सिविल सर्जनों की ही देख रेख में रहते हैं। वार्डर्स यानी जेल के पहरुए और क़ैदी अफ़सर (Convict officers) का काम अधिकतर अपराधियों से ही लिया जाता है। ज़िला-मेजिस्ट्रेट भी बहुधा ज़िला-जेल की देख भाल करता है।

क़ैदियों का रहन सहन—प्रायः एक एक प्रकार के अपराध के क़ैदी इकट्ठे रहते हैं; अलग अलग कोठरियों में रहने की व्यवस्था मद्रास में अधिक हुई है। राजनैतिक, दीवानी, और फ़ौजदारी के क़ैदी तथा बूढ़े और नौजवान (१५ से १८ वर्ष तक की आयु के) क़ैदी पृथक् पृथक् रखे जाते हैं, इसी प्रकार स्त्रियों को मर्दों से अलग रखा जाता है।* सख़्त क़ैद वालों को प्रायः ६ घन्टे काम करना होता है। यद्यपि कभी कभी मिट्टी खोदने आदि के लिए क़ैदी बाहर भी जाते हैं, परन्तु ये, अधिकतर जेल के अहाते में ही जेल की नौकरी या अन्य कार्य (कपड़ा बुनना, मरम्मत करना, आटा पीसना, पानी भरना आदि) करते हैं। जब क़ैदी अपना निर्धारित कार्य नहीं करते अथवा, जब उनका व्यवहार अधिकारियों की दृष्टि में उद्दंडता का होता है, तो उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता है। कुछ दशाओं में क़ैदियों के हाथ पांव में बेड़ियां भी डाल दीजाती हैं।

छोटे अपराधी—पंद्रह वर्ष से कम आयु के बालक या तो किसी सुधार पाठशाला (Reformatory) में भेजे जाते हैं,

* भारतवर्ष में राजनैतिक अपराधियों की पृथक् श्रेणी नहीं मानी जाती। सरकार उनसे प्रायः चोरी दग़ाबाज़ी आदि के अपराधियों का सा ही व्यवहार करती है।

जिनमें तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष तक शिक्षा पाकर वे किसी उद्योग धंधे के योग्य हो जावें, या उन्हें ताड़ना देकर उनके माता पिता को ही सौंप दिया जाता है। क़ैदियों में, लड़कियों की संख्या अल्प है और, मजिस्ट्रेटों को इस बात की हिदायत रहती है कि बने जहां तक, वे अपराधी लड़कियों को धमका कर या समझा कर उनके संरक्षकों के ही सुपुर्द करदें।

काले पानी की सज़ावाले—हिन्दुस्थान में जिन लोगों को देश निकाले की सज़ा जन्म भर के लिए या कम से कम छः वर्ष के लिए होती है, उन्हें एण्डमान टापू में पोर्टब्लेयर स्थान पर भेज दिया जाता है। वहां एक सुपरिंटेन्डेन्ट तथा कुछ उसके सहायक कर्मचारी होते हैं। देश निकाले की सज़ा पाये हुए आदमी के जीवन में पांच दर्जे नियत किये गये हैं, जब वह तरक्क़ी कर के एक दर्जे से दूसरे दर्जे में प्रवेश करता है तो उस के काम की सख्ती कम करदी जाती है।

क़ैदियों की संख्या—१ जनवरी १९२३ ई० को ब्रिटिश भारत में क़ैदियों की संख्या १,१४,८१७ थी। उक्त वर्ष के भीतर १,५८,३३६ अन्य अपराधियों को भिन्न भिन्न समय के लिए क़ैद की सज़ा हुई। कुल क़ैदियों में से इस वर्ष १,६१,१६६ मुक्त हुए, ३२९ को देश निकाला हुआ और, २४२८ की मृत्यु होगयी। इस प्रकार वर्ष के अन्त में अर्थात् ३१ दिसम्बर १९२३ को १,०८,२३० क़ैदी रहे। इन में नौ जवानों की संख्या ३३६ थी।

क़ैदियों का सुधार—जेलों में क़ैदियों का सुधार बहुत कम होता है। बहुत से साधारण अपराधी वहां से पक्के चोर, डाकू और दुराचारी होकर निकलते हैं। इससे सिद्ध है

कि जेलों की व्यवस्था ख़राब है। उसमें ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है कि जेल से वापिस आने के पश्चात, कोई आदमी दुबारा वैसा अपराध न करे। इसके लिये, जेलों में अपराधियों के मानसिक सुधार का प्रयत्न किया जाना चाहिये। उन्हें धार्मिक और नैतिक विषयों के उपदेश, तथा स्वतन्त्र रूप से आजीविका प्राप्त करने की शिक्षा मिलनी चाहिये। कहीं कहीं क़ैदियों को रामायण महाभारत आदि की कथा सुनाने का प्रबन्ध होने लगा है। बर्मा के कुछ सेंट्रल जेलों में, मार्च १९२९ से, स्कूल और पुस्तकालय खोले जाने के लिए कुछ रक़म मंज़ूर की गयी है। ऐसे उपायों का विस्तृत और व्यापक प्रचार होना चाहिये।

ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं की भी बड़ी आवश्यकता है, जो इस बात का प्रयत्न करें कि जेल से लौटे हुए आदमियों को समाज घृणा की दृष्टि से न देखे, और उन्हें नौकरी आदि मिलने में कठिनाई न हो। तभी वे सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे।

भारतीय शासन के सम्बन्ध में प्रयाग के 'लीडर' की सम्मति :—

That the book before us has gone through four editions is a sufficient proof of its usefulness. It is an admirable hand-book on the system of administration in India. ....The information in every chapter is up-to-date. Readers of Hindi newspapers, if they go through this book, will be able to take a much more intelligent interest in what they read than at present. Students also should find the book useful.

सोलहवां परिच्छेद

सरकारी नौकरियां

"दुर्भाग्यवश भारत के वर्तमान शासक राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं हैं।...... ये एक तो स्थायी कर्मचारी और दूसरे विदेशी, तथा इनके हाथ में अनियंत्रित शक्ति, ऐसी दशा में देश का सर्वनाश होने में कितना समय लगता है।...... ये प्रबन्ध करने में चतुर हैं, परिश्रमी हैं और नीतिज्ञ भी हैं, पर इस देश का और इनका स्वार्थ एक न होने के कारण उनकी योग्यता हमारे लिये एक प्रकार से घातक होरही है।" — 'आज'

शासन कार्य में सिविल (मुल्की या अ-सैनिक) सर्विस (नौकरी) बहुत व्यापक है। अतः इस परिच्छेद में उसका विशेषतया, तथा अन्य नौकरियों का साधारणतया, विचार किया जाता है।

सिविल सर्विस—सिविल सर्विस के तीन भेद हैं:—(१) भारतीय, (२) प्रान्तिक और (३) 'सबार्डिनेट' या अधीन। प्रान्तिक और अधीन सिविल सर्विसों में प्रान्त विशेष के ही आदमी नियुक्त किये जाते हैं। प्रान्तिक सिविल सर्विस में भरती के लिए कभी तो परीक्षा होती है, और कभी अधीन सिविल सर्विस के आदमी उसमें बदल दिये जाते हैं। प्रान्तिक सिविल सर्विस में प्रान्त का नाम होता है, जैसे मद्रास सिविल सर्विस। इस सर्विस में डिप्टी कलेक्टर एकसट्रा एसिस्टेंट कमिश्नर और मुन्सिफ़ जैसे, तथा अधीन सिविल सर्विस में तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैसे, कर्मचारी रहते हैं।

भारतीय सिविल सर्विस—भारतीय सिविल सर्विस वालों को आई० सी० एस० (I. C. S.) भी कहते हैं। यह 'Indian Civil Service' का संक्षेप है। इस सर्विस के कर्मचारी बम्बई, बंगाल और मद्रास को छोड़कर, अन्य बड़े प्रान्तों के गवर्नर तक हो सकते हैं। सन् १८५३ ई० तक इस सर्विस में प्रवेश करने के लिए कोई नियम न था। अधिकारी जिसे चाहते थे, इसमें भर्ती करते थे। इस वर्ष से इसके लिए इङ्गलैंड में प्रतियोगी परीक्षा होने लगी, जिसमें ब्रिटिश-साम्राज्य में रहने वाला, किसी भी देश जाति या धर्म का ऐसा मनुष्य बैठ सकता था जो नेकचलनी का प्रमाण दे चुका हो। हिन्दुस्थानियों के लिए भी यह परीक्षा बंद नहीं थी, परन्तु आर्थिक व धार्मिक बाधाओं के कारण वे इस सात समुद्र पार होने वाली परीक्षा में, यथेष्ट संख्या में शामिल न हो सके; बिना परीक्षा नामज़द करने के नियम से भी विशेष लाभ न हुआ। अप्रेल सन् १९१७ ई० में भारतीय सिविल सर्विस के कुल १४७८ पदों में केवल १४६ अर्थात् १० फ़ीसदी से भी कम पर भारतवासी नियुक्त थे *।

मांट-फ़ोर्ड सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ कि जिन सरकारी नौकरियों के लिए भरती इंग्लैंड में होती है और जिन में योरोपियन और भारतीय दोनों लिये जाते है उन में सैकड़े पीछे ३३

* एक महाशय का कथन है कि भारतीय सिविल सर्विस न तो भारतीय है (इसमें अधिकांश आदमी योरोपियन होते हैं), न यह सिविल अर्थात् सभ्य या शिष्टाचार युक्त है, और न यह सर्विस (नौकरी) ही है, क्योंकि अनेक कर्मचारी अपने आपको नौकर समझने की अपेक्षा मालिक समझ कर हुकूमत करते हैं।

भारतवासी ही भरती किए जांय और इस में डेढ़ फी सदी वार्षिक बढ़ती तब तक होती रहनी चाहिए जबतक एक सामयिक कमीशन नियत होकर फिर से सब मामले की जांच करे। अब परीक्षा भारतवर्ष में भी होने लगी है *।

असन्तोष—सुधारों के बाद अन्य उच्च पदाधिकारी योरोपियनों के साथ, भारतीय सिविल सर्विस वाले भी बहुत असन्तुष्ट होगये। इसके कई कारण हैं। प्रथम तो कुछ पद अब केवल इस सर्विस वालों के ही लिए सुरक्षित नहीं रहे, वे अन्य भारतवासियों को भी मिलने लग गये हैं; दूसरा कारण यह है कि यहां उत्तरदायी शासन का श्रीगणेश होने के कारण इन लोगों के अधिकारों में कुछ कमी होगयी, एवं इन्हें अब कुछ दशाओं में भारतवासियों के अधीन काम करना पड़ता है। तीसरे, मंहगी आदि के कारण वेतन और, विशेषतया भत्ते आदि की भी शिकायतें हैं।

पबलिक सर्विस कमीशन—इनकी स्थिती की जांच करने, और इनके स्वार्थों की रक्षा के उपाय सुझाने के लिए सरकार ने १९२३ में भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत की नितान्त अवहेलना कर, एक रायल (शाही) कमीशन नियुक्त कर दिया †। यह कमीशन अपने सभापति के नाम से 'ली कमीशन' कहलाया।

---

*परीक्षा में उत्तीर्ण सज्जनों को दो वर्ष विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए इगलैंड जाना होता है। इस के वास्ते सब खर्च सरकार देती है।

† इससे पहिले शाही कमीशन १९१२ में नियत हुआ था। उसकी भी बहुमत रिपोर्ट बहुत असन्तोषप्रद रही थी।

इस पबलिक सरविस (सरकारी नौकरी) कमीशन की कुछ मुख्य मुख्य सिफ़ारशें इस प्रकार थीं:—

जो (हस्तान्तरित) विभाग प्रान्तों में मंत्रियों के अधीन कर दिये गये हैं उनमें नौकरियों के लिए भरती प्रान्तीय सरकार करें, परन्तु भारत मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर सके। नौकरों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद् अपने अपने नियम बनावें। भारतवर्षीय नौकरियों में भारतीय सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, आबपाशी के इंजिनियर और जंगल विभाग के अफ़सरों की नियुक्ति भारत मंत्री द्वारा ही हो और उन पर वही नियंत्रण करे। यही बात राजनैतिक विभाग, कस्टम्स, और ईसाई धर्म प्रचार के सम्बन्ध में हो। शेष भारतीय नौकरियों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्तियां हों। उच्च सरकारी नौकरियों के भारतीयकरण के लिए, भारतीय सिविल सर्विस में प्रति वर्ष फी सैकड़ा ४० योरोपियन, तथा ४० हिन्दुस्थानी भरती किये जांय, और २० प्रान्तिक सर्विस के आदमियों का प्रवेश हो। भारतीय पुलिस सर्विस में फ़ी सैकड़ा ५० योरोपियन ३० भारतीय और २० प्रान्तिक सर्विस के आदमी नियुक्त हों। इस तरह कमीशन के विचार से उक्त दोनों विभागों में क्रमशः १५ और २५ वर्षों में भारतीयों और अंगरेज़ों की संख्या बराबर होगी। आबपाशी, जंगल विभाग, रेलवे, इंजीनियरिंग आदि विभागों में भी भारतीयकरण की सिफ़ारिश की गई है, और इसके लिए फ़ी सैकड़ा ७५ तक हिन्दुस्तानी भरती करने की सूचना है।

यह तो हुई, ऊंची नौकरियों के भारतीयकरण की बात।

इसमें अनेक बाधायें होंगी । सहसा यह आशा नहीं की जा सकती कि सरकार इन सूचनाओं के अनुसार कार्य करके १५ या २५ वर्ष में भी शासन की 'फ़ौलादी चौखट' को ढीला करना चाहेगी । परन्तु, मालुम होता है, कमीशन का मुख्य उद्देश्य तो उच्च योरोपियन नौकरों को खुश करना था। इसके लिए उसने यह शिफ़ारशें की हैं:—

नौकरी की अवधि में ही कोई नयी योजना स्वीकृत होने पर, अगर कोई योरोपियन कार्य करने में असमर्थता प्रकट करे तो वह पेंशन लेकर घर जा सके। पेंशन और छुट्टी के समय का वेतन या बचत का रुपया बिना खर्च, दो शिलिंग फ़ी रुपये के हिसाब से इंगलैंड भेजा जा सके, यद्यपि वैसे विनमय की दर प्रायः १$\frac{1}{3}$ शि० प्रति रुपया रहती है । नौकरी की अवधि में कर्मचारी को चार बार अव्वल दर्जे का उसका, तथा उसकी स्त्री का, और एक वार बच्चों का, भारतवर्ष से इग्लैंड तक का किराया सरकार दे । यदि कोई कर्मचारी बाहर से अंगरेज़ी डाक्टर बुलाये तो उसके आने जाने का खर्च सरकार ही दे। सरकारी पद पर रहते हुए, अगर उस पद पर रहने के कारण ही, कर्मचारी को किसी प्रकार की हानि पहुंचे या हत्या आदि हो तो सरकार उसके कुटुम्ब को पेंशन दे। ऐसे सब खर्च से, भारतवर्ष के खर्च में प्रथम वर्ष लगभग १८ लाख रु० की, और क्रमशः बढ़ते बढ़ते पीछे सवा करोड़ रु० की वार्षिक वृद्धि हो जायगी; इसमें से २२ लाख भारत सरकार और शेष प्रान्तीय सरकारें दें। पांच कमिश्नरों का एक स्थायी कमिशन नियुक्त किया जाय। इनका वेतन हाईकोर्ट के जजों के वेतन से कम न हो। ये कमिश्नर अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन, पेंशन आदि

की दर निश्चित करें, उनकी शिकायतों की जांच करें और उनकी छुट्टी आदि के नियम बनावें।

भारतीय व्यवस्थापक सभा का मत—भारतीय व्यवस्थापक सभा ने कमीशन की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया * तथा निश्चय किया कि इंगलैंड में सिविल सर्विस की भरती बंद की जाय, और सिविल सर्विस वालों पर नियंत्रण, उनकी वेतन, भरती और वर्गीकरण आदि के जो अधिकार इस समय भारत मंत्री को हैं, वे भविष्य में भारतीय व्यवस्थापक सभा के बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार, भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों को हों। भारतवर्ष में एक पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त हो, उसका संगठन और कार्य इस सभा द्वारा निर्वाचित कमेटी की सिफ़ारिशों के अनुसार निश्चित हो।

ब्रिटिश सरकार का निर्णय—ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने भारत सरकार से सहमत होकर, ली कमीशन की प्रधान सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया; ये सिफ़ारिशें गत १ अप्रेल १९२४ ई० से अमल में आ गयीं। ब्रिटिश पार्लिमैंट द्वारा इस आशय का एक क़ानून बन गया है कि जिन नौकरों की नियुक्ति सम्राट अथवा भारतमंत्री द्वारा की जाती है, उनके वेतन, पेंशन, मार्ग व्यय, तथा भत्ते आदि पर भारतीय व्यवस्थापक सभा का नियंत्रण न हो। [भारत सरकार की नौकरियों के कुछ एक पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार भारत

* राज्य परिषद ने उसे स्वीकार कर लिया, परन्तु यह परिषद जनता की प्रतिनिधि नहीं।

सरकार को, और प्रान्तिक सरकारों के हस्तान्तरित विभागों में नियुक्तियों का अधिकार प्रान्तिक सरकारों को, दिया गया है।]

भारतवर्ष के उच्च सरकारी कर्मचारियों (अधिकतर योरोपियनों) को ब्रिटिश सरकार इस प्रकार सिर चढ़ा रही है, यह देखकर, यहां कुछ आदमियों को बड़ा दुख है। वे सोच रहे हैं कि क्या यही क्रमशः उत्तरदायी शासन देने की बात है। दूसरे ऐसे भी सज्जन हैं जो इस निराशा में भी आशा के चिन्ह देख रहे हैं। उनके विचार से ब्रिटिश सरकार द्वारा असन्तोषप्रद कार्य जितने अधिक होंगे, उतना ही भारतवर्ष में जनता का आन्दोलन प्रबल होगा और स्वराज्य निकट आयेगा।

सत्तरहवां परिच्छेद

नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार

नागरिक कौन होता है ?—'नागरिक' शब्द 'प्रजा' का पर्यायवाची है। 'प्रजा' शब्द अधीनता सूचक होने से इस स्वाधीनता के युग में नागरिक शब्द का प्रयोग बढ़ता जाता है। राजनैतिक भाषा में, नागरिक का अभिप्रायः केवल नगर में रहने वाले से ही नहीं है; गावों या कस्बों के रहने वाले भी नागरिक ही कहाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी देश में

वंशागत क्रम से रहता आया हो और राज्य के नियमों का पालन करता हो, उस देश का नागरिक होता है। बाहर के निवासियों को नागरिक बनाने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न देशों के अपने अपने नियम हैं। कुछ स्थानों में एक निर्धारित समय (पांच वर्ष यां कुछ कम ज़्यादह) निवास करने, तथा राज्य नियमों के पालन करने वालों को नागरिक मान लिया जाता है। प्रायः विवाहित स्त्रियां अपने पति के देश की, तथा बच्चे अपने पिता के देश के नागरिक समझे जाते हैं। जब कोई मनुष्य राज्य-नियमों को भंग करता है तो वह अपने अपराध का दंड पाने तक नागरिकता के निर्धारित अधिकारों से वंचित रहता है। कर्तव्यों और अधिकारों का अनिवार्य और घनिष्ट सम्बन्ध है; भारतवर्ष में कर्तव्यों को विशेषत दी जाती है।

नागरिकों के कर्तव्य—* नागरिकों के मुख्य कर्तव्य ये हैं :—१-अपने क्षेत्र में सफ़ाई रखना, स्वस्थ और सदाचारी रहना, पड़ौसियों के जान माल तथा अधिकारों का आदर करना, तथा कोई काम ऐसा न करना जिससे उनकी हानि हो या उन्हें कष्ट पहुंचे। २-स्वावलम्बी होना, ऐसी आजीविका प्राप्त करना जिससे अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह हो सके, और समाज के लिए भार स्वरूप न होना पड़े। ३-अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करते हुए, अपने देश बन्धुओं की उन्नति में सहायक होना। ४-राज्य के नियमों का पालन करना तथा उसकी रक्षा के लिए, प्रसंग उपस्थित

* नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का यहां उल्लेख मात्र किया गया है। हमने इस विषय का स्वतंत्र तथा विस्तृत विवेचन अपने 'नागिरिक शास्त्र' में किया है।

जान माल की क्षति होते देखते हैं तो महान त्याग और कष्ट सहकर भी उसे समुचित शिक्षा देते हैं।] (३) नागरिकों के झगड़ों का न्याय पूर्वक निपटारा करे और दोषी को समुचित दंड दे। (४) देशके अन्दर शान्ति रखे और बाहर के आक्रमणों से रक्षा करे। (५) नागरिकों की शिक्षा, साहित्य, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ चिकित्सा, आमदोरफ्त, सिंचाई, आदि के सम्बन्ध में समुचित उन्नति करता रहे। (६) नागरिकों को राज्य के प्रायः प्रत्येक कार्य के निरीक्षण संशोधन और नियंत्रण करने का अवसर दे।

वर्तमान अवस्था में राज्य अपना कर्तव्य कहां तक पालन करता है, उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, उसमें क्या सुधार होना चाहिये, इस बात पर हमारे नागरिक पाठक भली भांति विचार करें। इस पुस्तक में यत्र तत्र बहुत कुछ विचार सामग्री मिल जायगी। परमात्मा करे कि शीघ्र ही भारतीय शासन (भारतवर्ष का शासन) वास्तव में भारतीय हो। शुभम्।

परिशिष्ट—१

व्यवस्थापक संस्थाओं के नये नियम

[निम्न लिखित नियमों के सम्बन्ध में सरकारी सूचना ३० अक्टूबर, १९२६ के गज़ट में प्रकाशित हुई, उस समय इस पुस्तक का अधिकांश भाग छप चुका था। अतः हम इन का विचार प्रसंगानुसार न कर सके और अब यहां अन्त में करते हैं। —लेखक]

(क) गवर्नर जनरल और गवर्नरों के अधिकार—भारतीय व्यवस्थापक सभा में अब किसी विषय का विचार होने देने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। अभी तक सभापति जिस विषय को ठीक समझता था उस पर विचार होना गवर्नर जनरल नहीं रोक सकता था। अब गवर्नर जनरल किसी प्रस्ताव या प्रस्ताव के अंश का उपस्थित होना, इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि उस विषय के उपस्थित किये जाने से, सार्वजनिक हित को हानि पहुंचेगी अथवा उपस्थित किया जाने वाला विषय भारत सरकार के कार्य क्षेत्र का नहीं है। उसकी अस्वीकृति पर, प्रस्ताव या उसका अंश कार्य क्रम में सम्मिलित न किया जायगा।

इसी प्रकार गवर्नरों को अपने अपने प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद् के सम्बन्ध में अधिकार होगा। वे भी (सभापति के मत

की अवहेलना करके) उपर्युक्त आधार पर, किसी प्रस्ताव या उसके अंश का व्यवस्थापक परिषद् में उपस्थित होना अस्वीकार करके, उसे कार्य क्रम में सम्मिलित किये जाने से, रोक सकेंगे।

सभापति के अधिकारों में यह हस्तक्षेप और ह्रास क्यों? सम्भवतः इस लिए, कि भविष्य में उसके ग़ैर-सरकारी ही होने की आशा है! क्या ग़ैर-सरकारी सभापति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते? अवश्य समझते हैं। सभापति के अधिकार शून्य पद का क्या महत्व रहा? कुछ नहीं।

(ख) मंत्रियों का पद् त्याग—इस विषय में यह व्यवस्था की गयी है कि पद् त्याग करने वाला मंत्री, सभापति की अनुमति से, पद् त्याग करने के कारणों के सम्बन्ध में अपना बयान [प्रश्नोत्तर हो चुकने के बाद, और अन्य कार्यारम्भ होने के पहिले] दे सकें। उसके बयान पर कोई वादानुवाद न होने पायेगा, परन्तु कोई सरकारी सदस्य उस पर सरकारी बयान दे सकेगा।

इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्री अपना पद त्याग करते समय अपने विरोधी, जनता के निर्वाचित, सदस्यों की मन चाही निन्दा कर सकता है। ग़ैर-सरकारी सदस्यों को उसका खंडन करने का अवसर नहीं मिलेगा। परन्तु यदि उक्त मंत्री, सरकार के विरुद्ध कोई उद्गार प्रकट करे, तो अधिकारियों को उसका उत्तर देने, और हां, उसके सम्बन्ध में अंतिम शब्द कहने का अधिकार होगा।

(ग) मंत्रियों को अभय दान—प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों में अब सभापति किसी सदस्य को उस समय तक,

मंत्रियों पर अविश्वास या उन की निन्दा का प्रस्ताव, उपस्थित करने की अनुमति नहीं देसकेगा, जब तक सदस्यों की एक बड़ी संख्या खड़ी होकर अपना उसके (प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति देने के) पक्ष में होना सूचित न करदे। सदस्यों की उपर्युक्त संख्या भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी है—संयुक्त प्रान्त में ४०, मद्रास में ४२, बम्बई में ३६, बंगाल में ४६, पंजाब में ३०, बर्मा में ३४, मध्यप्रान्त में २२, विहार उड़ीसा में ३४, और आसाम में १६ है।

प्रस्ताव उपस्थित किये जाने, और प्रस्तावक द्वारा उसके सम्बन्ध में विविध बातों का ज्ञान होने, से पूर्व ही उपर्युक्त संख्या के सदस्यों के, उस के उपस्थित किये जाने की अनुमति देने के लिये, खड़े होंने की वैसे भी सम्भावना कम थी। व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों की वर्तमान दलबन्दी की दशा में तो यह अत्यन्त ही कठिन है। निन्दा या अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किये जाने में उपर्युक्त बाधा लगा देने से मंत्रियों को तो मानों अभय दान मिल गया। वह अब सरकार की हां में हां मिलाकर जनता के हितों की नितांत अवहेलना कर सकते हैं। फिर हस्तान्तरित विषयों और उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ रहा ?

स्मरण रहे कि उपर्युक्त नियमों की रचना में यहां की व्यवस्थापक संस्थाओं की स्वीकृति तो क्या, सम्मति भी नहीं ली गयी। भारत मंत्री की मंजूरी से भारत सरकार सुधारों को कार्यान्वित करने के नियमों में मन चाहा सुधार (या बिगाड़ ?) कर देती है, फिर भी अधिकारी भारतवासियों को समय समय पर सहयोग का परामर्श देने का दुस्साहस करते रहते हैं।

परिशिष्ट—२

कुछ अधिकारियों का वार्षिक वेतन

गवर्नर जनरल	२,५६,०००	रु०
,, की कौंसिल* के सदस्य, प्रत्येक	८०,०००	,,
कमांडरन चीफ़	१,०८,०००	,,
बंगाल, बम्बई, मद्रास, और संयुक्त प्रान्त के गवर्नर, प्रत्येक	१,२८,०००	,,
बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त की कौंसिलों के सदस्य, प्रत्येक	६४,०००	,,
पंजाब तथा बिहार-उड़ीसा के गवर्नर, प्रत्येक ...	१,०० ०००	,,
,, ,, की कौंसिलों के सदस्य, प्रत्येक	६०,०००	,,
मध्य प्रान्त का गवर्नर	७२,०००	,,
,, की कौंसिल के सदस्य, प्रत्येक ...	४८,०००	,,
आसाम का गवर्नर	६६,०००	,,
,, की कौंसिल के सदस्य प्रत्येक ...	४२,०००	,,

* इस पृष्ठ में 'कौंसिल' से प्रवन्धकारिणी कौंसिल का अभिप्राय है।

—*—

परिशिष्ट—३

ब्रिटिश भारत में शिक्षा का प्रचार

१९२३—१९२४

शिक्षा संस्थायें	संस्थाओं की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
आर्ट कालिज	१७०	५७,३६०
प्रोफ़ेशनल कालिज *	६७	१४,९१३
हाई स्कूल	२,४२४	६,७८,३९४
मिडिल स्कूल	६,९८०	७,५०, ३५८
प्राइमरी स्कूल	१,६८,०१३	६९,५५,६३४
स्पेशल स्कूल	६,६१७	२,१७,३४४
प्राइवेट स्कूल	३४,८६०	६,४२,६५१
योग	२,१९, १३१	९३, १६, ६५४

* इनमें चिकित्सा, क़ानून, कृषि, इञ्जीन्यरिंग, पशु चिकित्सा तथा माध्यमिक शिक्षा देने वाले कालिज सम्मिलित हैं।

	पुरुष	स्त्री	योग
कुल जन संख्या	१,२,६४,१९,१६४	१२,०१,८७,५०५	२४,७१,०७,३४
पढ़ने वालों का जनता से अनुपात	६·१५ फ़ीसदी	१·२६ फ़ीसदी	३·७७ फ़ीसदी
पढ़े लिखों का जनता से अनुपात*	१३·९ ,,	३·१ ,,	८·२ ,,

* इस हिसाब में, कुल जन संख्या में से, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या निकाल दी गयी है।

भारतवर्ष के विश्व विद्यालय

संख्या	विश्व विद्यालय	स्थापना का समय	अधिकार क्षेत्र
१	कलकत्ता	१८५७	बंगाल, आसाम
२	मदरास	१८५७	मदरास प्रांत, कुर्ग
३	बम्बई	१८५७	बम्बई प्रान्त
४	पंजाब	१८८२	पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, ब्रिटिश बिलोचिस्तान
५	इलाहबाद	१८८७	संयुक्त प्रान्त, अजमेर मेरवाड़ा
६	बनारस, हिंदू	१९१५	बनारस ज़िला
७	मैसूर	१९१६	मैसूर रियासत
८	पटना	१९१७	बिहार उड़ीसा
९	उसमानिया	१९१८	हैदराबाद
१०	ढाका	१९२०	पांच मील की त्रिज्या (Radius) में
११	अलीगढ़, मुसलिम	१९२०	१० ,, ,, ,,
१२	रंगून	१९२०	रंगून और उसके पास का क्षेत्र
१३	लखनऊ	१९२०	लखनऊ
१४	देहली	१९२२	देहली
१५	नागपुर	१९२३	मध्य प्रान्त
१६	आन्ध्र	१९२६	तेलगु ज़िले
१७	आगरा	१९२६	आगरा

प्रश्न पत्र

प्रेम महा विद्यालय; वृन्दावन

कक्षा ७

परिक्षक—श्री० दयाशंकर जी दुबे. एम. ए. ; सन् १९२६ ई०

समय ३ घंटे] नागरिक धर्म [पूर्णांक ५०

सूचना—कोई भी पांच प्रश्नों का उत्तर दीजिये। सब प्रश्नों के अंक बराबर हैं।

१. अंगरेजी शासन पद्धति में राजा को क्या स्थान है? क्या इंगलैंड का राजा अपनी इच्छानुसार राज काज सम्बन्धी कुछ काम कर सकता है?

२. अंगरेज़ी मंत्री मंडल पार्लिमेंट के प्रति किस प्रकार से उत्तरदायी है? जब पार्लिमेंट और मंत्री मंडल में किसी विषय पर मत भेद होता है, तो क्या किया जाता है?

३. सुधार क़ानून के अनुसार भारत मंत्री को कौनसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं? उसकी कौंसिल की क्या उपयोगिता है?

४. स्वराज्य शीघ्र न देने के सम्बन्ध में जो दलीलें पेश की जाती हैं, उनका खंडन कीजिये।

५. भारत सरकार और रक्षित राज्यों का सम्बन्ध समझाइये। भारत सरकार किन किन परिस्थितियों में भारतीय नरेश को राजगद्दी से उतार सकती है?

६. युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अपने कार्य करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ये कठिनाइयां किस तरह से दूर की जा सकती हैं?

७. युक्त प्रान्त में पंचायतों की दशा का दिग्दर्शन कराइये। ये अधिक उपयोगी कैसे बनायी जा सकती हैं?

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा (१९२५)

शासन पद्धति; समय ३ घण्टे, पूर्णाङ्क १००

परीक्षक–श्री० भगवानदास केला.

नोट—कोई से आठ प्रश्नों का उत्तर दो। सबके अङ्क बराबर हैं।

१. पिछले पब्लिक सर्विस (नौकरी) कमीशन की रिपोर्ट का हाल बताओ और उस पर अपना मत प्रकट करो।

२. उत्तरदायी शासन किसे कहते हैं, और उस पद्धति की मुख्य बातें क्या क्या होती हैं।

३. प्रान्तिक व्यवस्थापक-परिषदों के लिये निर्वाचकों की योग्यता का आधार क्या रखा गया है? किसी एक प्रान्त का उदाहरण देकर बताओ कि वहाँ कैसी योग्यता वाला होने से, कोई व्यक्ति मताधिकारी माना जाता है।

४. भारतीय व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) के गत तीन वर्ष के मुख्य मुख्य कामों का उल्लेख करो।

५. किसी एक देशी रियासत की शासन-पद्धति का संक्षिप्त परिचय दो और उसकी प्रजा की, ब्रिटिश भारत की प्रजा से तुलना करो, कौन किस दृष्टि से अधिक उन्नत है।

६. शासन, व्यवस्था, और न्याय का क्या क्या महत्व तथा परस्पर सबन्ध है।

७. निर्वाचन-प्रथा और राजनैतिक दलबन्दी के गुण दोष बताओ।

८. सेना और पुलिस का क्या आदर्श होना चाहिये? भारतवर्ष में इनकी स्थिति कैसी है?

९. भारतवर्ष में वर्तमान शासन पद्धति को बदल डालने का प्रयत्न हो रहा है, फिर इस विषय के अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है?

१०. सरकारी आय-व्यय या संयुक्त-प्रान्तीय-ग्राम पंचायत एक्ट का संक्षिप्त परिचय दो।

पारिभाषिक शब्द

अ

अकाल — Famine

अखिल भारतवर्षीय नौकरियां — All India Services

अचल — Fixed

अछूत — Untouchable

अटार्नी — Attorney

अतिक्रम — Trespass

अतिरिक्त सदस्य — Additional Member

अत्याचारी — Despotic

अदालत — Court

,,— खफ़ीफ़ा — Small Cause Court

,,— दीवानी — Civil court

,, दौरा— — Sessions Court

,, फ़ौजदारी— — Criminal Court

अदालतों का लेखा — Returns of courts

अबाध — Free

,,—व्यापार — Free Trade

अधम सीमा — Minimum

अधिकतम — Maximum

अधिकार — Right. Authority

,, जन्म सिद्ध — — Birth-right

,,—निमज्जन — Centralisation

,,—पत्र — Charter

,,—विभाजन — Decentralisation

,,—सीमा — Jurisdiction

अधिकारी — Official

,,—वर्ग — Bureaucracy

अधिकृति — Occupation

अधिपति — King

अधिवेशन स्थगित करना	Adjourn a meeting
अधीन	Subordinate
अध्यक्ष	Chairman. President
अनाथालय	Orphanage
अनिवार्य	Compulsary
,,—सैनिक सेवा	Conscription
अनुदार	Conservative
अनुपात	Proportion. Ratio
अनुभव	Experience
अनुमति	Permission
अनुराग	Interest
अनुसन्धान	Research
अन्तर्राष्ट्रीय	International
अन्योन्य	Reciprocal
अपराध	Crime. Offence.
अपराधी	Offender
अपवाद	Exception
'अपील'	Appeal
'अपीलेट'	Appellate
'अफ़सर'	Officer
अ-ब्राह्मण	Non-Brahman
अभियुक्त	Accused
अमानतदार	Trustee
अराजक	Anarchist
अराजकता	Anarchy.
अर्थ शास्त्र	Economics
अर्थ शास्त्री	Economist
'अलाउंस'	Allowance
अल्पकालिक	Temporary
अल्प मत	Minority
अल्प वयस्क	Minor
अल्प वयस्कता	Minority
अवकाश-प्राप्त	Retired
अवधि	Time limit
अवयव	Organ
अवस्था	Stage
असभ्य	Uncivilised
असमानता	Inequality
असहयोग	Non-co-operation.
असाधारण	Extraordinary
'असेसर'	Assessor.
अवज्ञा	Disobedience
,, सविनय-	Civil Disobedience
अवैध	Unconstitutional
असैनिक	Civil
असंगत	Inconsistent

अस्त्र विधान Arms act
अस्थायी Temporary
अहिन्सा Non-violence
अहिन्सात्मक Non-violent

आ

'आई. एम. एस.' I. M. S. (Indian Medical Service.)
आकाश सेना Air force
आज़माइश Experiment
आत्म निर्णय Self-determination.
आत्म-समर्पण Surrender
आदत Habit
आदर Respect
आदेश Mandate
„ - युक्त Mandatory
आधार Basis
आन्तरिक प्रबन्ध Lnternal management.
आन्दोलन Movement
„ वैध-Constitutional. Movement.
आपत्ति करना Object
आबकारी Excise
आबपाशी Irrigation
आबादी Population
आमदरफ्त Communication. Traffic.
„ -के साधन Means of Communication
आय Income. Returns. Revenue.
„ -कर Income Tax.
„ -की मद्दें Heads of Income. Heads of Revenue
आय व्यय अनुमान पत्र Budget,Budget estimate
आयात Imports.
आयात निर्यात कर Customs
'आरिजिनल' Original
'आर्डिनैन्स' Ordinance.
आर्थिक Economic
आवारा Vagabond.
आविष्कार Invention.
आसामी Tenant.
आज्ञा Order.

इ

इकाई Unit.
इत्तिला Summon.
इंगलैंड की सरकार Home Govt.

इंगलैंड में होने वाला खर्च Home charges.
इंडियन सिविल सर्विस Indian civil service.
इंडिया कौंसिल India Council.
इन्स्पेक्टर जनरल Inspector general.
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट Improvement trust.

उ

उच्च Senior.
उज्र Protest.
उठा देना Abolish.
उत्तरदायित्व Responsibility.
उत्तरदायी Responsible.
उत्पादकता Returns.
उदार Liberal.
उदासीन Neutral, Indifferent.
उदासीनता Neutrality. Indifference.
उदाहरण Example, Instance.
उद्देश Object.
उद्धार Emancipation.
„ दासता से— Slave Emancipation.
उद्योग Industry.
उन्नति Development. Improvement.
उपक्रमणिका Introduction
उपनियम Bye-law. Regulation.
उपनिवेश Colony.
उपसभापति Vice-chairman Vice-president.
उपयोगिता Utility
उपसंहार Conclusion
उपस्थित करना (मसविदा) Introduction
उपाधि Title. Degree
उपाध्यक्ष Vice-chairman Vice-president
उपाय Scheme
उम्मेदवार Candidate
उम्मेदवारी Candidature
„—का प्रस्तावपत्र Nomination paper

ऊ

ऊंचा Superior

ऋ

ऋण Debt, Loan
,, राष्ट्रीय- National debt
,, सरकारी- Public debt
,, साधारण- Ordinary debt

ए

एकाधिकार Monoply
एकांत की क़ैद Solitary confinement
'एक्सचेञ्ज' Exchange
'एजन्ट' Agent
'एम. एल. ए.' M. L. A. (Member Legislative Assembly)
'एम. एल. सी.' M. L C. (Member Legislative Council)
'एम. पी.' M. P. (Member of Parliament)

ऐ

ऐतराज़ करना Object

ओ

औपनिवेशिक Colonial
औसत Average

अं

अंक Figure, Statistics
अंगरेज़ी British, English
अंगीकृत प्रजा Naturalised subject

क

'कमीशन' Commission.
'कमिश्नरी' Division. Commissionership.
'कमेटी' Committee.
'कम्पनी' Company
कर Tax. Duty. Rate.
,, -दाता Rate payer.
,, -निर्धारण Taxation
,, प्रत्यक्ष- Direct tax.
,, परोक्ष- Indirect tax.
,, वर्द्धमान- Progressive tax
,, मनुष्य पर- Poll tax.
,, -लगाना Taxation
,, -वसूल करने का खर्च Direct demands on revenue

,, हैसियत–Tax on circumstances and property.
कर्तव्य Duty.
कलेक्टर Collector
काग़ज़ात Record
काग़ज़ी मुद्रा Paper currency
,, ,, — कोष Paper currency. reserve
क़ानून Law. Act.
,, अस्थायी – Ordinance
,, –का मसविदा Bill.
,, –विज्ञान Jurisprudence
क़ानूनी Legal.
'कांग्रेस' Congress.
कांजी हौस Kine house.
'कापी राइट' Copy right
कार्यकारिणी सभा Executive council
'कालिज' College
काश्तकार Land holder. Tenant.
,, मौरूसी— Hereditary tenant
,, शिकमी— Sub–tenant
काश्तकारी कानून Tenancy act
किफायत Thrift
किफ़ायत कमेटी Retrenchment committee
किसान Tenant, Agriculturist. Ryot
कुप्रबन्ध Maladministration
कुर्की Attachment.
कुलीन राज्य Aristocracy
कूटनीतिक Diplomatic
कृषक Agriculturist
कृषि Agriculturist
केन्द्रीकरण Centralisation
केन्द्रीभूत Centralised
केन्द्रीय Central
,, –विषय Central subject
,, –सरकार Central govt.
क़ैद Imprisonment
,, सादी– Simple imprisonment
,, सख़्त– Rigorous Imprisonment
क़ैदियों का अफ़सर Convict Officer
क़ैदी Prisoner

„ राजनैतिक — Political Prisoners
'कोरम' Quoram
'कोर्ट फी' Court fee
कोष Treasury, Reserve, Finance
कोषाध्यक्ष Treasurer
'कौंसिल' Council
„ प्रिवी — Privy —
कौंसिल-युक्त गवर्नर Governor-in-Council
क्रम Order, System
क्रान्ति Revolution

ख

ख़ज़ाना Treasury
ख़र्च Expenditure Expense
ख़िराज Tribute
ख़ुफ़िया विभाग C. I. D. (Criminal Investigation Dept.)
खेती Agriculture
खोज Discovery

ग

गज़ट Gazette
गण-तंत्र Republic
ग़दर Mutiny
'गवर्नर' Governor
„ कौंसिल युक्त-Governor in Council
„ सपरिषद्— „ „
„—जनरल Governor General
गृह-कर House-Tax
गृह-युद्ध Civil war
गृह-सचिव Home Member
गुंजायश Scope
ग़ुलाम Slave
ग़ुलामी Slavery
ग़ैर-मुस्लिम Non-Mohammadon
ग़ैर-सरकारी Non-official
गोद लेना Adoption
गौण Indirect
ग्राम Village
„ - समुदाय Village Community
ग्राम्य क्षेत्र Rural area

घ

घुसना, बिना अधिकार Tres-pass

घूस	Bribery
घोषणा	Proclamation. Announcement

च

चरित्र	Character
चाल	Move
चिकित्सा सम्बन्धी	Medical
चुंगी	Octroy
चुनाव	Election
चुनौती देना	Challenge
चेतन	Organic
चेलेंज करना	Challenge
चौकी	Outpost

छ

छावनी	Cantonement
छोटा लाट	Governor
छोटे अपराधी	Juvenile offenders

ज

जज	Judge
,, दौरा –	Session Judge
जटिल	Complex
जनता	People
जनरल	General
जनसंख्या	Population
जन्म भूमि	Motherland
,, स्थान	Birth-place
ज़प्त करना	Proscribe
ज़मानत	Security
ज़मींदार	Land-lord
जल पर्यटन	Navigation
जल वायु	Climate
जल सेना	Navy
,, ,,– विभाग	Admiralty
जहाज़ी विद्या	Navigation
जागृति	Awakening
जाति	People. Race.
,, (बिरादरी)	Community. Caste.
जातिगत	Communal
जातीय	Racial
ज़ाब्ता दीवानी	Civil Procedure Code
जाब्ताफौजदारी	Crimininal Procedure Code
जायज	Lawful
ज़िम्मेदारी	Responsibilty
ज़िला	Distric t
,,—जज	District Judge
,,—जेल	,, Jail

,,—बोर्ड ,, Board
,,—मेजिस्ट्रेट,,Magistrate
ज़िले का शासन ,, Administration
'जुडीशल कमिश्नर' Judicial Commissionar
जुर्माना Fine
'जूरी' Jury
'जेल' Jail
,, –के पहरुआ Jail warders
,, सेन्ट्रल — Central jail
जोखम Risk
जंगल Forest
जंगी लाट Commander-in-Chief

झ

झूठे नाम से नाम करना Personation
झण्डा Flag

ट

टकसाल Mint
टिकट Stamp
'टेरिटोरियल' Territorial
'ट्रस्ट' Trust

ड

डाकखाना Post Office
डिगरी जारी कराना Execute a decree
'डिप्टी' (सहायक) Deputy
'डिप्टी कमिश्नर' Deputy Commissionor.

त

तटस्थ Neutral.
तबादला Transfer.
तसदीक़ करना Certify.
ताजीरात हिन्द Indian Penal Code.
तात्विक Fundamental.
तामील करना Execute.
तुलनात्मक Comparative.
तोपखाना Artillary.
त्याग Sacrifice.

द

दत्तक लेना Adoption.
दमन Repression.
दरिद्रालय Poor-house.
दर्ख़ास्त Application.
दर्जा Grade.
दल Party.
दलबंदी नीति Party-politics,

दशा State.
दस्तावेज Doccument
दागियों का रंजिस्टर Register of bad characters
दाय भाग Inheritance
दास Slave
दासत्व (दासता) Slavery
,,— से मुक्ति Emancipation
दिवाला Insolvency Bankruptcy
दिवालिया Insolvent Bankrupt
दीवानी Civil
,,— कार्य विधान Civil-procedure code
दुर्भिक्ष Famine
देनदारी Liability
देश Country
,,—निकाला Transportation
,,—भक्त Patriot
,,—भक्ति Patriotism
,,—रक्षा National defence
,,—सम्बन्धी Territorial
देशी माल पर कर Excise
देशीयकरण Naturalisation
देशी रियासतें Native states
देहाती Rural
दोषी; } Convict
दोषी ठहराना }
दंड Penalty, Punishment, Sentence
,,—कानून Penal law
,, प्राण–Death sentence
,,—विधान Penal code
द्वैध शासन Dyarchy
,, ,,—पद्धति ,,

ध

धन Finance. Wealth
,,—सम्बन्धी Financial
धरोहर Trust
धर्म (कर्तव्य) Duty
धर्म (मत,मजहव) Religion
धर्म सम्बन्धी विभाग Ecclesiastical dept.

न

नकशा Returns
नगर City

नगर सम्बन्धी Civic
नज़रबन्दी Internment
नज़र सानी Review
नज़राना Tribute
नरेन्द्र मण्डल Chamber of Princes
नरेश Ruler. Chief. King
नागरिक Citizen
नागरिकता Citizenship
नागरिक शास्त्र Civics
नाबालिग़ Minor
नाबालिगी Minority
नामज़द Nominated
नामद्ज़गी Nomination
नाम मात्र का Nominal
नाविक Naval
निगरानी Revision
नित्य कर्म Routine
नियम. Regulation Rule
,, उप — Regulation
,, सरकारी अस्थायी– Ordinance
नियमबद्धता Discipline
नियम संग्रह Code
नियोजन Nomination
नियोजित Nominated

नियंत्रण Control
निरीक्षण Inspection. Observation. Superintendence. Supervision.
निर्णय Judgment
निर्धनता Poverty
निर्धारित Fixed
निर्माण कार्य, सरकारी Public works
निर्यात Export
निर्वाचक Elector.
,, —समूह Electorate
,, जातिगत–Communal ,,
,, साधारण – General ,,
,, – संघ Constituency
,, – विशेष Special ,,
निर्वाचकों की सूची Electoral roll
निर्वाचन Election
,,—अधिकार देना Enfranchise.
,,—अधिकार छीन लेना Disenfranchise.
,,—अफसर Returning Officer.
,, देशव्यापी— General Election.

,,—पत्र Ballot paper.
,, परोक्ष— Indirect election.
,, पूरक—Bye-Election.
,, प्रत्यक्ष— Direct Election.
,,—क्षेत्र Constituency.
निवासी Inhabitant. Resident.
निश्शुल्क Free.
निषेध Veto
निषेधात्मक Negative
नीति Policy
नोटिस Notice
नोटीफाइड एरिया Notified area.
नौकरशाही Bureaucracy.
नौकरियां Services.
,, अखिल भारतवर्षीय-All India services.
नौसिखया Apprentice.
न्याय Justice. Equity.
,,—कर्त्ता वर्ग Judiciary.
,,—विभाग Judicial dept.
,,—सम्बन्धी Judicial.
न्यायाधीश Judge.
न्यायालय Court.
न्यायोचित Legitimate.
न्याय्य Lawful.

प

पट्टा Lease.
पट्टीदारी Tenure. Land tenure.
पताका Flag.
पद के कारण Ex-officio.
पद्धति System.
परदेश गमन Emigration, Migration.
परदेश वासी Emigrant, Migrant.
परदेश से आकर रहना Immigration.
परदेशी Immigrant, Foreign.
परम सीमा Maximum.
परस्पर Reciprocal.
परामर्श दातृ सभा Advisory council.
परिभाषा Definition.
परिमित Limited.
परिवर्तन काल Transitional period.

परिवर्तन विरोधी Conservative.
परिशिष्ट Appendix, Supplement.
परिषद् Council.
,, व्यवस्थापक— Legislative.—
,, राज्य-Council of State.
परीक्षक Examiner.
,, लेखा — Auditor.
परीक्षा Examination. Trial
परीक्षा की अवस्था Experimental stage.
परोक्ष Indirect.
प्रर्चा Ballot.
पशुशाला Kine house.
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त North Western Frontier Provinces.
पहुंच Acknowledgment.
पक्ष, दोनों Parties (to a suit.)
पत्र व्यवहार Correspondence.
पागलपन Lunacy
पारस्परिक Mutual
'पार्लिमेंट' Parliament
,,—का विसर्जन Dissolution of Parliament
,,—की दोनों सभायें Both Houses of Parliament
,, सम्बंधी Parliamentary
पासपोर्ट Passport
पुरातन प्रेमी Conservative
'पुलिस' Police
,, सशस्त्र — Armed —
पूरक Supplementary
पूंजी Capital
पृथक्करण Allienation Seperation
पेचीदा Complex
'पेटन्ट' Patent
'पेन्शन' Pension
पेशकरना (मसविदा) Introduction
पेशा Occupation Profession
पैदल सेना Infantry
पैमाइश Survey
पैत्रिक Hereditary
'पोर्ट ट्रस्ट' Port trust
'पोलिटीकल एजन्ट' Political Agent

पंच Jury
पंचायती राज्य Common-wealth
प्रजा Subjects. Ryot
,, अनन्य–Natural born–
,, अङ्गीकृत–Naturalised–
,, — तंत्र Democracy
,, — प्रिय राज्य Popular Government
,,—वादी Democrat
प्रणाली System
प्रतिक्रिया Reaction
प्रतिनिधि Representative. Delegate
,,—पत्र Proxy
,,—सभा (अङ्गरेजी) House of Commons
प्रतिनिधित्व Representa-tion, Deligation
प्रतिनिधी भेजना Represent
प्रतियोगिता Competition
प्रतिवादी Defendent
प्रत्यक्ष Direct
प्रत्यागमन Repatriation
प्रधान Head
,,–सेनापति Commander-in-chief
प्रबन्धक अफसर Executive officer
,,—वर्ग Executive, the–
प्रबन्धकारिणी सभा Exe-cutive council
प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य Execu-tive duties
प्रभाव Influence
प्रभुता (प्रभुत्व) Sovereign-ty
प्रमाण पत्र Certificate
प्रवास Emigration
प्रवासी Emigrant
प्रवेशिका Primer
प्रवृत्ति Tendency
प्रश्न Question
,, को रोकना Disallow a question
प्रस्ताव Proposal, Reso-lution
प्रस्तावन Initiative. Move
प्रस्तावना Introduction
प्राकृतिक Natura
प्राकथन Fore-word.

प्राण दंड Capital punishment.
प्रान्त Province.
,, छोटा — Minor —
,, पश्चिमोत्तर सीमा — North Western Frontier —
,, बड़ा — Major. —
,, मध्य — Central provinces.
प्रान्तिक (प्रान्तीय) Provincial, Local.
,, —देनी Provincial. contribution.
,, —सरकार Provincial Govt. Local Govt.
,, —स्वराज्य Provincial autonomy.
प्राप्ति स्वीकार Acknowledgment.
प्रारम्भिक Elementary, Introductory, Original, Preliminary.
प्रार्थना पत्र Application.
प्रांवेशिक Introductory.
प्रीवी कौंसिल Privy Council.

फ

फांसी Capital punishment.
फ़ी सैकड़ा Percentage.
फ़ैसला Judgment.
फ़ौज Military.
फ़ौजदारी Criminal.
,, —अदालत Criminal court.
,, —कार्य बिधान Criminal procedure code.
फौजी Military.
,, —क़ानून Martial law.

ब

बचाव Defence.
बजट Budget.
बढ़िया Superior.
बदला Retalliation
बयान Statement.
वलि Martyr.
वलिदान Sacrifice.
बरी होना Discharge.
बहिष्कार Boycott.

बहस — Debate.
बहुमत — Majority.
बादशाह — King. Crown.
बालिग़ — Adult.
बाहरी मामले — Foreign affairs.
बीमा — Insurance.
बेदखली — Ejectment.
बुलावा — Summon.
'बैलट' — Ballot.
बैठक — Session.
'बोर्ड' — Board.
,, जिला — — District board.
बंदोबस्त — Settlement.
बंशागत — Hereditary.
बंश परम्परा — Heredity.
ब्रिटिश — British.
,,—कोष — Br. treasury
ब्रिटिश संयुक्त राज्य — United Kingdom (of Great Britain & Ireland)

भ

भत्ता — Allowance
भर्ती — Recruitment
भाग — Division
भारत (भारतवर्ष) — India
,,—मंत्री — Secretary of state for India
,,—रक्षा कानून — Defence of India Act
,,—सरकार — Government of India
भारतीय — Indian
,,— जल सेना — Royal Indian Marine
,,—राज्यसेना — Indian States Troops
,,—व्यवस्थापक सभा — Indian Legislative Assembly
,,—सिविल सर्विस — Indian Civil Service
भारतीयकरण — Indianisation
भारतीयता — Indianism
भाषण स्वातंत्र्य — Freedom of Speech
भूमि — Land
,,—कर — Land-tax
भूमिका — Introduction
भूमिया — Land holder

भौतिकवाद Materialism
भंग करना Dissolve
भण्डार Store
भ्रातृत्व, भ्रातभाव } Brotherhood
,, प्राणी मात्र का–,, of beings
,, मनुष्यमात्रका—,, of men

म

मकान का किराया House rent
मज़दूर Labourer
,, दल Labour party
मज़दूरी Labour
मज़हब Religion
मत (राय) Vote
,,–दाता Voter
,,—देना Poll. vote.
,,—देना, पर्चों से Voting by ballot
,, देने का स्थान Polling station
मताधिकार Franchise. Sufferage
,, सार्वजनिक—Universal sufferage
मताभिलाषी स्त्रियां Suffer-egettes
मद्द Head
मध्य प्रान्त Central provinces
मध्यस्थता Arbitration
मनुष्य गणना Census
मवेशी खाना Cattle-house Kine-house
मसविदा (कानून का) Bill
महसुल Cess
महाविद्यालय College
महासभा Congress
मातृ भूमि Motherland Nativeland
मान Standard
माप Survey
माल Property
,, (मालगुजारी) Revenue
मितव्ययिता Thrift
मित्र राष्ट Allies
मियाद Time-limit
'मिलिशिया' Militia
मुकद्दमा Case
मुकद्दमेबाज़ी Litigation
मुक्ति Redemption
मुखिया Headman
मुख्य Principal
मुद्दई Plaintiff

मुद्रा Currency
,,—ढलाई लाभ कोष Gold standard reserve
मुद्रण Printing
मुद्रणाधिकार Copy-right
मूल Origin.
मूल तत्व सम्बन्धी Fundamental.
मूलधन Capital, Principal.
मूल्य Price.
'मेम्बर' Member.
'मेजिष्ट्रेट' magistrate.
,, 'आनरेरी'—Honourary Magistrate.
'मेयर' Mayor.
मौरूसी Hereditary.
मौलिक Original.
मंडल Chamber, Federation
,, व्यवस्थापक—Lagislature
,, नरेन्द्र— Chamber of Princes
मंज़िल Stage
मन्तव्य, सरकारी Resolution of Government
मन्त्री Minister
,, — दल Ministry
,, प्रधान– Prime minister
,, भारत– Secretary of state for India
मन्सूख करना Abolish
मांडलिक Federal
'म्यूनिसिपल' Municipal
म्यूनिसैपलिटी Municipality

य

यात्रानुमति, सरकारी Passport
युद्ध War
'यूनियन कमेटी' Union Committee
योग्यता Qualification
योजना Scheme
,, सुधार — Reform scheme
योनि Sex

र

रचनात्मक Constructive
रद्दकरना Nagative, Veto
रय्यत Ryot
रसूम Court fee

रहन सहन के खर्च की वृद्धि Rise in the cost of living
रक्षा Defence. Protection
रक्षित Reserved
,, — विषय Reserved subject
राजकुमार Prince
राजतिलक Coronation
राज तंत्र Monarchy
,, नियम बद्ध — Limited (or Constitutional.)–
राजदूत Ambessador
राज द्रोह Sedition,
राजधानी Capital
राजनीति Politics
राजनीतिज्ञ Politician. Statesman
राजनैतिक Political. Diplomatic
राज विद्रोह Rebellion
राजस्व Finance
राजा Monarch
राज्य State
,, कुलीन— Aristocracy
,,–कोष State (or govt.) Treasury
,, – क्रान्ति Rebellion
,, – परिषद् Council of State
राजा Crown. King
राज़ीनामा Compromise
रानी Queen
राष्ट्र Nation
,, — निर्माण Nation building
,, मित्र — Allies
,, — सभा Congress
,,–संघ League of Nations
राष्ट्रीकरण Nationalisation
राष्ट्रीय National
,, — आन्दोलन National movement
राष्ट्रीयता Nationality
'रिज़र्व' Reserve
'रिपब्लिक' Republic
रियायत Concession
रियायती Preferrential
,,– छुट्टी Privilege leave
रियासत State. Native state
रिवाज Custom

रिश्वत Bribery
रिसाला Cavalry
रीति रस्म Custom
रुकावट Restriction
'रेग्यूलेशन' Regulation
'रेज़ीडेन्ट' Resident
'रेजीडेन्सी' Residency
'रेट पेयर' Rate payer
रोक Reservation

ल

लगान Rent
लार्डसभा House of Lords
लिखित कानूनLex Scripta
लिमिटेड Limited
लेखन और भाषण Press & Platform
लेखा परीक्षक Auditor
लैसेन्स License

व

वकील Consul
वक्तव्य Statement
वर्गीकरण Classification
वाइसराय Viceroy
वाक्य Sentence
वाक्यांश Clause
वाद्‌विवाद Discussion
वादी Plaintiff
„ — प्रतिवादी Parties (to a suit)
वाणिज्य Commerce
„ — सभा Chamber of-
'वोट' Vote.
'वोटर' Voter.
व्यक्ति Individual. Person
„ — गत Private.
„ — वाद Individualism.
„ — वादी Individualistic.
व्यय Expenditure, Expense.
व्यवस्था Legislation.
व्यवस्थापक परिषद् Legislative Council.
व्यवस्थापक संस्था Lagislative body.
व्यवहार Application. Ussage.
व्यापक General.
व्यापार Traffic. Trade. Commerce.
„ मुक्तद्वार — Free trade,

ब्योरा Detail.

श

शक्ति Power.
,, — साम्य Balance of Power
शहरी Urban.
शहादत Evidence.
शहीद Martyr.
शागिर्द Apprentice.
शान्ति Peace. Tranquility.
शासक Administrator. Ruler.
शासन Administration.
,, — आदेश Mandate
,, भारतीय — Indian administration
,, ,,— व्यवस्था Constitution
शास्त्र Science.
शाही Royal.
शिक्षा Education.
,, अनिवार्य — Compulsory —.
,, उच्च — High —
,, धार्मिक — Religious—
,, निश्शुल्क — Free —.
,, नैतिक — Moral —.
,, प्राइमरी — Primary —
,, प्रारम्भिक—Elementary.
,, माध्यमिक — Secondary —
,, मानसिक — Mental —.
,, शारिरिक — Physical—
,, शिल्प — Technical —.

स

सदर आला Sub-judge
,, मुकाम Head quarter
सदस्य Member
सदस्यता Membership
सनद Charter. Certificate
सनदी Patent
सपरिषद् गवर्नर Governer-in-Council
'सब-डिवीज़न' Sub-division
'सबार्डिनेट' Subordinate
सभा Meeting. Association, Chamber, Assembly
सभापति President, Chairman
सभ्य Civilised, Civil

सभ्यता Civilisation
समझौता Compromise. Understanding
समता Equality
समन Summon
,,–की तामील करना To serve a summon
समस्या Problem
समष्टिवाद Socialism
समाज Society
,,— प्रिय Social
,,— वाद Socialism
,,— शास्त्र Sociology
,,— सम्बन्धी Social
समालोचक Critic
समालोचना Review
समिति Association. Committee. Trust
समुदाय Community
,,— वादी Communist
सम्पति Wealth
सम्बद्ध Affiliated
सम्बोधन Address
सम्मेलन Conference,
सम्वाद Communication
,,—दाता Correspondent
,,—भेजने के साधन Means of Communication
सम्राट Emperor. Crown
,,–की सरकार His Majesty's Government
सरकार Government
,,–के कार्य- Functions of Government
,, प्रान्तिक— Provincial Government
,, भारत-Government of India
,, स्वेच्छाचारी–Absolute Government
सरकारी Official. Public,
,,—कर्मचारी Government official
,,—नौकरियां Public services
,,—मंतव्य Government resolution
सरदार सभा (अंगरेजी) House of Lords
'सर्कल' Circle
'सार्टिफिकट' Certificate
सर्वदल सम्मेलन Round table conferneo

सर्वप्रिय	Popular
सर्व सम्मत	Unanimous
सर्वोच्च शक्ति	Paramount power
सवाल	Question
सविनय	Civil
सशस्त्र	Armed
सहकारिता	Co-operation
सहकारी	Co-operative
सहनशीलता (सहिष्णुता)	Tolerance
सहयोग	Co-operation
सहायक	Assistant. Deputy
सहायक सदस्य	Additional member
,,-सेना	Auxiliary Force
सत्र	Session
साख	Credit
सादेश	Mandatory
साधारण	General
सापेक्ष	Relative
सामाजिक	Social
सामान्य	General
सामुद्रिक शक्ति	Naval force
साम्यवाद	Socialism
साम्यवादी	Socialist
साम्राज्य	Empire
,,—परिषद्	Imperial Conference
,,—सम्बन्धी	Imperial
सारांश	Summary
सार्वजनिक	Public
,,—नियंत्रण	Popular controll
,,—महत्व	Public importance
,,—हित	Public interest
सार्वदेशिक भाषा	Lingua franca
सार्वभौम	Universal
सावयव	Organic
साक्षात	Direct
साक्षी	Evidence
सिद्धान्त	Principle. Theory
सिद्धान्तिक	Theoratical. Fundamental
'सिनेट'	Senate
सिंचाई	Irrigation
सिफारिश	Recemmendation

'सिविल' Civil
'सी. आइ. डी.' C. I. D.
(खुफ़िया विभाग)
'सीनियर' Senior
सीमा Limit
सुधार Reform
„—कार्य Reformation
„—पाठशाला Reformatory
सुधारक Reformer
'सुपरिंटेंडेन्ट' Superintendent
सूचना Notice, Motion
सूद Interest
श्रम Labour.
„—विभाग Division of —
श्रेणियां, नीची — Lower classes.
सचिव Secretary.
„ उपनिवेश — Secretary of State for colonies.
„ भारत — Secretary of State for India.
„ राज — Secretary of state.
सच्चा Bonafide.
सत्ता Sovereignty.
सेक्रेटरियट (सेक्रेटरियों का दफ्तर) Secreteriat
सेक्रेटरी Secretery
सेना Army
„ आपत्काल Reserve force
„ घुड़सवार Cavalry
„ पैदल — Infant.
„ भारतीय जल — Royal Indian marine.
„ भारतीय राज्य — Indian States troops.
„ सहायक — Auxiliary force.
सेवा Service.
'सेशन' Session.
„ जज Sessions Judge
'सेशन्स कोर्ट' Sessions Court.
सैनिक Military.
„ — व्यय Military expenditure.
संगठन Constitution, Organisation.
„ —सम्बन्धी Constitutional
संगीन मुकद्दमा Complicated case.

संघ Confederation. Federation. League.
„ राष्ट्र — League of Nations.
संघर्ष Conflict.
संघवादी Fedralist.
संघात्मक Fedral.
संघीय Fedral.
संचालक Director.
संदेश Message.
संधि Treaty.
संयुक्त Joint.
संरक्षण Protection.
संशोधन Ammendment. Revision.
„ — करना Ammend. Revise.
संस्कृति Culture.
संस्था Body, Institution.
संक्षेप Summary.
स्कीम Scheme.
„ कांग्रेस-लीग - Congress League-Scheme.
स्कूल School.
„ नार्मल — Normal. —
„ हाई — High —
स्टाम्प Stamp.
स्टेटिस्टिक्स Statistics.
'स्टेश्नरी' Stationary.
'स्टोर' Store.
स्थगित करना (अधिवेशन) Adjourn.
स्थान Position.
स्थानीय Looal.
„ —बोर्ड Local board.
„ —मामले Local affairs.
„ —संस्था Local body.
„ —स्वराज्य Local self Govt.
स्थायी बन्दोबस्त Permanent settlement.
स्थायी समिति Standing committee.
स्थिति Positiou.
स्थिर Fixed.
स्वाधीन Free. Independent
स्वाधीनता Freedom. Independence. Liberty
स्वाभाविक Natural
स्वामी Proprietor
स्वार्थ Interest

स्वास्थ	Sanitation
,,—सम्बन्धी	Sanitary
स्वीकृति	Sanction
स्वेच्छाचारी	Absolute. Despotic

ह

हक़	Right
हड़ताल	Strike
हथियार	Arms
,,—रखने का कानून	Arms act
हथियार बंद	Armed
हर्जाना	Indemnity
हलका	Circle
हवाई शक्ति	Air force
हवालात	Lock-up
हस्तक्षेप क०	Intervene, Interfere
हस्तान्तरित विषय	Transferred subject
'हाई कमिश्नर'	High Commissionor
'हाई कोर्ट'	High Court
'हाऊस टैक्स'	House tax
हित	Interest
हिदायत करना	Direct
हिसाब	Accounts
,,— की जांच	Audit
'हैड-कान्स्टेबल'	Head Constable
'होम गवर्मैंट'	Home Govt.
होम चार्जेस	Home charges
होम मेम्बर	Home member

क्ष

क्षतिपूर्त्ति	Indemnity
क्षेत्र	Scope
क्षेत्र फल	Area

भ्रम निवारक पत्र।

यदि कहीं किसी अक्षर की मात्रादि की अशुद्धि हो तो विद्वान् पाठक सुधार लेवें। विशेष त्रुटियां निम्न लिखित हैं:—

पृष्ठ १०—पांचवी पंक्ति में 'सातवें' की जगह 'पांचवें', और सातवीं पंक्ति में 'सात' की जगह 'पांच' होना चाहिये।

पृष्ठ ३२—सातवीं पंक्ति में 'सदस्य' से आगे 'और', न होना चाहिये।

पृष्ठ ६०—बारहवीं पंक्ति में '६०, से कम' की जगह 'कम से कम ६०', होना चाहिये।

पृष्ठ ७०—दसवीं पंक्ति में 'सभा के' की जगह 'सभा में' होना चाहिये।

पृष्ठ ७१—चौदहवीं पंक्ति के अन्त में 'मद्दे' की जगह मद्दों के लिये' होना चाहिये।

पृष्ठ ८४—नीचे से छटी पंक्ति में 'निरिर्धात' की जगह 'निर्धारित' होना चाहिये।

पृष्ठ ८६—मध्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद में पहिले ७० सदस्य होते थे। इस वार पिछड़ी हुई जातियों और मज़दूरों के लिये ३ सदस्य और बढ़ाये जाने से कुल सदस्यों की संख्या ७३ होगयी है; ५५ निर्वाचित और १८ नामज़द।

पृष्ठ १५३—कोष्टक में चौथा अपराध 'डकैती है।

पृष्ठ १५५—पंक्ति १५ में 'फौज़दारी दंड विधान' की जगह केवल 'दंड विधान' होना चाहिये।

भारतीय पाठकों से निवेदन

प्यारी जननी जन्म-भूमि की राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और समस्याओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक भारत सन्तान का कर्तव्य है। अतः आप भारतीय ग्रन्थ-माला की पुस्तकें अवलोकन कीजिये। विदित हो कि—

१–मध्य प्रान्त और बरार में—'भारतीय शासन' इतिहास की पाठ्य पुस्तक, और, 'भारतीय विद्यार्थी विनोद' तथा 'भारतीय प्रार्थी' स्कूल पुस्तकालयों और परितोषिक के लिये स्वीकृत हैं।

२–संयुक्त प्रान्त में—'भारतीय शासन' स्कूल पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है।

३–पंजाब में—'भारतीय शासन' स्कूल पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत हैं।

४–बड़ोदा राज्य में—'भारतीय शासन' और 'भारतीय विद्यार्थी विनोद' स्कूल पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत हैं।

५–ग्वालियर राज्य में—'भारतीय शासन' तथा 'भारतीय विद्यार्थी विनोद' और 'भारतीय राजस्व' प्रचारार्थ मंगायी गयी हैं।

६–बहुत सी परीक्षाओं और राष्ट्रीय विद्यालयों में—'भारतीय' शासन 'भारतीय विद्यार्थी विनोद' 'भारतीय राजस्व' 'भारतीय राष्ट्र निर्माण' और 'भारतीय जागृति' पाठ्य पुस्तकें नियत हैं।

इस माला की पुस्तकों का भारतवर्ष के हिन्दी भाषा भाषी प्रत्येक नगर और गांव में प्रचार होना चाहिये। आप भी इस कार्य में योग दें।

भगवानदास केला

वृन्दावन